राजस्थान विधान सभा

४५ वीं बैठक, बृहस्पतिवार, दिनांक–२६ जुलाई, सन् १६५४ ई०

विधान सभा की बैठक सभा-भवन, जयपुर, में ८ बज कर ७ मिनट (मध्यान्हपूर्व) पर प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या ११६६

सन् ५३-५४ में राजस्थान में काश्त की गई भूमि

श्री चाँदमल मेहता—क्या कृषि मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:-

(क) सन् ५३-५४ में राजस्थान में कितनी भूमि में काश्त की गई ?

(ख) सन् ५२-५३ के मुकाबिले में वह कितनी अधिक है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—(क)जोधपुर डिविजन और जिला बूँदी के जवाब नही आने से इनको छोड़कर राजस्थान में सन् ५३-५४ के वर्ष में १, ३३, २६, २४५ एकड़ भूमि में काश्त की गई।

(ख) ५२-५३ के मुकाबले में ५३-५४ में ४१ ,६६६ एकड़ भूमि में अधिक काश्त हुई।

श्री कँवरलाल जेलिया—जो जमीन दी गई उसके सम्बन्ध में श्रेणियों का विभाजन किस तरह से किया गया ? भूमिहीन मजदूरों को इस हिसाब से और जिनके पास कि सैंकड़ों बीघा जमीन है उनको उस हिसाब से, क्योंकि जो जमीन दी गई ..

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं समझता हूँ कि यह जमीन देने का प्रश्न नहीं है, बल्कि कितनी जमीन पर काश्त हुई है उसका है।

Page No.2

प्रश्न संख्या १२००

ग्राम बांदरसिंदरी में भौमियों को वेतन

श्री चाँदमल मेहता—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे ? (क) किशनगढ़ तहसील के ग्राम बाँदरसिंदरी में भौमियों की कितनी संख्या है ?

(ख) किशनगढ़ तहसील के ग्राम बांदरसिंदरी में भौमियों को प्रति माह कितनी तनख्वाह दी जाती है ?

(ग) इनको तनख्वाह कितने महीनों से नहीं मिल रही है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—(क) किशनगढ़ तहसील के ग्राम बांदरसिंदरी में भौमियों की संख्या २ है।

(ख) इनको ३ रु. १२ आना एलाउन्स जरीब खींचने का दिया जाता है।

(ग) इसकी सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है। कमिश्नर जयपुर से पूछताछ की जा रही है।

श्री चाँदमल मेहता—क्या जो सूचना प्राप्त हुई है उसमें खण्ड (क) और (ख) का जवाब दे दिया गया है और खण्ड (ग) का जवाब उन्होंने नहीं दिया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं समझता हूँ कि इसमें निश्चित समय नहीं है कि कब से तनख्वाह नहीं मिली है। इसकी पूरी जानकारी नहीं हुई, इसलिए उत्तर नहीं दे रहा हूँ। जिनका उत्तर आ गया है उनका ही जवाब दे सकूंगा।

श्री चाँदमल मेहता—क्या अब जल्दी से जल्दी तनख्वाह मिल जाय इसकी व्यवस्था करने को सरकार तैयार है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इसके सम्बन्ध में कागजात ए.जी. के दफ्तर में गये हुए हैं। वहाँ से स्वीकृत होने पर, उनको तनख्वाह दी जायगी।

श्री चांदमल मेहता—कितने वर्ष तक और पड़े रहेंगे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं समझता हूँ कि अब 'वर्ष' तक पड़े रहने का सवाल नहीं है।

श्री चाँदमल मेहता—कितने महीनों तक नहीं कर सकेंगे ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—वह हमारे हाथ में नहीं है। कागजात ए. जी. के दफ्तर में गये हुए हैं। वहाँ से आने पर उनको तनख्वाह दी जायगी। अब वर्षों का सवाल नहीं है।

श्री चाँदमल मेहता—१२ महीने से अधिक कागजों के पड़े रहने का क्या कारण है ?

[श्री चाँदमल मेहता]

गवर्नमेंट ने पेमेन्ट क्यों नहीं किया ? १२ महीनों से उन्हें तनख्वाह नहीं मिल रही है इसका क्या कारण है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया--मैं इसकी पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद कह सकता हूँ। इसके अन्दर वह जानकारी नहीं है कि इतना विलम्ब क्यों हुआ ? विलम्ब जरूर हुआ है, लेकिन विलम्ब क्यों हुआ, इसकी जानकारी प्राप्त करना है।

श्री चाँदमल मेहता—आयन्दा विलम्ब न हो इसके सम्बन्ध में सरकार कोई योजना रख रही है ?

श्री अध्यक्ष—मगर जानकारी आने पर उसका उपाय करेंगे।

प्रश्न संख्या १२०१

अलमवास ग्राम में एस. आई जग्गूलाल की डाकू सुभान द्वारा हत्या

श्री चाँदमल मेहता—क्या गृह-मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(१) क्या यह सही है कि अलमवास ग्राम में जग्गूलाल सब इन्सपेक्टर डाकू सुभान द्वारा मारे गये ?

(२) यदि हाँ, तो उक्त इन्सपेक्टर की फेमिली को सरकार द्वारा क्या सहायता दी गई ?

(३) क्या यह सही है कि डाकू सुभान भी एक सिपाही के द्वारा मौके पर मारा गया ?

(४) यदि हाँ, तो उस सिपाई का नाम क्या है और उसे भी क्या कोई इनाम दिया गया है ?

श्री जयनारायण व्यास—(मुख्य मंत्री) १. हाँ, यह सही है।

(२) एक हजार रुपये स्पेशल कन्ट्रीब्युशन (Contribution) करके दे दिये गये हैं। पेन्शन की कार्यवाही भी जारी है।

(३) हाँ, डाकू सुभान एक नहीं बल्कि दो कॉन्स्टेबल्स द्वारा मार डाला गया।

(४) उनके नाम ये हैं :—

(१) हैड कॉन्स्टेबल पोकरसिंह। (२) कॉन्स्टेबल कल्याणसिंह। उनके इनाम का प्रश्न अभी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, जयपुर के पास विचाराधीन है।

श्री चाँदमल मेहता--क्या उस डाकू के दो गोलियाँ लगी थीं? जिन दो आदमियों के नाम आपने बताये हैं क्या उन दोनों ने उसके गोलियां मारी थीं?

श्री जयनारायण व्यास—जी हाँ।

प्रश्न संख्या १२०२

सरवाड़ ग्राम में सिंचाई के चार्जेज़ प्रति बीघा

श्री चाँदमल मेहता--क्या सिंचाई मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) सरवाड़ ग्राम में सिंचाई के चार्जेज़ प्रति बीघा क्या हैं?

(ख) क्या यह सही है कि उक्त चार्जेज़ एक फसल की जितनी मर्तबा सिंचाई की जावे उतनी मर्तबा अलहदा अलहदा जोड़े जाते हैं?

श्री टीकाराम पालीवाल (सिंचाई मंत्री)—सरवाड़ ग्राम में सिंचाई का चार्ज प्रति बीघा ८ आने प्रति पाण है।

(ख) हाँ, जितनी पाण हो उतनी मर्तबा जोड़ा जाता है।

श्री चाँदमल मेहता--क्या यह सही है कि पाण को लगाने वाला कोई अधिकारी सरवाड़ तहसील में नहीं है?

श्री टीकाराम पालीवाल—यह प्रश्न बिल्कुल नया है, दूसरे किस्म का उत्तर चाहिए।

श्री चाँदमल मेहता—क्या माननीय मंत्रीजी की जानकारी में यह बात लाई गई है कि पाण लिखने वाला कोई अधिकारी नहीं होने की वजह से वहाँ मनमाने ढंग से पाण लिखी जाती है और किसान परेशान होते हैं।

श्री टीकाराम पालीवाल— हो सकता है कि स्थायी तौर पर कोई आदमी नहीं रहता हो, लेकिन समय-समय पर कोई आदमी जरूर जाकर पाण लिखता होगा।

श्री चाँदमल मेहता—क्या इस तरह के गलत इन्द्राज रोकने के लिये अधिकारी की नियुक्ति की बात सरकार सोचेगी?

श्री टीकाराम पालीवाल—हरेक छोटे-छोटे गाँव में अधिकारी नियुक्त नहीं किया जायगा।

श्री सोहनलाल भटनागर—क्या पहले भी ऐसी कोई शिकायत आपके सामने पेश हुई थी?

श्री टीकाराम पालीवाल—जी नहीं।

प्रश्न संख्या १२०३

ऊसर भूमि की नीलामी में हरिजनों को रियायत

श्री हंसराज जटिया—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे: जो ऊसर भूमि नीलाम की जाती है उसमें हरिजनों के लिये क्या कोई विशेष रियायत की जाती है? अगर हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—जी नहीं। नीलाम में हरिजनों को विशेष रियायतें देने का प्रश्न नहीं उठता, अलबत्ता अलोटमेन्ट के नियमों में भूमिहीन किसानों को, जिनमें हरिजन भी शामिल हैं प्राथमिकता दी गई है।

प्रश्न संख्या १२०४

१२५ वर्ष पुराने महाराज बाग-बाड़ी में सिंचाई का प्रबन्ध

श्री हंसराज जटिया—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) १२५ वर्ष पुराने महाराज बाग-बाड़ी में सिंचाई का प्रबन्ध है?

(ख) क्या बाड़ी में मोटर पम्प लगाया गया है?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

(घ) यदि उत्तर हां, में है तो कब लगाया गया है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इसका उत्तर अभी तक आया नहीं है, आने पर जवाब दिया जायगा।

प्रश्न संख्या १२०५

धौलपुर शहर से लगी भूमि को पुनः बाग लगाने के लिये देना

श्री हंसराज जटिया—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे

[श्री हंसराज जटिया]

(क) धौलपुर शहर से लगी हुई उस जमीन को जो धौलपुर स्टेट द्वारा बाग लगाने के लिये दी गई थी क्या वहाँ के बागों के वृक्षों को काटकर मैदान कर दिया गया है ?

(ख) क्या यह जमीन पुनः बाग लगाने के लिये और काश्तकारों को दी गई है ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—जी नहीं। पुराने वृक्षों को नहीं काटा गया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न संख्या १२०६

सन ५३-५४ में पी. टी. एस. विद्यार्थियों के लिये जल-व्यवस्था

श्री चाँदमल मेहता—क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे ?

(१) पी. टी. एस. के विद्यार्थियों के लिये पानी की व्यवस्था करने पर ५३–५४ के वर्ष में कितना रुपया खर्च किया गया ?

(२) इस काम के लिये कितने व्यक्ति और ठेला गाड़ियाँ काम में लाई जाती हैं ?

श्री जयनारायण व्यास—(मुख्य मन्त्री) (१) केवल पानी की व्यवस्था का कोई अलग हिसाब नहीं रखा जाता है, एक ट्रक चलाने का कुल खर्चा २,६१५ रू. ८ आ ६ पा. है।

(२) कोई ठेला इस काम में नहीं लिया जाता। इसी खास काम के लिये ही कोई अलग आदमी नहीं रखे जाते।

श्री चाँदमल मेहता—क्या माननीय मंत्रीजी इस बात की जाँच कराने के लिये तैयार हैं कि जो जवाब दिया गया है उसमें कहाँ तक सच्चाई है ? (हंसी)

श्री जयनारायण व्यास—मैं इस तरह की जाँच कभी नहीं करा सकता जब तक कि यहाँ जो बात कही गई है उसके झूठा होने की बात डिटेल्स में कही जाय।

प्रश्न संख्या १२०७

किशनगढ़ पावर हाऊस द्वारा मीटर की डिपॉजिट वसूली

श्री चाँदमल मेहता—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे।

Page No.7

[श्री चाँदमल मेहता]

(क) किशनगढ़ पॉवर हाउस द्वारा कितने व्यक्तियों से मीटर की डिपोजिट वसूल की गई है ?

(ख) ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनसे मीटर की डिपोजिट नहीं ली गई है ?

(ग) राजस्थान में किन-किन पॉवर हाऊस में इस प्रकार मीटर लगाने के लिये डिपोजिट जमा कराना पड़ता है ?

श्री टीकाराम पालीवाल (निर्माण मंत्री)—(क) १३२ कंज्यूमर्स से मीटर डिपोजिट लिया गया है।

(ख) २१३ कन्ज्यूमर्स ऐसे हैं जिनसे मीटर डिपोजिट नहीं लिया गया है, जिनमें सरकारी विभाग, हिज़ हाइनेस की निजी सम्पत्ति, म्युनिसिपेलिटी और सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के विभाग हैं। ये सब पुराने कन्ज्यूमर्स हैं।

(ग) इस प्रकार का डिपोजिट सब जगह लिया जाता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या जिनसे मीटर डिपोजिट लिया जाता है उनसे महावारी मीटर रेन्ट चार्ज किया जाता है।

श्री टीकाराम पालीवाल—जरूर किया जाता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि कीमत के लिये डिपोजिट लेने के बाद रेन्ट किस आधार पर चार्ज किया जाता है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—डिपोजिट रिफन्डेबल होता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि इस प्रकार के डिपोजिट लेने के बारे में कोई कानून या रूल्स आज तक नहीं बनाये गये हैं ?

श्री अध्यक्ष—This is a matter of rules

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या इस सिलसिले में कोई नये रूल्स बनाये गये हैं ?

श्री टीकाराम पालीवाल—नहीं, अभी हाल में कोई नहीं।

प्रश्न संख्या १२०८

बोरिंग मशीनें धौलपुर भेजना

श्री हंसराज जटिया—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

[श्री हंसराज जटिया]

(क) राजस्थान में बोरिंग मशीनें कितनी आई है ?

(ख) वे मशीनें कहाँ-कहाँ काम कर रही हैं और कब से कर रही हैं ? क्या धौलपुर में ये मशीनें भेजी गई हैं ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—कृषि विभाग के द्वारा सन् १९५०-५१ में चार बोरिंग मशीनें खरीदी गई । इन मशीनों में से २ मशीनें अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड को दे दी गई हैं । इस समय बची हुई दो मशीनें सामोद व नोरंगवाड़ा जिला जयपुर में कार्य कर रही हैं । सामोद में बोरिंग का कार्य माह अप्रेल सन् १९५४ से व नोरंगवाड़ा में माह मई सन् १९५४ से कार्य जारी हुआ है । धौलपुर से बोरिंग की कोई माँग न आने के कारण वहाँ पर मशीन नहीं भेजी गई ।

श्री कँवरलाल जेलिया—सरकार के पास जिस जगह से बोरिंग की मशीनें भेजने की माँग थी, कोटा की बात की ओर ध्यान दिलाऊँगा, क्या उस जगह मशीन भेजी गई ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं समझता हूं आप कम्प्रेसर की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं तो बोरिंग मशीन के बारे में जवाब दे रहा हूं ।

प्रश्न संख्या १२०१

धौलपुर सब डिविजन में तकावी वितरण

श्री हंसराज जटिया—क्या राजस्व मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) धौलपुर सब डिविजन में कितनी तकावी बांटी गई ?

(ख) क्या जिलाधीश को तकावी देने का अधिकार है ? यदि हां, तो कितना ?

(ग) क्या डाइरेक्टर, एग्रीकल्चर एंड फूड कमिश्नर जयपुर के कार्यालय में तकावी फॉर्म स्वीकृत के लिये भेजे जाते हैं ? अगर हां, तो कितनी राशि तक के होते हैं और उनके स्वीकृत होने में कितना समय लगता है ?

(घ) क्या यह सच है कि तहसील द्वारा तकावी किसानों को मिलने में असुविधा रहती है और विशेष रूप से गरीब रह जाते है ?

(ङ) यदि हां, तो सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—इस बारे में सूचना प्राप्त की जा रही है । लेकिन प्रश्नकर्ता ने जिस समय की सूचना चाही है वह साथ नहीं दिया गया है । पूरे भरतपुर जिले के लिए ७५०००) रु० देने तय हुए थे ।

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

(ख) ५००) रुपये से लेकर ५०००) रुपये तक की तकावी देने का जिलाधीशों को अधिकार है।

(ग) जी हाँ। ५००० रु० तक की स्वीकृति में ५, ७ दिन का समय लगता है।

(घ) जी नहीं, तकावी नियमानुसार बिना किसी को असुविधा दिये वितरण करने का प्रयत्न किया जाता है।

(ङ) प्रश्न पैदा नहीं होता।

प्रश्न संख्या १२१०

जोधपुर की ग्लास फेक्टरी को शासनाधीन लेना

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Minister for Industries be pleased to state:—

(a) Is the Government aware that a factory manufacturing glass has been closed and lying closed for the last few years in Jodhpur?

(b) Is it a fact that the question of taking over the said concern and of restarting it has been under consideration of the Government for more than one year?

(c) Had the Government written to the Liquidator of the said concern to stay his proceedings pending examination of the question by the Government? If so, when was such a communication sent?

(d) What is the reason or reasons for such a long delay in taking decision in this matter?

(e) Will the Government consider the advisability of taking steps to get the Factory restarted?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—(a) Yes.

(b) The question of restarting the industry has been under consideration of the Government.

(c) Such a communication was never sent. Government only enquired

Page No.10

[श्री जयनारायण व्यास]

from the Liquidator in February, 1954, the price at which he was prepared to hand over the factory to the Government.

(d) The Govt. is anxious that all closed industries, including this factory, should be restarted; but this question has to be decided after obtaining expert opinion and the financial aspects have also to be examined.

(e) The question is under consideration of the Government.

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि सरकार को उक्त महोदय ने अपने पत्र में यह कहा कि कम से कम ३, ४ महीनों के लिये प्रोसीडिंग्ज को रोके, तब तक एक्सपर्ट की ओपिनियन ओब्टेन करना चाहता हूँ ?

श्री जयनारायण व्यास—यह सही नहीं है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार ने एक्सपर्ट की ओपिनियन प्राप्त करने की कार्यवाही शुरू कर दी ।

श्री जयनारायण व्यास—यह डिपार्टमेंट की बात है, इससे इसका कोई तालुक नहीं है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि इस बारे में जाँच पड़ताल करने का आदेश सरकार जारी कर चुकी है ?

श्री जयनारायण व्यास—पूरे डिटेल्स आने के बाद पूरी जांच पड़ताल होगी । सरकार ने इच्छा जाहिर की है कि हैंड ओवर कर दिया जाय ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इस सिलसिले में क्या आदेश जारी किया है सरकार ने ?

श्री जयनारायण व्यास—इस सिलसिले में लिक्वीडेटर को यह कहा गया है कि :

"I am directed to request you kindly to let this office know the minimum amount at which you are prepared to hand-over the factory to the Government."

यह आदेश नहीं होता ।

श्री जसवन्तसिंह—क्या जोधपुर के अलावा दूसरी ग्लास फैक्टरीज भी बन्द है ?

श्री जयनारायण व्यास—जो बन्द हैं उनको भी चालू करने का प्रयास किया जा रहा है, जैसा कि मैंने पहले अपने उत्तर में कहा था ।

प्रश्न संख्या १२११

मेजा डेम (तहसील मांडल) के जल-सतह द्वारा प्रभावित ग्राम निवासियों के लिये भूमि आदि का प्रबन्ध

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Minister for P. W. D. be pleased to answer:—

(a) How many villages and how many inhabitants are likely to be affected by the water level of the proposed Meja Dam of the Mandal Tehsil, Bhilwara District ?

(b) Has the Government assessed compensation for those who are thus likely to be uprooted ?

(c) Have the Mango Trees standing in their fields also been assessed for compensation ?

(d) Has the Government selected any alternative site for settling these villagers ?

(e) By when the Government proposes to pay compensation ?

श्री टीकाराम पालीवाल (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)—(a) The information regarding the villages likely to be sub-merged and population affected is being collected.

(b) The appointment of a Land Acquisition Officer and necessary staff for the assessment of compensation is under consideration of the Government.

(c) This will be done by the Land Acquisition Officer.

(d) Efforts will be made to settle the people displaced in the commanded area of the canal.

(e) Payment will be made from the provision already made as soon as the amount of compensation has been assessed by the Land Acquisition Officer.

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह डेम कब तक पूरा होने का सरकार का अन्दाज है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—It may be difficult to fix a date.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Possibility ? What is the approximate time by which the dam will be completed and the area is likely to be sub-merged.

श्री टीकाराम पालीवाल—It may well take two to three years.

प्रश्न संख्या १२१२

भूमि-वितरण सलाहकार कमेटी के सदस्य सरदार अमरसिंह का आचरण

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) भूमि-वितरण सलाहकार कमेटी के सदस्य सरदार अमरसिंह कितनी तहसीलों में नियत किये गए हैं ?

(ख) पिछले सालों में जब कि सरदार अमरसिंह तहसील गंगानगर वितरण कमेटी के सदस्य थे क्या उस समय उनके खिलाफ कोई सी. आइ. डी. द्वारा आरजी काश्त में करप्शन का आरोप लगाया गया था ?

(ग) क्या सरदार अमरसिंह महकमा नहर से रिश्वतखोरी के कारण बरख्वास्त हुए हैं ?

(घ) यदि यह सच है तो आपको बार-बार वितरण कमेटी का सदस्य क्यों चुना जाता है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—(क) दो तहसीलों; गंगानगर और पदमपुर में।

(ख) जी हाँ, सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस द्वारा जांच की जाने पर ऐसी कोई शिकायत सही साबित नहीं हुई।

(ग) हाँ।

(घ) उनकी वर्तमान स्थिति में अच्छी प्रतिष्ठा है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या ऐसे और भी कोई सदस्य हैं जो दो-दो कमेटियों में मुकर्रर किये गये हों ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मेरे पास, यह अलग प्रश्न होने से अलग-अलग जगहों की सूचना नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास--क्या नियुक्ति करने से पहले सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया कि रिश्वतखोरी के कारण वे बरखास्त हो चुके हैं, उनको ऐसी कमेटियों में लिया जाना कहाँ तक ठीक है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—ध्यान दिया इसीलिए इस प्रश्न के (घ) के उत्तर में इसका समावेश हो जाता है।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—तो इस बात पर ध्यान देने पर किस नतीजे पर सरकार पहुँची?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—वर्तमान समय में उनकी प्रतिष्टा अच्छी है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या वे पदमपुर वितरण कमेटी के पहले से मेम्बर नहीं हैं?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—जी हाँ।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या यह सही है कि सत्याग्रह में सरकार की मदद करने के कारण उन्हें दुबारा मेम्बर किया गया?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—जी नहीं।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या यह सही है कि उनको वितरण कमेटी में इसलिए लगाया गया कि जिन लोगों ने सत्याग्रह में हिस्सा लिया उनके नाम किये गए एलोटमेन्ट को केन्सल कर सकें?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—जी नहीं, एलोटमेंट केन्सिल करने का सवाल पैदा नहीं होता।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या यह सही है कि इस तरह से केन्सिल किये गए एलोटमेंट्स की सभी जमीनों को उन्होंने अपने रिश्तेदारों के नाम से एलोट कर दिया है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया--यह सही नहीं है, जो जमीन गलत तरीके से अलोट कर दी गई हो उसी को केन्सिल किया जाता है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या माननीय मन्त्री इस बात की जाँच कराने के लिए तैयार हैं कि उन्होंने अपने कितने रिश्तेदारों के नाम जमीनें एलोट कीं?

Page No.14

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—आप नाम देंगे तब।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या उनके नामों की लिस्ट आपके पास नहीं आई ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मेरे ध्यान में नहीं है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या सरकार उनके नामों को मालूम करके जाँच करने की कोशिश करेगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैंने कहा कि आप नाम देंगे तब जांच की जायगी।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—सरदार अमरसिंह बरखास्त हुए हैं, क्या इसलिए उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—प्रतिष्ठा किस तरह से बढ़ती है, इसे आप अच्छी तरह से जानते हैं। वे बरखास्त हुए पर इसके बाद उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाई है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरदार अमरसिंह को अलोटमेन्ट कमेटी में रखने के बाद अलॉटमेंट देने के बारे में उनके खिलाफ शिकायतें सरकार के पास आई हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—जी नहीं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार के पास सौ-सौ रुपया एक मुरब्बा अलोट करने के लिए रिश्वत लेने की शिकायतें आई हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—कुछ लोग गलत-सही शिकायतें करने का प्रयत्न करते रहते हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैंने पूछा कि ऐसी शिकायतें सरकार के पास आई हैं क्या ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मेरे पास ऐसी जानकारी नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या माननीय मन्त्री इस बात की जांच करने की कोशिश करेंगे कि सरकार के सम्बन्धित अधिकारियों के पास ऐसी कोई शिकायत आई है या नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं इस बारे में जाँच कर सकता हूं।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

Page No.15

प्रश्न संख्या १२१३

पदमपुर तथा गजसिहपुर [जिला गंगानगर] में कृषि विभाग द्वारा दिये जाने वाले सीमेंट का मूल्य

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु--क्या कृषि मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) पदमपुर जिला गंगानगर में कृषि-विभाग द्वारा सीमेंट किस कीमत पर दिया जाता है और गजसिहपुरा में किस कीमत पर ?

(ख) गजसिहपुरा और पदमपुर में १) रुपया फी थैला कीमत में फर्क होने का क्या कारण है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया (कृषि मन्त्री)--(क) पदमपुर ६) रु० प्रति थैला। गजसिहपुरा ५ रुपये ५ आने ६ पाई प्रति थैला।

(ख) अन्तर सिर्फ १० रु० ६ पाई का ही है जो विशेष ढलाई खर्चे के कारण से है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु--इतना ज्यादा खर्चा होने का क्या कारण है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया--धुलाई।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु--क्या सरकार के ध्यान में है कि सिविल सप्लाई वाले ५) रु० ढाई आना फी थैला के भाव से दिया जाता है और एग्रीकल्चर वालों की तरफ से ६) रुपया फी थैला।

श्री मोहनलाल सुखाडिया--नहीं।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु--क्या सरकार इस बारे में जाँच करेगी कि सिविल सप्लाई विभाग की ओर से पाँच रुपया और ढाई आना के हिसाब से दी जाती है और एग्रीकल्चर विभाग की ओर से ६) रु० के हिसाब से दी जाती है ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया--ऐसी कोई बात होगी तो जांच की जायगी।

श्री अध्यक्ष--नेक्स्ट।

Page No.16

प्रश्न सं० १२१४

गंगानगर जिले में कृषि भूमि विक्रय पर पाबन्दी

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) गंगानगर जिले में कृषि भूमि की विक्री पर पाबन्दी लगा देने के क्या कारण हैं ?

(ख) क्या सरकार ऐसी भूमि की बिक्री पर से पाबन्दी दूर करने की सोच रही है ? यदि हाँ तो कब तक ?

(ग) क्या सरकार के ध्यान में यह बात है कि सेल कन्डीशन्स १६२४ (बीकानेर स्टेट) और भारत विधान के आधीन सरकार को कोई ऐसी पाबन्दी लगाने का अधिकार नहीं है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—(क) अनभिज्ञ काश्तकारों को कर्जा देने वाले बनियों के चंगुल से बचाने के लिये और शादी मौसर आदि पर अनाप-शनाप खर्च को रोकने के लिये यह पाबन्दी आवश्यक है।

(ख) इसकी अभी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

(ग) जनहित के लिये पाबन्दियें लगाने का सरकार को अधिकार है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या सरकार को ध्यान है कि इससे लेन्डेड टिनेन्ट्स को नुकसान होता है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—जी नहीं।

प्रश्न संख्या १२१५

ग्राम अघापुर में चोरी के सम्बन्ध में भरतपुर में पुलिस के अत्याचार

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Minister for Home be pleased to answer :—

[1] Is the Government aware of the Police atrocities in Bharatpur in connection with the theft at village Adhapur ?

[2] Is the Government aware that these atrocities reached the heights of an inhuman conduct ?

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

[3] Has any enquiry been conducted against the authorities of Police for such kind of acts ?

[4] If so, what is the result of the enquiry ? What action, if any, has been taken against the defaulters ?

[5] What steps Government propose to take for the non-recurrence of such kind of activities ?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)--(१) जी हाँ, ऐसी शिकायत सरकार के पास आई है।

(२) इस मामले की जाँच करने के लिए खास तौर से एक आई. पी. एस. अधिकारी को भेजा गया है जिसकी जाँच अभी जारी है।

(३) जी हाँ।

(४) जांच अभी जारी है फिर भी जिन पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध यह आरोप है वे मौहत्तिल कर दिये गए हैं।

(५) इस विषय में आवश्यक कार्यवाही जाँच रिपोर्ट आने पर की जा सकती है।

श्री हरिकृष्ण व्यास---यह शिकायत सरकार के पास कब आई और जाँच करने के लिए अधिकारी कब नियुक्त किया गया ?

श्री जयनारायण व्यास--तारीख २७-४-५४ को एक रिपोर्ट पुलिस स्टेशन सेवार में आई थी, एक चोरी के केस की और ६ मई १९५४ को कुछ लोगों पर शक किया गया था और बुलाया गया था और १६ मई तक उनको पूछ-ताछ हुई थी। इसके बाद कुछ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कुछ लोगों ने दावा किया, इसकी तारीख मुझे मालूम नहीं है। फिर एक पुलिस अफसर को जो भरतपुर का ही था उसको उस वक्त जाँच करने के लिए मुकर्रर कर दिया, गया, पर वहाँ के लोगों ने शिकायत की कि जाँच करने वाला अफसर भरतपुर का नहीं होना चाहिए, इस पर शायद ३० ६-५४ को दूसरा आई. पी. एस. अफसर मुकर्रर किया गया।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि मई के प्रथम सप्ताह में ही सरकार के पास इस, पुलिस अधिकारियों द्वारा किये गए अत्याचार, की शिकायत आ गई।

श्री जयनारायण व्यास--यह भी सही है कि शिकायत आते ही जाँच शुरू कर दी गई।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या १२१६

सुपरवाइज़र इन्चार्ज, वाटर वर्क्स तथा पॉवर स्टेशन, दौसा द्वारा गंगापोल जयपुर में भवन-निर्माण में राजकीय सामान का प्रयोग

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Minister for Public works be pleased to answer :—

[1] Is the Government aware that the Supervisor Incharge Water Works and Power Station at Dausa is constructing a theree storied House in Gangapole Jaipur and utilising the departmental articles for this purpose ?

[2] Is the Government aware that this employee was on previous occasion kept under suspension for 4 years by the Jaipur Government ?

[3] Is the Government aware that though his duty is at Dausa yet he generally remains at Jaipur three days a week ?

[4] Will the Government order an enquiry into his conduct ?

श्री टीकाराम पालीवाल (सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)—[1] Yes, some construction is being done, but government is not aware of any departmental articles being used for this purpose.

[2] Yes, he was under suspension from 27-6-47 to 17-7-50 previously.

[3] It is only a temporary arrangement for the checking of electric installation in Government Buildings, etc. at Jaipur, of which, he was previously incharge.

[4] It is not considered necessary unless there are some definite allegations against him.

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या वे सरकारी ड्यूटी के सिलसिले में जयपुर आते हैं ?

श्री टीकाराम पालीवाल—जी हाँ, टेम्परेरी तौर से यह नया अरेंजमेंट है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि दौसा में रहने वाले इन्चार्ज व्यक्ति को कौनसी ड्यूटी पर बिजलीघर के सिलसिले में जयपुर में लगाया गया है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—गवर्नमेंट बेंगलोज़ की इलेक्ट्रिक को चेक करने के लिए लगाया गया है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या इसके लिए ओफिस ऑर्डर किया गया है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—हाँ, इस तरह की इन्स्ट्रक्शन्स दी गई हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास मैंने प्रश्न यह पूछा है कि क्या इस विषय में ऑफिस ऑर्डर निकाला गया है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—इस तरह की इन्स्ट्रक्शन्स दी गई हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—लिखित या ओरल।

श्री टीकाराम पालीवाल—मैं समझता हूँ कि लिखित ही होना चाहिये।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या माननीय मन्त्री महोदय इस विषय में जाँच करेंगे कि ऐसा कोई लिखित आदेश दिया गया है या नहीं ?

श्री टीकाराम पालीवाल—मेरे पास ओफीसर्स के ऑर्डर्स आते हैं, वे लिखित ही आने चाहिये इसमें डाउट हो तो मैं जाँच कर लूँगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार इस बात पर भी विचार करेगी कि इस प्रकार से दौसा रहने वाले व्यक्ति को एक एडीश्नल ड्यूटी जयपुर में देवें, जिससे कि सरकार के काम में इनएफीशियेंसी आये और व्यर्थ खर्चा हो ?

श्री टीकाराम पालीवाल—मैंने कहा है कि यह एक बिल्कुल टेम्परेरी इन्तजाम है।

It is not to continue for long.

श्री हरिकृष्ण व्यास—कितने दिनों के लिए यह अरेन्जमेंट किया गया है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—दिनों की संख्या निश्चित नहीं है, फिर भी जल्द ही खत्म हो जायगा।

कु० श्री जसवन्तसिंह—क्या उनका मकान नहीं बन जाय, तब तक यह टेम्परेरी इन्तजाम रहेगा ?

श्री टीकाराम पालीवाल—मकान से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या उनका मकान बनना शुरू हुआ, तभी से उनका आना-जाना शुरू हुआ ?

श्री टीकाराम पालीवाल—इस बात की जाँच कराने से ही पता चल सकता है कि तब से उनका आना-जाना शुरू हुआ या कब ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह कितने दिनों तक टेम्परेरी अरेन्जमेंट रहेगा ? He says it is for a very short time. I am asking for how long it has continued ?

श्री अध्यक्ष—That he has replied that he will reply after enquiry.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Whether this arrangement has been continuing since he started house construction ?

श्री टीकाराम पालीवाल—Formerly he was at Jaipur and he has been recently transferred to Dausa.

कु० श्री जसवन्तसिंह—क्या इस बात की कोई इन्क्वायरी की गई कि डिपार्टमेंटल आर्टिकल्स का प्रयोग उसके मकान बनाने में किया गया ?

श्री टीकाराम पालीवाल—जितना जवाब दे दिया गया वह काफी है ।

कु० श्री जसवन्तसिंह—आपने यह जवाब दिया कि गवर्नमेंट की जानकारी में यह नहीं है; क्या वास्तव में सरकार के डिपार्टमेंट के आर्टिकल्स काम में लिए गए या नहीं ?

श्री टीकाराम पालीवाल—अगर आवश्यकता होगी तो किया जा सकेगा ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या जिस बात को सारी दुनिया जानती है उस बात को सरकार नहीं जानती ?

श्री टीकाराम पालीवाल—सारी दुनिया में सरकार भी शामिल है और और लोग भी शामिल हैं।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १२१७

तहसील असींद के लिए सेटलमेंट ऑफिसर भीलवाड़ा द्वारा प्रस्तावित लगान दर

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Minister for Revenue be pleased to answer :—

[a] Has the Settlement officer, Bhilwara, proposed any rent rates for Tehsil Asind ? If so, when and what ?

[b] Is the Government aware that large amounts have been recovered from the Kisans of this Tehsil as advance rents during the Kharif crop in the current agricultural year (1953-54) ?

[c] Is the Government aware that Revenue Officials are demanding further advanced rents as Rabi instalments when the previously recovered advance rents are even more than the proposed final rent rates for the whole year ?

[d] Will the Government take steps to consider the demands of the Kisans of that Tehsil ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—(ए) जी हाँ। तहसील आसींद जिला भीलवाड़ा की रेन्ट रेट रिपोर्ट सरकार द्वारा १२. ६. ५४ को मन्जूर की जा चुकी है। मन्जूर शुदा रेट स्टेटमेंट में संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिए)

(बी) कच्ची तहसील गाँवों में एडहाक (Adhoc) रकम खरीफ की फसल की पेशगी के रूप में ली गई थी।

(सी) चूंकि अब पर्चों का वितरण हो रहा है; खरीफ की फसल पर वसूल की गई एडहॉक रकम नई रेट के अनुसार एडजस्ट कर ली जायगी।

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

(डी) किसानों की वाजिब शिकायतों पर मुनासिब कार्यवाही की जायगी।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि रबी के लिए भी एडहॉक वसूली की शुरूआत हो गई है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इसका उत्तर (सी) में मिल चुका है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या पर्चों के मुताबिक पुरानी रकमों को रख कर बाकी रकम का एडजस्ट करने के आदेश जारी हो चुके हैं?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—अगर एडजस्टमेंट के बारे में आदेश जारी नहीं हुए तो अब जारी कर दिये जावेंगे। मुझे पूरी तौर से याद नहीं है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १२१८

चाकसू तहसील के निवासियों द्वारा कस्बों में पड़ी बेकार भूमि को मण्डी बनाने की माँग

श्री नारायण चतुर्वेदी—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या चाकसू तहसील के निवासियों ने कस्बों में पड़ी बेकार जमीन को मन्डी बनाने की मांग की थी?

(ख) मण्डी बनाने सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र किस तारीख को तहसील में पेश हुए और कलेक्टर जयपुर के यहां कब आये?

(ग) अब तक उन पर क्या कार्यवाही हुई?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—(क) जी हाँ।

(ख) मन्डी बनाने के लिए दो प्लॉटस के लिए माँगें पेश की गई हैं। एक प्लॉट के लिए तहसील चाकसू में २२. ७. ५३ को प्रार्थना-पत्र पेश हुए। यह १७. ४. ५४ को कलेक्टर जयपुर के यहाँ भेजे गए। दूसरे प्लॉट के लिए १६. ७. ५३ को तहसील में प्रार्थना-पत्र पेश हुए। ये

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

१६. ८. ५३ को एस. डी. ओ. के पास पेश होने पर दुबारा तहसील में १६. ४. ५४ को जाँच के लिए लौटा दिए गए हैं।

(ग) पहले प्लॉट के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र कलेक्टरी जयपुर द्वारा एस. डी. ओ. के पास जाँच के लिए लौटा दिए गए। दूसरे प्लॉट के प्रार्थना-पत्र भी तहसील में दुबारा पूछताछ के लिए भेजे गए हैं।

श्री नारायण चतुर्वेदी—इस सिलसिले में इतनी देर क्यों हो रही है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इस प्रकार की जाँच हो रही है और जाँच करने के बाद ही बताया जावेगा।

श्री नारायण चतुर्वेदी—निर्णय कब तक हो जावेगा ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—जितना जल्दी हो सके प्रयत्न किया जावेगा।

प्रश्न संख्या १२१६

शिवदासपुरा में खाम गृहों की भूमि का किराया

श्री नारायण चतुर्वेदी—क्या राजस्व मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) शिवदासपुरा में क्या खाम मकानों की जमीन का किराया लिया जाता है ?

(ख) यह किस हिसाब से लिया जाता है ?

(ग) राजस्थान में अन्य कहाँ-कहाँ यह किराया लिया जाता है ?

(घ) सन् १९५० से सन् १९५३ तक कितने खाम मकान बने ? उनमें से खाम मकानों की जमीन का किराया वसूल हुआ और किसानों का नहीं हुआ ? जिनका नहीं हुआ उनके लिए क्या कार्यवाही की गई ?

(ङ) जो वसूल किया गया क्या वह वाजिब है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—(क) जी हाँ।

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

(ख) शिवदासपुरा ग्री. क्लास में रखा गया है। यहाँ पर १ आना फी १० गज खाम दुकानों की जमीन के लिए किराया वसूल किया जाता है और १ आना फी बीस गज खाम मकानों की जमीन का किराया लिया जाता है।

(ग) इस बारे में सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) सन् ५० में ६ खाम मकान बनाये गए।

सन् ५१ में ८ खाम मकान बनाए गए।

सन् ५२-५३ की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। इनमें से ५ का किराया वसूल हो गया है। बाकी में वसूली की कार्यवाही पटवारी द्वारा की जा रही है।

(ङ) जी हाँ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १२२०

इस वर्ष कोटा डिवीजन में शस्त्रों के लाइसेन्स-नवीनकरण में विलम्ब

श्री कुम्भारसिंह—Will the Chief Minister be pleased to state:—

1. Why an inordinate delay has occurred in the renewal of arms licenses in Kotah Division this year?

2. Is the Government aware of the inconvenience caused to licence-holders by not renewing their yearly licenses even after the lapse of six months of the year?

How is the Government going to compensate them?

श्री जयनारायण व्यास (मुख्य मन्त्री)—१. साधारणतः लाइसेन्स रिन्यू करने में अधिक समय नहीं लिया जाता है। अब राजस्थान में भारतीय शस्त्र विधान प्रचलित है अतः लाईसेन्स विषयक कार्यवाही उक्त विधान के अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार की जाती है। यदि किसी लाईसेन्स के कागजों में कथित नियमों की दृष्टि से कोई त्रुटि होती है तो वह ठीक करवानी पड़ती है और उस दशा में कुछ

[श्री जयनारायण व्यास]

विलम्ब होना अवश्यम्भावी है । फिर भी लाईसेन्स संबन्धी कार्य यथासंभव शीघ्र निपटाए जाते हैं। प्रश्नकर्ता यदि किसी लाइसेन्स विशेष के विषय में सूचना दें तो जाँच करके बतलाया जा सकता है कि अमुक लाइसेन्स को रिन्यू करने में विलम्ब क्यों हुआ ?

२. प्रथम तो अकारण विलम्ब होता नहीं है और किसी कारणवश हो तो किसी ने ऐसी असुविधा की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया नहीं है । यदि वास्तव में कोई असुविधा हो रही है तो सूचना देने पर सरकार उसका अवश्य प्रतिकार करेगी ।

३. उपरोक्त उत्तर से इस प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं रहती ।

श्री कुंभारसिंह—कोटा डिवीजन में किसी का भी लाइसेन्स रिन्यू नहीं किया गया है ।

श्री जयनारायण व्यास—दरअसल समझने में थोड़ी भूल हुई है । लाइसेन्स जो डिस्ट्रिक्ट के होते हैं उन्हें डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट मंजूर कर लेता है और उनको रिन्यू कर देता है, लेकिन सारे राजस्थान के लिए या भारतवर्ष के लिए लाइसेन्स हो तो उसको यहाँ पर भेजा जाता है । थोड़े दिन पहले ५०० के करीब लाइसेन्स के लिए कागजात आए थे वे यथा शीघ्र वापिस भेजे जा रहे हैं और भारत सरकार से भी कहा गया है कि लाइसेन्स देने की पद्धति में कुछ रद्दोबदल कर दें तो ज्यादा सहूलियत हो सकती है । यह नियम भारत शस्त्र विधान में है, इसमें किसी का चारा नहीं ।

श्री श्रीदास गोयल—जो भूतपूर्व रियासतों के लाइसेन्स हैं उनके लिए क्या किया है ।

श्री जयनारायण व्यास—जो भूतपूर्व रियासतें जिस डिस्ट्रिक्ट में आती हैं उस डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट उसे रिन्यू कर सकते हैं और अगर वह रियासत दो डिस्ट्रिक्ट में बंट गई है तो फिर उसके लिए चीफ सेक्रेट्री लाइसेन्स रिन्यू करता है ।

श्री हिम्मतसिंह कटरू—क्या यह सही है कि लाइसेन्स रिन्यू चीफ सेक्रेट्री ही करेंगे ?

श्री जयनारायण व्यास—मैंने यह साफ कहा कि डिस्ट्रिक्ट के भीतर हैं उनको तो डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट को रिन्यू करने का अधिकार है और जो डिस्ट्रिक्ट के बाहर या भारतवर्ष के लिए हों तो उसे चीफ सेक्रेट्री करेगा ।

श्री हिम्मतसिंह कटरू—डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट कोटा ने फिर यहाँ पर इजाजत के लिए क्यों भेजा ?

श्री जयनारायण व्यास—डिस्ट्रिक्ट के बाहर के होंगे।

श्री हिम्मतसिंह अटरू—डिस्ट्रिक्ट के थे तभी तो यह प्रश्न पूछा गया है ?

श्री जयनारायण व्यास—बहुत सारे लाइसेन्स पुराने राजस्थान के जो फोर्म थे उसमें भरे गए होंगे जो भारतीय संविधान के अनुसार नए फोर्म में भरने चाहिए थे। चूँकि उन्होंने नए फोर्म में नहीं भरे होंगे इसलिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने यहाँ पर भेज दिए हैं; उसको किसी प्रकार की तरमीम करने की पावर्स नहीं है।

श्री हिम्मतसिंह अटरू—इसके लिए ६ महीनों से ज्यादा समय हो गया है, क्या यह सुविधा है ?

श्री जयनारायण व्यास—इसमें विधान की जानकारी नहीं होने के कारण ऐसा हुआ है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १२२१

रावराजा उनियारा के निजी भवन में ठहरे तहसीलदार द्वारा ठिकाने का पक्ष लेना इत्यादि

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Ministr for Revenue be pleased to answer :—

[a] Is it a fact that the Tehsildar posted at Uniara is at present staying in the private building of the Rao Raja on no rent basis ?

[b] If so why ? Is the Government aware that the Tehsildar has not yet taken over charge of a considerable record of the Thikana and there is a danger of some of the records being tempered with ?

[c] Is it a fact that the staff of Thikana has been kept on Tehsil Headquarter as a result of which the cases are being decided in faveur of Rao Raja and against the peasantry ?

[d] Is the Government aware that most of the cases are still being decided by the Tehsildar in consultation with the Private Secretary to the Rao Raja and the Revenue Officer of the Thikana ?

Page No.27

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

[e] What steps Government propose to take in the matter ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—तहसीलदार उनियारा रावराजा के बिल्डिंग में नहीं रहते। वे दीगर जागीरदार (सूथड़ा) के मकान में किराए से रहते हैं।

(बी) चार्ज ले लिया गया है।

(सी) स्टाफ कुछ तो वहाँ रखा गया है और बाकी को बदल दिया गया है। कोई मुकदमें में पक्षपात नहीं किया जाता।

(डी) रावराजा के प्राइवेट सेक्रेट्री से कोई सलाह नहीं ली जाती और रेवेन्यु ओफीसर उनियारा में नहीं है।

(ई) यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह सही है कि चार्ज लेने के चार या ५ दिन बाद तक सील राव राजा उनियारा के कस्टडी में पड़ी रही।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यह बात मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या सरकार इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए जाँच करेगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—राव राजा की सील की हमें जरूरत क्यों पड़ी ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—चार्ज लेने के ४-५ दिन बाद तक तहसीलदार को सील उनके पास रही।

श्री अध्यक्ष—The Hon'ble Member from Uniara can reply.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं नहीं समझता कि यह संभव हो सकता है।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—रावराज साहब के पास......

श्री हरिकृष्ण व्यास—These questions can be addressed to me, Sir, and I am prepared to reply as many as they like.

श्री हिम्मतसिंह कटरू—क्या राव राजा साहब को गाँव से निकाल देने की इच्छा है ?

श्री जयनारायण व्यास—राव राजा साहब न तो गाँव से निकलेंगे, न कॉम्युनिस्ट बनेंगे।

प्रश्न संख्या ११२१

तहसील सांगोद तथा अन्ता (जिला कोटा) तथा तहसील बकानी और खानपुर (जिला झालावाड़) में फसल नष्ट होने के कारण कृषकों को सहायता

श्री भुझारसिंह—Will the Minister-in-charge of Agriculture be pleased to state :—

[a] Is it the intention of the Government to grant remission in land revenue to cultivators in the event of failure of crops due to natural calamities ?

[b] If so, why no remission has been granted to the cultivators in Tehsils Sangod and Antah in District Kotah and Tehsils Bakani and Khanpur in District Jhalawar where the crop was completely destroyed in some villages due to heavy hail-storm this year ?

श्री मोहन लाल सुखाड़िया—(अ) जी हाँ, इस बारे में नियम बनाये गये हैं। उसकी प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिए)

(ब) कमिश्नर कोटा से तजवीज पेश होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायगी।

एक सूचना और दे दूं कि इस सम्बन्ध में एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ तथा उसको कमिश्नर कोटा को रिपोर्ट के लिए रेफर कर दिया गया है।

श्री जुझारसिंह—रेमिशन के लिए कितने दिनों पहले आदेश पहुँच चुके थे ? अब तक क्यों नहीं किया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—काफी अर्से पहले किए गए थे। उनकी तरफ से रेमिशन के लिए प्रोपोज़ल्स नहीं आए।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—क्या सरकार ने कभी किसानों को रेम्युनरेट किया है ?

Page No.29

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—अभी क्या, ज्यादातर करती ही रहती है। जहां जरूरत होती है वहां उनको रेम्युनरेट किया जाता है।

श्री जुझारसिंह—क्या यह जानकारी में है कि उन किसानों से रेवेन्यु भी वसूल कर ली गई है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—रेमिशन नहीं हुआ होगा तो यह संभव हो सकता है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १२२१

वर्षा के समय झालावाड़ जिले में इस वर्ष तकावी की स्वीकृत

श्री जुझारसिंह—Will the Minister in charge of Agriculture be pleased to state :—

Why has the Government not sanctioned the Taccavi loans for the construction of wells and the purchasing of bullocks and other agricultural purposes in time in Jhalawar District this year?

Is it a fact that the loans were still being advanced at the end of June for the above purpose in Tehsil Khanpur District Jhalawar when the rains had already set in?

Will the Government adjust its policy to suit cultivators' convenience in the future?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मन्त्री)—सरकार ने तो तकावी की निश्चित रकम समय पर मन्जूर कर दी थी, इसका वितरण अभी हो रहा है।

जी हाँ, इसके लिए आवश्यक आदेश हैं कि तकावी वितरण में किसानों की आवश्यक सुविधाओं का ध्यान रखा जाय।

श्री जुझारसिंह—तकावी का अभी वितरण हो रहा है, क्या यह सही नहीं है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—तकावी कई प्रकार की होती है। उसके लिए हो सकता है कि

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

समय निकल गया हो। दूसरी तकावी जैसे खेत के इम्प्रूवमेंट, कुए की मरम्मत के लिए भी दी जाती है। वे टाइम-टाइम पर दी जाती रहती हैं। कुछ चीजों का समय निकल सकता है और कुछ की उपयोगिता रह सकती है।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या यह सही है कि तकावी देर से मन्जूर हुई ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यह सही है कि मन्जूर करने में देर नहीं हुई यह मैं निश्चय पूर्वक कह सकता हूँ। वहाँ अगर वितरण में देर हुई है तो आप मुझे जानकारी करा सकते हैं।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या यह सही है कि स्थानीय कलेक्टर ने जब तकावी माँगी तो वैधानिक आपत्ति डालकर समय निकाल दिया गया। किसानों को समय पर तकावी नहीं मिली और उनको परेशानी उठानी पड़ी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—कलेक्टर ने क्या माँग की हो और जिसमें वैधानिक आपत्ति डाली गई हो, मैं नहीं समझ सकता। हो सकता है कि ऐसा नहीं हो और आपत्ति उठाई हो।

श्री कंवरलाल जेलिया—बजट में इस मद से मन्जूर होगा या उस मद से और जिससे ट्रेजरी में अड़चनें आवें इसलिए इस प्रकार की आपत्ति हो ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मुझे इस प्रकार की जानकारी नहीं है। आप यदि इस संबंध में पूरी जानकारी देंगे तो मैं जानकारी करूंगा।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या राजस्थान सरकार को विश्वास है कि किसानों को समय पर तकावी दे दी गई और उससे उनको संतोष हो गया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—हर एक जगह हर किसान को बिना जानकारी के उसको तकावी दे दी गई है यह मैं दावा करूं, तो यह ठीक नहीं होगा। इसलिए मैं इस प्रकार की बात नहीं कर सकता।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या यह सही है कि राजस्थान विधान सभा के एक माननीय सदस्य ने इस सम्बन्ध में एक बाकायदा पत्र लिखा था ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—जी हाँ,

श्री कंवरलाल जेलिया—इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—समय पर तकावी बाँट दी जाय इसके लिए आदेश जारी किये गए।

(विराम)

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु—मेरे २२ जुलाई के प्रश्न का उत्तर बाकी है।

श्री अध्यक्ष—२ अगस्त को लिए जायेंगे।

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

सदन की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व में सदस्यों को सूचित करना चहता हूँ कि निम्नलिखित सदस्यों ने विधान सभा से उस समय तक के लिए जो उनके नाम के आगे निर्दिष्ट है अनुपस्थित रहने की प्रार्थना की है :—

श्री हंसराज आर्य	डि० नं० ५१	१६ जुलाई से २७ जुलाई तक
श्री विजयसिंह	डि० नं० १५८	२८ जुलाई से पूर्ण सत्र तक के लिए।

क्या सदन की अनुमति है कि उनको आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

राजस्थान भू-धारण विधेयक, १६५३ (अग्रेतर विचार-विमर्श)

श्री खेतसिंह—माननीय अध्यक्ष,..................

श्री अध्यक्ष—आप बोल चुके थे।

श्री खेतसिंह—मैं कल तो महज २० मिनट बोला था, एवं मेरा वक्तव्य जारी था।

कल मैंने अपने वक्तव्य में श्रीमन् के द्वारा सदन को बतलाने का प्रयत्न किया था कि जिस बिल पर आज हम डिस्कशन कर रहे हैं उसको काफी विचार के बाद, और सिलेक्ट कमेटी में

[श्री खेतसिंह]

काफी बहस के बाद आपके सामने रखा गया है, इसलिए मेरा यह खयाल है कि इस बिल को हमने अच्छे से अच्छा बनाने का प्रयत्न किया था और जो मेरे एक जोधपुर से आये मित्र ने यह आरोप लगाया कि यह बिल तो कतई प्रगतिशील नहीं है, उसको मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। जिस प्रकार से इण्डियन पार्लियामेंट ने कान्स्टिट्युशन तैयार करते वक्त, अन्य डेमोक्रेटिक नेशन्स के कोन्स्टिट्युशन्स को ध्यान में रखते हुए, अपने कोन्स्टिट्युशन को तैयार किया और हर आर्टिकल पर काफी बहस के बाद उसकी हर धारा को मन्जूर किया है उसी प्रकार से सिलेक्ट कमेटी में हमने भारत की सारी स्टेट्स के टिनेन्सी बिल को सामने रखते हुए और हर सेक्शन पर काफी ध्यान देते हुए इस टिनेन्सी बिल के क्लाजेज़ तैयार किये हैं, इसलिए कोरा यह कह देना कि इसको प्रगतिशील नहीं बनाया है, ठीक नहीं होगा। जहाँ तक पार्ट 'ए' स्टेट्स के टिनेन्सी बिल्स को मैंने देखा हैं, मैं कह सकता हूँ कि उनसे कहीं बहतर यह अपना टिनेन्सी बिल तैयार किया गया है। हमने इस बिल में प्रारम्भ से अन्त तक हर मुद्दे पर यह देखने की कोशिश की है कि हर प्रकार से एक काश्तकार को पूरी राहत मिले। आप यदि राजस्थान के पाँच वर्ष से पहले के काश्तकार को ध्यान में लायें तो आपको मालूम होगा कि उसके कोई हक-हकूक उसकी जमीन पर नहीं थे। वह महज उस पर काश्त करता है, चाहे उसका उस जमीन पर पुश्तानी कब्जा हो, यह समझा जाता था और जागीरदार उसको जमीन से बेदखल कर सकते थे। चाहे उसने उस जमीन पर भारी इम्प्रूवमेन्ट क्यों न किया हो, उसको भी जागीरदार ले लेते थे। दरख्तों पर भी किसान का अधिकार नहीं था और वह महसूस करता था कि न मालूम किस वक्त यह जमीन उससे छीनी जा सकती है। आप आज के काश्तकार को देखिये। वह महसूस करता है कि वह जमीन का मालिक है, जिस जमीन पर वह खेती करता है वह उसकी है, उस पर उसका कब्जा है और वह उसके कब्जे में रहेगी। कोई भी उस जमीन को छीन नहीं सकता है, जो कोई वह इम्प्रूवमेन्ट करता है, काश्त को सुधारने के इम्प्रूवमेंट्स करता है वे उसके है और उसके द्वारा इम्प्रूव की हुई जमीन छीनी नहीं जा सकती है। दरख्त का वह मालिक होता है और उस पर किसी प्रकार से दूसरे का अधिकार नहीं हो सकता है। फिर यह कह देना कि यह तो वैसा ही टिनेन्सी बिल है जैसा कि पहले सामन्ती राज्यों में हुआ करता था, कोरा कह देना सरल है; लेकिन ठीक ढंग से, यदि इम्पार्शियल नजर से, पक्षपात रहित दृष्टि से देखें तो हम इस निश्चय पर पहुँचेंगे कि वास्तव में हमने प्रगति की है और प्रगति की ओर बढ़ते जा रहे हैं।

(श्री हिम्मतसिंह अटरू, सभापति, पदासीन)

हमने इस बिल के अन्दर सब लेटिंग को डिसकरेज किया है। हम नहीं चाहते कि सब लेटिंग में ज्यादा से ज्यादा जमीन दी जाय। सब लेट करने में काश्तकार हमेशा यह समझता है कि उसे टेम्परेरी टाइम के लिए जमीन दी गई है इसलिए वह कभी उस जमीन को इम्प्रूव नहीं करेगा और इससे फसल अच्छी पैदा नहीं होगी और इसमें प्रोडक्शन घट जायगा। अतः इसी प्रिन्सिपल को

[श्री खेतसिंह]

सामने रखते हुए इस सबलेटिंग को हमने डिसकरेज करने का प्रयत्न किया है, एक्सेप्शनल केसेज में सब लेटिंग की सहूलियत दी है। जैसे कोई व्यक्ति ईडियट हो, ल्युनेटिक हो एयर सर्विस में हो तो ऐसे केसेज में यह क्लॉज़ रखना लाजमी हो जाता है। इस तरह से हमने सब की तरफ न्याय करने का प्रयत्न किया है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह स्वयं के प्रति भी न्याय है ?

श्री खेतसिंह—मैंने आपकी बात को सुना नहीं जोर से कहिये ताकि जवाब दे सकूं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या यह आपके स्वयं के प्रति भी न्याय है ?

श्री खेतसिंह—(अपना भाषण जारी रखते हुए) मेरे प्रति का तो सवाल नहीं, किन्तु जनता के प्रति न्याय का सवाल है। जो कुछ किया गया है वह जनता के प्रति है और जनता के लिए ही न्याय किया है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या आप सारी जनता के रिप्रेजेन्टेटिव अपने को समझते हैं ?

श्री खेतसिंह—हम नहीं, यह सिलेक्ट कमेटी के मेम्बरान की बात है। मैं आपकी तरह से गलतफहमी में नहीं हूं कि अपने आपको सारी जनता का लीडर मान लूं।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—माननीय सदस्य कौनसी केटेगरी में आते हैं ?

श्री खेतसिंह (अपना भाषण जारी रखते हुए)—कोई से सदस्य ..से... यह आप मुझ से क्यों कहलवाते हैं, खुद ही जान सकते हैं। इसके अलावा इस बिल को बनाते वक्त में यह भी ख्याल रखा गया कि राजस्थान की भौगोलिक परिस्थिति विचित्र है। इसमें एक ओर कोटा डिविजन है, जहाँ पर काली मिट्टी है, जहाँ अच्छी फसल पैदा होती है, दूसरी ओर जैसलमेर और जोधपुर का पश्चिमी हिस्सा है और बीकानेर की लूणकरनसर तहसील है। इन सब इलाकों का खयाल रखते हुए हमने इस बिल में कुछ मियाद बढ़ाई है, हालांकि दूसरे टिनेन्सी लॉज़ में बारानी इलाके के लिए ७५ एकड़ जमीन रखी गई है, किन्तु हमने बारानी इलाके में हमारे यहाँ ९० एकड़ जमीन रखी है। इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए जहाँ ऐसा इलाका है, जहाँ शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है, जहाँ पर एक साल काश्त होती है और दूसरी साल काश्त नहीं होती; इन बातों का भी ख्याल रखा गया है और इसी बात को ख्याल में रखते हुए ७५ से बढ़ा कर ९० एकड़ की मियाद बढ़ायी गई है।

[श्री खेतसिंह]

इसके अलावा जो मेरे जोधपुर से आये हुए मित्र ने बात कही, जो दलील दी कि तीन से पाँच साल का जो अर्सा बढ़ा दिया है वह एक विचित्र बात है। जहाँ तक मैं समझता हूँ उनको देहात का अनुभव नहीं है। यह मानी हुई बात है कि अगर हम किसी को एक साल के लिए या दो साल के लिए किसी जमीन को सबलेट करदें तो टिनेन्ट यह समझता है कि मैं तो इस पर एक ही फसल बोऊँगा इसलिए मैं इसको इम्प्रूव क्यों करूँ ? इस तरह से उस जमीन को इम्प्रूव करना तो दूर रहा उसे हर तरह से बर्बाद करने की कोशिश की जायगी। कई जगह ऐसा होता है कि जहाँ रोटेशन से क्रॉप्स होती हैं, जो हमेशा डेफीसिट रहने वाला एरिया है, जहाँ एक साल काश्त होती है और दूसरे साल न होने की वजह से सारे साल भर नुक्सान की संभावना है; इसी से पाँच साल का पीरियड रखा गया है ताकि सबलेट होने पर उस टिनेन्ट को भारी नुक्सान न उठाना पड़े।

इसके अलावा हमने जागीरी एरिया ज्यादा होने की वजह से हमेशा जो एक प्रकार की तकलीफ काश्तकारों को होती थी, वह यह है कि काश्तकारों को रसीदें वगैरह नहीं मिला करती थीं, इससे उनके सेटलमेंट के रिकार्ड दर्ज करते वक्त में डिफिकल्टी महसूस होती थी, उसके लिए हमने इस बिल में साफ तौर से यह रखा है कि तहसील हैड क्वार्टर पर रसीदें मिलेंगी। काश्तकार उन रसीदों को बता कर रेकर्ड ऑफ राइट्स में नाम दर्ज करा सकता है। खातेदार यदि न दे या देने से आनाकानी करे या किसी प्रकार की गड़बड़ी करने की कोशिश करे तो तहसीलदार से रिपोर्ट करके हासिल कर सकते हैं। इस तरह से जमीन का मालिक काश्तकार होगा, जागीरदार नहीं।

इसके अलावा इनहेरेन्ट रेन्ट कायम करने के बारे में, हालां कि दूसरी जगह तहसीलदारों को अधिकार है हमने खास तौर से वे अधिकार एस. डी. ओ. के हाथ में न रखकर ये पॉवर कलेक्टर को दिये हैं; क्योंकि कलेक्टर ज्यादा रेस्पोन्सिबल होता है। इससे काश्तकारों को नुक्सान उठाना न पड़ेगा और दूसरे जो पावर्स हैं उनको हमने तहसीलदार और असिस्टेंट कलेक्टर दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। यदि डिसेन्ट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स होगा तो किसी प्रकार का नुकसान काश्तकारों को उठाना नहीं पड़ेगा। नहीं तो हर और हर एक काम के लिये डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर की ओर भागना पड़ता है। इस तरह से शुरू से लेकर आखिर तक इस बात का प्रयत्न किया गया है कि राजस्थान के काश्तकारों को ज़्यादा से ज़्यादा फेसिलिटीज़ मिलें। जागीरी एबोलिशन के बाद में जब कि एक जागीरदार भी काश्तकार की तरह से हो जाता है तो उसका भी इसमें ध्यान रखा गया है। जागीरी एबोलिशन के बाद एक खुदकाश्त जागीरदार भूस्वामी खातेदार टिनेन्ट बन जायगा तो इस कानून के बाद में उसका पजेशन हो जायगा उस भूमि पर। इस प्रकार के प्रयत्न इस कानून द्वारा किये गये हैं कि जो पुराने खातेदार और गैर खातेदार टिनेन्ट्स हैं राजस्थान में उनको हर प्रकार की सहूलियतें मिलें ताकि हमारा प्रान्त दिन प्रतिदिन ज्यादा तरक्की की ओर बढ़ सके।

श्री श्यामलाल गोयल—माननीय चेयरमेन, राजस्थान बनने के बाद समय समय पर काश्तकारों के फायदे के लिए कानून बनते रहे हैं। रेकरेन्टिंग था उसके रोकने के लिए कानून बना।

[श्री श्यामलाल गोयल]

लटाई जहां ज्यादा थी उसको रोकने के लिए कानून बना और छठा हिस्सा किया गया, लेकिन आज तक यहाँ के काश्तकारों के लिये कोई कानून नहीं बना जो इस कानून का मुकाबला कर सके। यह राजस्थान बनने के बाद बहुत जरूरी था कि राजस्थान की जन-संख्या जिसमें ८० प्रतिशत से ज्यादा काश्तकार है, उनके फायदे के लिये कोई कानून बनाया जाय। इसीलिये यह बिल सदन के सामने पेश हुआ है। इसी प्रकार का एक कानून सन् १९५२ में पेश हुआ था, किन्तु उसमें किसानों की बहबूदी के लिये कोई खास प्रोविज़न्स नहीं थे इसलिये उसको वापस लिया गया और आज प्रवर समिति द्वारा ठीक किया हुआ बिल सदन के सामने आया है। इस बिल में हमें देखना यह है कि क्या काश्तकारों को इस बिल से फायदा है? इसी पोइन्ट को मद्देनजर रखते हुये हमें देखना है कि इस बिल में क्या-क्या प्रोवीजन्स दिये हुये हैं; यह बिल दो तरह के काश्तकारों को प्रोवाइड करता है, एक तो खातेदार और दूसरे गैर खातेदार। अभी तक जितने भी टिनेन्सी एक्ट थे उनमें गैर खातेदार काश्तकारों के लिए कोई राइट नहीं था। इस बिल में गैर खातेदार काश्तकारों को इक्वल राइट्स दिए गए हैं। इसके अलावा सक्सेशन राइट हैं, जब तक कोई विशेष सूरत न हो खातेदारी के हक से वन्चित नहीं किया जा सकता सिवाय रेवेन्यूज़ के एवज में बेदखल नहीं किया जा सकता। इससे बहुत से गैर काश्तकार जो हैं उनको भी बेदखल नहीं किया जायगा। इस तरह से बहुत बड़े बड़े राइट इसमें दिए गए हैं। इसके साथ साथ सब टिनेन्ट को भी राइट दिए गए हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण प्रोविजन इस बिल में है। वह है विलेज सरवेन्ट्स के राइट के मुत्तल्लिक। अब तक क्या होता था कि जितने भी बड़े बड़े जागीरदार हैं उनके यहाँ विलेज सरवेन्ट्स हुआ करते थे, उनको यह अधिकार था कि वे चाहे तो उनको सर्विस में रखें या निकाल दें। उनको उनकी सर्विस की एवज में तनखा न दी जाकर भूमि दी जाती थी, जिस पर वे काश्त करते थे और अपना निर्वाह करते थे। और जब वे सर्विस से हट जाते थे तो उनकी जमीन वापिस ले ली जाती थी। इस तरह से उन्हें अपने जीवन-निर्वाह के साधनों से वन्चित कर दिया जाता था। आज इस बिल में उनके हकों को सुरक्षित रखा गया है। वह इस प्रकार कि, जो जमीन विलेज सर्विस में उनके पास थी, जिस पर वे काश्त किया करते थे वे उसके खातेदार टिनेन्ट हो जावेंगे। अगर नौकरी से अलहदा हो जावें तो इसके बाद भी उनको खेती-घर टीनेन्ट की हैसियत से रेन्ट मुकर्रर हो जावेगा और वे खातेदार टिनेन्ट हो जावेंगे।

एक दूसरा महत्वपूर्ण प्रोवीजन इस बिल में किया गया है, वह है ठेकेदार और इजारेदार के लिए। उनके लिए यह कहा जा सकता है कि ये मिडिल मेन हैं और इनको कोई प्रोत्साहन देना ठीक नहीं। जहाँ तक हो सके सीधा सम्बन्ध काश्तकार और सरकार में हो, इससे सबसे कम काश्तकार परेशान होता है और उसकी तकलीफें जल्दी से जल्दी रफा हो सकती हैं। ये मिडिल मैन हैं इनको डिस्करेज करने के लिए हर तरह के प्रतिबन्ध इस बिल में इन पर लगाए गए हैं और सबसे बड़ा जो प्रतिबन्ध लगाया है वह इस बात पर है कि अगर किसी इजारेदार या ठेकेदार को इल्लीगली भी रिजेक्ट कर दिया जावे तो उस सूरत में उस इजारेदार या ठेकेदार को कब्जा लेने का हक रहेगा नहीं।

[श्री श्यामलाल गोयल]

इजेक्टमेन्ट के ग्राउन्ड पर वह कम्पेन्सेशन माँग सकता है और उसको कम्पेन्सेशन दिया जा सकता है। तो ऐसा इस बिल में प्रोविजन करके यह बतलाया गया है कि काश्तकार और सरकार के बीच में मिडिल मैन जहाँ भी आवें उनको ज्यादा से ज्यादा डिस्करेज करना है और उनको हर तरह से प्रतिबन्धों में रखना है और उनके ट्रांसफर वगैरह को जहाँ तक हो सके रोकना है।

इस बिल में जहाँ यह एक कन्सोलिडेटिंग बिल है वहाँ यह भी है कि जितने भी पहले के कानून इस सम्बन्ध में थे उनका भी इसमें पूरा-पूरा समावेश किया गया है। सन् १९५० में एक ऑर्डिनेन्स पास हुआ था 'टीनेन्सी प्रोटेक्शन ऑर्डीनेन्स' और उसके मातहत किसान को यह सुविधा दी गई थी कि किसी भी जमीन पर अगर वह काबिज है तो उसको वहाँ से बेदखल नहीं किया जावेगा और विदनि थ्री मन्थस (तीन माह में) उनका दावा करने का अधिकार था। यह प्रोविजन इसमें भी है।

एक रेमिडी तो समेरी रेमिडी होगी। अगर कोई भी काश्तकार अपनी जमीन से बेदखल कर दिया जावेगा तो उसको हक होगा इसके मातहत कि वह तीन महीने में वहाँ अपने कब्जे की बिना पर दावा करे और उसको कब्जा वापिस मिल जावेगा।

दूसरा हक यह होगा कि वह यह समेरी रेमिडी न करके एक ऑर्डिनरी दावा करे और उसको अपनी जमीन पर कब्जा मिल सकता है। ऐसा प्रोविजन सिविल कोर्ट में भी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के दफा ९ में है कि अगर ६ महीने में, एक शख्स बेदखल हो जावे तो वह समेरी रेमिडी में अपने पजेशन का दावा कर सकता है। तो इस तरह अगर एक काश्तकार बेदखल हो जाता है तो उसको बहुत ज्यादा राहत मिलने का इसमें प्रोवीजन किया गया है।

इसी तरह जो दूसरे ऑर्डिनेन्स और एक्ट्स राजस्थान सरकार ने पास किये थे रैक रेन्टिंग को रोकने के लिए, उसका समावेश भी इसमें किया गया है और दो तरह की सीलिंग इसमें मुकर्रर की गई हैं। एक सीलिंग तो जमीन के एरिया के मुतल्लिक है कि कितना एरिया ज्यादा से ज्यादा हो सकता है और उसको ६० एकड़ मुकर्रर किया है, और दूसरा यह है कि कितना ज्यादा से ज्यादा लगान लिया जा सकता है। एक शख्स अगर दूसरे से लालच में ज्यादा लेना चाहे तो इसको भी मुकर्रर कर दिया गया है। तो स्पष्ट रूप से इस बिल में किसान की बर्बादी और किसान से बहुत ज्यादा रेन्ट लिये जाने को, दोनों को रोक दिया है।

गैर खातेदार, सब टिनेन्ट और अन्य काश्तकार के लिए खातेदारी को हासिल करने के इसमें बहुत महत्वपूर्ण राइट्स दिये गये हैं। एक खातेदार टिनेन्ट, एक गैरखातेदार टिनेन्ट और एक सब टिनेन्ट, उनको खातेदारी के हक देने के लिए एक मुआवजे का भी इस में निर्धारण किया गया है।

[श्री श्यामलाल गोयल]

इसको देने पर वे राइट्स मिल सकेंगे। वे राइट्स भी मुकर्रर कर दिये गये हैं और उसका तरीका भी मुकर्रर कर दिया गया है। कम्पेन्सेशन भी निर्धारित कैसे किया जावेगा और कलेक्टर कैसे करेगा; इसके लिए यह है कि ऑब्जेक्शन सुने जाकर और सारी जरूरी चीजों को सुना जाकर, उन पर कन्सिडर किया जाकर बादमें वह मुकर्रर होगा और इसमें यह भी समावेश कर दिया गया है कि अगर सब टिनेन्ट अपनी मियाद से बाहर, जहाँ उसको ५ साल तक रहने का अख्तियार है, इस मियाद के बाद उस को यह हक हाँसिल होगा कि वह खातेदारी राइट्स एक्वायर करे। यह काश्तकार के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रोविजन इसमें है और वह है उनको इजेक्ट करने का सिविल कोर्ट की डिग्री से। किसी भी सिविल कोर्ट की डिग्री में उनके मवेशी व जमीन कुर्क नहीं हो सकतीं।

यह बहुत महत्वपूर्ण प्रोविजन है। इसका मतलब यह है कि कोई काश्तकार जिसके पास जमीन है वह अगर अपना लगान वक्त पर देता रहे तो उसको कहीं भी किसी हालत में कोई बेदखल नहीं कर सकता। पर यह सवाल भी जरूरी है कि अगर एक काश्तकार अपनी जमीन का लगान नहीं देता है और इस पर कोर्ट से डिग्री हो जाती है तो उसके मवेशी व जमीन कुर्क नहीं की जा सकती। डिग्री हो जाने की सूरत में उसकी जमीन नीलाम हो सकती है, पर उस नीलामी के सिलसिले में जो भी प्रोविजन इसमें है वह काश्तकार के हित के लिए है। यह प्रोवाइड किया गया है कि सबसे पहले साझी खातेदार काश्तकार को वह मिलेगी, फिर सब टीनेन्ट को मिलेगी और फिर वह उसी गाँव के विलेजर को मिलेगी। इस तरह का प्रोवीजन है। जमीन नीलाम होते वक्त इस बात का पूरा खयाल रक्खा गया है इन प्रोविजनों में कि जमीन भूमि को जोतने वाले को ही मिले और उनको मिले जिनको मिलने का हक है। इसके लिए यह कहा जा सकता है कि वह टिनेन्ट कहीं बाहर न जावे। इसके लिए काफी तौर से प्राविजन किया गया है।

तो इस नुक्तेनजर से इस बिल को देखा जावे तो यही कहा जा सकता है कि यह बिल आज के काश्तकार को ज्यादा से ज्यादा राहत पहुंचाने के लिए इम्पोर्टेन्ट मेजर है।

साथ ही में यह निवेदन करना चाहता हूँ कि कुछ प्रोविजन ऐसे भी इस बिल में हैं कि जिनके लिए मुझे यह कहना पड़ेगा कि वे इतने अच्छे नहीं हैं जितने कि वे होने चाहिये थे। मैं एक स्पेसिफिक इन्स्टान्स इसमें देना चाहता हूँ। रेन्ट के लिए एक सेक्शन रक्खी है और इसमें यह है कि अगर रहन कभी रक्खा जावे तो उसकी मियाद बीस साल है और इसके बाद वह रहन अपने आप इन्तफात हो जावेगा, देना-लेना नहीं पड़ेगा। मुझे दुख है कि यह जो प्रोविजन किया गया है वह सेटिस्फेक्टरी नहीं है। अगर राजस्थान सरकार को काश्तकारों कीबेहबूदी मन्जूर है तो उसमें यह प्रोविजन होना चाहिये था कि रहन सिर्फ काश्तकार को दिया जा सकता है। आज इस प्रोविजन में इस रहन के मामले में एक जनरल प्रोविजन करके सरकार ने यह खुली छूट दे दी है कि जमीन रहन हो सकती है चाहे जिस शख्स को। और इस तरह से काफी जमीन उन मनी लेण्डरों शाइलोकों के पास चली जावेगी और बेचारे काश्तकार बगैर जमीन के रह जावेंगे। इसके लिए यह जरूरी था कि शुरू में यह प्रोवाइड किया जाता कि इस बात का लिहाज रक्खा जावेगा कि यह काश्तकार को ही रहन रक्खी जा सकती है, किसी दूसरे को नहीं।

[श्री श्यामलाल गोयल]

एक दूसरा प्रोविजन इसमें है जिससे सेल और गिफ्ट के अख्तियार दिये गये हैं। मैं यह समझता हूँ कि सेल और गिफ्ट के जो अख्तियार दिये गये हैं वे सीलिंग तक के मुकर्रर किये गये हैं। उस सीलिंग तक गिफ्ट और सेल की जा सकती है और इससे ज्यादा अगर की जावे तो कलक्टर से मन्जूरी की जरूरत है। पर मेरे खयाल में इतना बड़ा अख्तियार जो काश्तकार को दिया गया है वह समझमें आने वाला नहीं है। एक तरफ तो सरकार काश्तकार को बचाती है और यह राहत पहुँचाती है कि उनकी जमीन किसी भी सिविल या सिविल कोर्ट डिग्री में कुर्क न हो और साथ ही अगर ऑक्शन भी हो तो किसी काश्तकार को ही हो और दूसरी तरफ सरकार इतने बड़े अधिकार इस प्रोविजन से किसान को दे रही है कि वह अपनी जमीन को बेचे। पर बावजूद इसके दूसरी बात और है जिसको भी कन्सीडर किया जाना चाहिये और वह यह है कि इस अख्तियार को देने से जो सीलिंग सरकार मुकर्रर कर रही है वह बिलकुल ठीक नहीं है। कुछ काश्तकारों के पास जिनके पास ५०० बीघा जमीन है पर उसके लिए ६० एकड़ की सिलिंग मुकर्रर कर दी, उसके चार लडके हैं तो वह अपनी जमीन को गिफ्ट करके अपने चार लड़कों में वितरण कर देगा और इसका नतीजा यह होगा कि लेण्ड लेस टिनेन्ट के लिए तो वह जमीन नहीं मिल सकती और इस तरह की एक नई तरकीब या रास्ता पैदा हो जावेगा जिससे अपने भाई, पुत्र, पौत्र आदि को जमीन गिफ्ट में दी जाकर सिलिंग का हिसाब बराबर बिठा लिया जावेगा और अन्त में नतीजा इसका यह होगा कि लैण्डलेस टिनेन्ट को जमीन देने की सरकार की जो मंशा है उसके अनुसार लेण्डलैस टिनेन्ट को जमीन नहीं मिलने पावेगी। तो इसलिए मेरी यह अर्ज है कि गिफ्ट और सेल का जरूर नियन्त्रण होना चाहिये कि सेल या गिफ्ट किसको किस सूरत में कब दी जा सकती है।

एक प्रोवीजन इसमें किया गया है खातेदार टिनेन्ट्स के लिए। खातेदार टिनेन्ट्स के लिए यह किया गया है जिस रोज से यह एक्ट लागू हो उसी रोज से जितने आदमी जमीन पर काश्त करते हों वह सब खातेदार टिनेन्टस गिने जायेंगे। यह प्रोविजन, मेरे खयाल से, उपयुक्त नहीं है जिस हालत में है, इसका कारण यह है कि मैं फॉर्मर जयपुर युनिट को लेता हूँ जहाँ का मुझे अनुभव है कि यहाँ पर दो तरह की जमीनें हैं। एक तो है खातेदारी की जमीन और एक सिवाय चक की जमीन। सिवाय चक की बहुत सी जमीन ऐसी है कि जो पड़त पड़ी हुई थीं और बिला सरकार की इजाजत के लोगबागों ने उस पर कब्जा कर लिया और कब्जा करने की सूरत में सरकार बराबर उनसे लगान वसूल कर रही है सवाया, और जिन लोगों ने इस तरह से अनलाफुली पजेशन कर लिया है उस जमीन का उनसे सरकार लगान वसूल कर रही है। वह टिनेन्ट्स की हैसियत में आजाते हैं और टिनेन्ट्स की हैसियत में आते ही खातेदार टिनेन्ट्स बन जाते हैं। इसके करने का नतीजा यह हुआ कि वह खातेदार टिनेन्ट्स हुआ और जो लेन्ड लेस टिनेन्ट हैं और जिनको कि प्रोवाइड करना है उन लोगों को काफी जमीन देना है, उनके लिए काफी जमीन नहीं रहेगी और जो शख्स जबरदस्ती जमीन पर कब्जा करने वाले हैं सरकार द्वारा इस कानून के मातहत उन लोगों को मालिक बना दिया जायगा। यह जो प्रोविजन है इसमें सुधार की जरूरत है।

Page No.39

[श्री श्यामलाल गोयल]

एक खास बात जिससे कि इस बिल को रिट्रोग्रेड समझता हूँ वह फॉर्मर जयपुर यूनिट में पट्टेदार टिनेन्ट्स के मुतल्लिक है। जयपुर टिनेन्सी एक्ट के मुताबिक तीन तरह के काश्तकार रखे गये थे, पट्टेदार खातेदार और गैर खातेदार, और इन तीनों के अलग-अलग राइट्स थे। पट्टेदार जो था वह अपनी जमीन को जितने समय के लिए चाहे सबलीज़ कर सकता है। अपने पट्टे की जमीन में जो भी दरख्त हैं उन दरख्तों को बेच सकता है, जिस तरह चाहे वह डील कर सकता है और ट्रान्सफर के लिए इस बिल में जो प्रोविजन है उससे ज्यादा अख्तयारात उनको दिये गये थे, लेकिन इस बिल में पट्टेदार टिनेन्टस को हटा दिया गया है और हटा कर उनको खातेदार टिनेन्ट्स की केटेगरी में लाया गया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि वह पट्टेदार टिनेन्ट्स के साथ अन्याय है कि उनको जो पहले से अख्तयारात मिले हुए हैं उन अख्तयारात को उनसे छीना जा रहा है। मेरे खयाल में यह अन्याय कॉन्स्टीट्यूशन के खिलाफ भी जाता है। किसी भी शख्स को किसी तरह के राइट्स से, किसी तरह की प्रोपर्टी से बेदखल नहीं किया जा सकता है जब तक कि कम्पेनसेशन नहीं दिया जा सके। दूसरे उन्होंने नजराना देकर जमीन का पट्टा हाँसिल किया है तो उस जमीन पर उसके कुछ हकूक भी हैं। उन हकूकों को छीना जा रहा है और उसको मुआवजा कुछ नहीं दिया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि यह संविधान के खिलाफ है। पट्टेदार टिनेन्ट्स के लिए कोई प्रोविजन इस एक्ट में नहीं किया गया है, यह बिल्कुल ठीक नहीं है। सरकार को अगर पट्टेदार टिनेन्ट्स को नहीं रखना था तो जो नजराना मनी उन्होंने लगाया था और जिसकी वजह से उनको अधिकार दिया गया था तो उनका नजराना मनी उनको वापिस करने का इसमें प्रोविजन करना चाहिए था ताकि उन पट्टेदार टिनेन्ट्स जिन्होंने कि नजराना दिया था और खातेदार टिनेन्टस जिन्होंने कि नजराना नहीं दिया है, एक ही केटेगरी में रखे जाँय तो उनके साथ अन्याय न हो।

इसी तरह इसमें सब टिनेन्ट्स के लिये पाँच साल की मियाद रखी गई है। लेकिन एक बात का बिल्कुल खयाल नहीं रखा गया है कि सन् १९५० में जिस वक्त कि टिनेन्ट्स प्रोटेक्शन ऑर्डिनेन्स जारी हुआ था तो उस वक्त जो भी जमीन पर काबिज था उसके लिए यह प्राविजन डेफिनिटली बना दिया गया था कि वह किसी भी हालत में जमीन से बेदखल नहीं किया जायगा। ऐसा प्रोविजन बना दिया गया था, इसलिए उसी के मातहत जो भी शिकमी या दूसरे शख्स जमीनों पर काबिज थे उनको हटाया नहीं जा सकता है। एक शख्स जिसने कि सन् ४७ में अपनी जमीन दूसरे के यहाँ शिकमी की तौर पर बतायी और सन् ५० में वह कानून पास हो गया। जब ५ साल की मियाद खत्म नहीं होती थी तो इस ५ साल के मुसलसिल में 'टिनेन्ट्स प्रोटेक्शन आर्डिनेन्स' के तहत जमीन से बेदखल नहीं कर सकते हैं। तो नतीजा यह होता है कि ७, ८ या १० साल हो गये और वह सब टिनेन्ट उस जमीन पर बराबर काश्त करता चला आ रहा है और आज जो एक्ट में प्रोविजन है उसके मुताबिक ५ साल की मियाद रखी गई है; इसके बाद शिकमी काश्तकार को अख्त्यार होगा कि वह खातेदारी राइट्स ले ले। एक तरफ ऐसा कानून बना दिया और दूसरी तरफ उसका कोई भी खयाल नहीं रखा है। वह एक काश्तकार के हक को छीनने के बराबर हो गया। मैं समझता हूँ कि

Page No.40

[श्री श्यामलाल गोयल]

इसके लिए प्रोविजन बिल्कुल डेफिनिट होना चाहिए और यह यह होना चाहिए कि जिस अर्से में 'टिनेन्ट्स प्रोटेक्शन आर्डिनेन्स' जारी रहा उस अर्से में जो भी जमीन पर काबिज रहा है वह टाइम लिमिटेशन या मियाद में शुमार नहीं होगा। इसी एक्ट में कई जगह और भी प्रोविजन्स किये गये हैं कि जहाँ कि बिल्कुल क्लियरली यह प्रोवाइड किया है कि जहाँ कि ऐसा हुक्म, स्टेट गवर्नमेंट ऐसा आर्डर कर दे तो यह टाइम शुमार नहीं किया जाय तो इसी तरह का प्रोवीजन होना बिल्कुल जरूरी है।

मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि यह जो बिल इस सदन में पेश हुआ है वह बहुत जरूरी है और बहुत महत्वपूर्ण है, और इसको कन्सीडर करते वक्त यह जरूरी है कि पूरे सदन का खयाल रखकर और जो जरूरी एमेन्डमेंट्स हों उसमें जरूर किये जाने चाहिए।

श्री सोहनलाल भटनागर—माननीय चेयरमेन, यह बिल बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बारे में दो राय नहीं हो सकती और इसी वजह से सिलेक्ट कमेटी ने भी काफी समय इसमें लगाया और काफी ध्यान के बाद इसको पास किया है।

टिनेन्सी एक्ट हमारे राजस्थान की कवेनेन्टिंग स्टेट्स के अन्दर अलग-अलग चले आ रहे थे। उनमें टेन्योर सिस्टम्स थे। उन सारों को इस कन्सोलिडेटेड एक्ट में लिया गया है और मुमकिन है कि इसमें कुछ ऐसी बातें रह गई हों जिनका समावेश नहीं हो सका है तो और भी कर लिया जायगा। लेकिन टेनेन्सी लॉ के बनाने में जो प्रगतिशील तत्व आज हमारे इस देश में हैं उनकी कहाँ तक पूर्ति कर सके हैं इस बात को मैं, चेयरमेन महोदय, आपके समक्ष, सदन के समक्ष, आपके द्वारा प्रस्तुत करना चाहता हूँ।

जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने बताया कि टिनेन्सी का मुख्य उद्देश्य यह होना चाहिए कि भूमि पर जो काश्त करता है वह भूमि का मालिक है। दूसरा यह है कि उसका टेन्योर फिक्स्ट हो और किसानों को संरक्षण मिले, लेन्ड लोर्ड्स उनको बेदखल नहीं कर सकें। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि इन तीनों ही उद्देश्यों की पूर्ति इस बिल में ठीक तौर से की गई है।

जोधपुर से आये हुए एक माननीय सदस्य ने बहुत सा कहा। इसका जो रिएक्शन, प्रतिक्रिया होने वाली है उसकी बहुत सी वजह बताई और भी बहुत सी दुःखद बातें उन्होंने बताईं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि उन्होंने सबसे पहले यह बताया कि ८० प्रतिशत जागीरी इलाका है और २० प्रतिशत जमीन खालसा के अन्दर हैं। मैं इस सिद्धान्त को, उनके इस कथन को, स्वीकार करता हूँ। और उसके बाद उन्होंने बताया कि इस एक्ट के सेक्शन १५ की सब-क्लॉज़ १४ के अनुसार ८० प्रतिशत किसानों को इसके अन्दर कोई राहत नहीं मिलेगी। वह खातेदार काश्तकार नहीं होंगे। मैं उन माननीय सदस्य को 'जागीर रिजम्प्शन एक्ट' के सेक्शन ९ की ओर तवज्जह कराना चाहूँगा। उसमें स्पष्ट है कि.—

"Every tenant in a jagir land, who at the commencement of this Act is entered in the revenue records as a khatedar, pattedar, khadamdar or under

[श्री श्यामलाल गोयल]

any other description implying that the tenant has heritable and full transferable rights in the tenancy shall continue to have such rights and shall be called a khatedar tenant in respect of such land."

तो माननीय चेयरमेन महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ८० प्रतिशत किसानों को राहत देने के लिये अमेन्डिंग बिल द्वारा क्लॉज़ ११ कतई ओमिट कर दिया गया है जिसमें लिखा हुआ था कि "No Khatedari rights in any jagir land shall be acquired under this Chapter until the application, if any, of the Jagirdar under Chapter IV for allotment of Khudkasht in that jagir land has been finally decided."

तो इस सेक्शन ११ को भी जब ओमिट कर दिया गया है और सन् ५२ में जब जागीर रिजम्प्शन ऐक्ट लागू किया गया था उस दिन से लागू कर दिया गया है तो मैं निवेदन करूंगा कि २ वर्षों में ८० प्रतिशत किसानों को खातेदारी राइट्स दे दिये गये हैं और अब इस एक्ट से खातेदारी राइट्स न देने का कोई प्रश्न नहीं रहता। अगर कोई ऐनामोली रह जाय तो क्लॉज़ १४ है, उससे हटाने में दो राय नहीं रहती।

दूसरी बात जोधपुर से आये हुये माननीय सदस्य ने जो रखी वह यह है कि 'खातेदारी राइट्स' एक्वायर करेंगे तो जमीन की कीमत देनी पड़ेगी। मैं अर्ज करूंगा कि केवल १० साल की जमीन की उपज लेने ही से काम नहीं चलेगा। जो सेक्शन १८ में दिया गया है उसके अनुसार क्युमिलेटिव इफेक्ट देखना पड़ेगा। न कि १० साल का एवरेज। इसमें इन्फेक्शनरी पीरियड भी रहा है और डिफ्लेशनरी पीरियड भी रहा है, उसका भी समावेश हो जायगा इसके बाद जो कीमत ली जायगी वह प्रिवेलेन्ट मार्केट रेट से कम होगी और जमीनदार को अधिक फायदा नहीं होगा। सबसे बड़ी बात इस बिल में रखी है वह क्लॉज़ ६० (बी) में है। १२ इन्स्टालमेन्ट्स में या १२ किश्तों में कीमत अदा करनी पड़ेगी। यदि आप जिस क्षेत्र में जमीन है उसको अधिक से अधिक एक बीघे की कीमत १००) रूपये आँकते हैं तो किसान से ३३) रुपये कम आँकी जायगी। मान लीजिये ७५) रु० एक बीघे की कीमत होगी और १२ इंस्टालमेंट में वह देनी है तो ६ रु० उसे देने होंगे और ६ वर्ष में वह खातेदारी राइट्स अख्त्यार करेगा। मामूली रेन्ट देकर या कुछ उससे अधिक रकम देकर खातेदारी राइटस अख्त्यार कर लेते हैं तो यह मानना होगा कि यह कितना बढ़िया क्लॉज़ है। हमारे विधान में भूमि-सम्बन्धी अधिकार या प्रोपर्टी राइटस दिये हुए हैं उसके अनुसार बिना मुआवजे के किसी की प्रोपर्टी को हम छीन नहीं सकते। हमारा जो विधान है उसको मानकर हमें चलना पड़ेगा उस वख्त तक कि वह तब्दील नहीं हो जाय। यह मुआवजा किस तरह से देना चाहिये, इसका समन्वय इसमें किया गया है। ऐसी हालत में यह कहना कि किसानों पर बड़ा भारी बोझ होगा, बड़ा भारी जुल्म होगा, वाजिब नहीं है। किसान रेन्ट की रकम देकर या उससे १० प्रतिशत अधिक देकर ही भूमि के मालिक बन सकेंगे। जिनको पहले न बेचने का अधिकार था, न मोर्टगेज करने का अधिकार था और जो हमेशा जागीरदारों के गुलाम थे वे इस बिल के द्वारा गुलामी से राहत प्राप्त करेंगे। माननीय मन्त्रीजी ने जो बिल सदन के सामने पेश किया है उससे मालूम होता है कि उन्होंने कितना प्रगतिशील कदम

[श्री श्यामलाल गोयल]

राज्य के नवनिर्माण के लिये उठाया है। जो लेजिस्लेशन हमारे यहां से पहले पास किये गये वे टेन्टेटिव फेज़ के थे। किसानों और जागीरदारों के बीच में बराबर जो झगड़ा चल रहा था उसको रोकने के लिये और टिनेन्टस को प्रोटेक्शन देने के लिये रेन्ट का छठे बाँटे का कानून पास किया गया था। लेकिन जब हम टिनेन्सी कानून पेश कर रहे हैं तो हमको देखना होगा कि सारे राज्य के रहनेवाले लोगों का इससे हित हो और उनके हितों का समावेश इसमें होता है या नहीं। यूटोपियन थ्योरी यह है कि किसान जो भूमि जोतता है उसको जमीन का मालिक बनाया जाय। ऐसे कई वर्गों के लोग हैं जिनका गुजर जमीन पर ही होता है। राजस्थान में जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनको मौका देना पड़ेगा कि वे या तो खुद खेती करें या उनके कब्जे में जो जमीन है उसको छोड़ दें। इंटेरिम पीरियड में मौका दिया है। यह बात नहीं है कि यह कानून आखिरी है और इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। या तो वे लोग खुद किसान बन जांय या भूमि छोड़ दें। कुछ सदस्यों ने बताया कि बेदखली के बारे में प्रोविजन इसमें रख दिया गया है और बेदखली रोकने के कानून को इसके जरिये किसी तरह समाप्त कर दिया गया है। मैं मानता हूँ कि कुछ ऐसी बातें रखी गई हैं जिनको यदि ठीक नुक्ते निगाह से नहीं देखा जाय तो एक व्यक्ति या एक सदस्य के मन पर इस बात का असर पड़ता है कि इजेक्टमेंट के कानून को खत्म कर दिया है और इससे जो टिनेन्टस का पजेशन था वह खत्म हो जायगा। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि यदि इसको ठीक दृष्टिकोण से देखा जाय तो पता चलेगा कि वास्तव में बात ऐसी नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इजेक्टमेंट कानून में पेमेंट के लिये दो साल की मयाद रखी गई है। दो वर्ष या उससे अधिक समय तक रेन्ट पे नहीं करे तो उस काश्तकार को जमीन से इजेक्ट किया जा सकता है। इसके बाद कोर्ट में डिक्री होने पर तीन महीने तक उसका एग्ज़ीक्यूशन नहीं हो तो बाद में नहीं हो सकता। एक सोलिटरी प्रोविजन यह है कि यदि पजेशन डिलीवर कर दिया जाय लेन्ड लोर्ड को तो एक महीने के बाद भी कब्जा वापिस ले सकता है। डेट्रीमेंटल एक्ट का बहाना करके कई लोग किसानों को बेदखल करेंगे यह बात कई लोग सोच सकते हैं। लेकिन यह भ्रान्ति गलत है। यदि एस. डी. ओ. चाहेगा तो हमेशा डिक्री में दर्ज करेगा कि डेट्रीमेंटल एक्ट के अंतर्गत एक महीना बाद भी रकम अदा कर दे तो डिक्री इनवेलिड रहती है।

इसके बाद १३० (बी) में नोन कल्टीवेशन का क्लॉज़ है। उसके अन्तर्गत इजेक्ट किया जायगा; लेकिन मैं कहूँगा कि नोन कल्टीवेशन तीन साल होगा तब बेदखल किया जा सकेगा। जो रेन्ट है उसे पे कर देंगे तो डिक्री का एग्ज़ीक्यूशन नहीं होगा। तो इस तरह सब लेटिंग के अन्तर्गत यदि वह सब लेटिंग कर देता है इस कानून के विरुद्ध, तो भी उसको इजेक्ट कर दिया जायगा ऐसा प्रोविजन है। लेकिन उसको देखकर भ्रान्ति नहीं होनी चाहिये। सबलेटिंग कानून के खिलाफ किया जायगा तो लेसी को अधिकार है कि खातेदारी राइटस का उपयोग कर दे। भूमि जोतनेवालों के हितों का इसमें समावेश है, फिक्सिटी ऑफ टेन्योर है और भी जितनी बातें हैं उनका इसमें पूर्णतया समावेश है।

हो सकता है कि मेरे माननीय सदस्य ने आपत्ति उठाई कि सरपंच को अधिकार दिया गया

[श्री श्यामलाल गोयल]

है, फिक्सिटी ओफ राइट दिया गया है वह गलत है, इससे लेन्ड होल्डर गलत फायदा उठायेंगे। परन्तु इसे काफी तादाद में समिति के सदस्य करेंगे। उन्होंने रखा है कि:

"(१) लिखित होना चाहिये।

(२) सरपंच का एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिये।

(३) खाद और बीज में अपना आधा हिस्सा हो।"

मिस्टर चेयरमेन, मैं माननीय सदस्य को बता देना चाहता हूँ कि उन्होंने तीन बड़े-बड़े सेफ गार्ड्स को रखा है, पर चौथे की बजाय छटा रखा जाय तो कोई बड़े प्लानिंग का कट ओफ हो, इसे देखना पड़ेगा।

इसके बाद सब लेटिंग तीन साल की बजाय पाँच साल कर दिया गया। सब लेटिंग को नहीं रखने के साथ यह ध्यान रखना है कि सब लेटिंग द्वारा हजारों-लाखों आदमी अपना जीवन-निर्वाह करते हैं। टिनेन्सी के बाद भी छठा बाँटा वसूल करेंगे, राजस्थान में भाव गिर रहे हैं छठे हिस्से का लगान देना भी मुश्किल हो जायगा।

सब लेटिंग से कोई नुक्सान नहीं होगा, नो प्रोफिट नो लोस के ऊपर यह होगा।

इसके बाद सवाई माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा कि हजारों लोगों का बिना किसी ओथोरिटी के जमीन पर कब्जा है। इस बारे में मैं निवेदन करूंगा कि यह उनकी भ्रान्ति है। इस बिल की सेक्शन १३३ में साफ है कि जो कोई बिना ओथोरिटी के कब्जा है तो वह ट्रेसपासर समझा जायगा और उसके इजेक्टमेंट में कोई रुकावट नहीं आयेगी।

मिस्टर चेयरमेन, मैं आपके द्वारा सदन को बता देना चाहता हूँ कि इस कानून के बनने के बाद राजस्थान के कृषकों के लिये नये युग का प्रारम्भ होगा और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हितकर प्रोविज़न्स किसानों के लिये रख रहे हैं उनका पालन कर सकेंगे।

छठे हिस्से की पाबन्दी रखी है, इससे हम किस तरह गरीबों को राहत दे सकेंगे? यदि इस सदन के सदस्य यहाँ से दृढ़ प्रतिज्ञ होकर जायं कि इस कानून में जो बातें रखी हैं उनका पालन करायेंगे तो यह कानून राजस्थान को आगे ले जायेगा।

श्री नाथूराम मिर्धा—माननीय चेयरमेन, आज पिछले दो दिनों से बहुत ही महत्वपूर्ण बिल के सिलसिले में बहस हो रही है, जिस पर इस सदन के बहुत से सदस्यों के साथ-साथ ही विरोधी पार्टी की तरफ से भी कई सदस्यों ने अपनी दृष्टि से बातें रखी हैं। खास तौर से विरुद्ध के एक जोधपुर से

Page No.44

[श्री नाथूराम मिर्धा]

आये हुए सदस्य ने इस बात को काफी विस्तृत रूप से रखा और टिनेन्सी के जो जनरल उसूल होते हैं इस बारे में कई पुराने टिनेन्सी बिल्स के इतिहास को बताते हुए कुछ फन्डामेन्टल उसूल बताये।

माननीय चेअरमेन, मैं यह बताना चाहूँगा कि जो टिनेन्सी बिल्स के बुनियादी उसूल होते हैं और जिनके ऊपर पुराने बहुत से पार्ट ए स्टेटों के टिनेन्सी बिल्स बहुत अर्से पहले बन चुके हैं उनको इस एक्ट को बनाते समय हमने भी ध्यान में रखा है। मैं आपके सामने यह बताना चाहूँगा कि हर टिनेन्सी बिल के बनाने से पहले जो जरूरी बातें होती हैं और वे किसानों के लिये, जो जमीन को जोतने वाले किसान हैं उनके हित में रखने की बात यह है कि किसान की जमीन जिसको वह जोतता है वही उस जमीन का मालिक हो, उसको इस बात का यकीन हो कि वह जमीन उसकी है और वह जमीन हमेशा उसीकी रहेगी। उसको उस जमीन से आसानी से जब तक कि वह कानूनी ऐसी भूल नहीं करे तब तक उसे उस जमीन से नहीं हटाया जायगा, जैसे कि लगान बहुत सालों तक नहीं देने का सवाल है।

जब किसान को तसल्ली हो कि वह जमीन उसकी और उसकी आल औलाद की रहेगी तो वह उस जमीन में तरक्की करता है, जमीन को बढ़िया से बढ़िया करने की कोशिश करता है, सूखी जमीन को मेहनत से और खाद देकर उपजाऊ बनाने की कोशिश करता है। इसलिये यह जरूरी है कि फिक्सिटी ओफ टेन्योर, हर टेनेन्सी बिल को बनाने में इस उसूल को रखा जाय। इस उसूल को इस टेनेन्सी बिल को बनाते समय बहुत अच्छी तरह ध्यान में रखा गया है।

मैं बताऊँ, हमारी राजस्थान की बहुत सी कोवेनेन्टिंग स्टेट्स में टिनेन्सी बिल्स थे। फिक्सिटी ओफ टेन्योर पहले से किसानों को कई स्टेटों ने दे रखा था, कुछ स्टेटों ने पिछले ३-४ सालों के अर्से में टिनेन्सी बिल बनाया, जोधपुर में सन् १९४८ में टिनेन्सी बिल का कानून बना था और दफा १० के माफिक ६ अप्रेल, १९४९ को जिस जमीन पर जो काबिज था उसे खातेदार करार दे दिया गया। जोधपुर से जो सदस्य आये हैं उन्होंने कहा कि इस एक्ट की सब क्लाज १५ के तहत में लिख दिया गया है कि जिन इलाकों में, जागीर के इलाकों में खुद काश्त की अर्जियाँ तय नहीं हो जायँ तब तक उन किसानों को उस जमीन का खातेदारी का हक नहीं मिलेगा।

इससे आगे एक प्रोविजो है, जहाँ पुराने खातेदारी के हक मिल चुके हैं। उनके हक डिस्टर्ब नहीं होंगे। परन्तु माननीय सभापति, जैसा मेरे पूर्व वक्ताओं ने जाहिर किया है यह कानून सिलेक्ट कमेटी के हाथों में उन दिनों में निकला था जब तक कि हमारा जागीर रिज़म्पशन अमेन्डमेंट एक्ट पास नहीं हुआ था। जागीर रिज़म्पशन एक्ट में ऐसी धाराएं थीं कि उन धाराओं को देखते हुए यह धारा रखना जरूरी था। जब वह पास हो चुका है तो हमने साफ तौर से धारा ११-१२ में देखते हुए प्रोविजन रखा था। उन धाराओं को हमने जागीर रिज़म्पशन अमेंडमेंट एक्ट पास करते समय हटा दिया और उसको हटाने के बाद यह महत्व नहीं रखती। जो किसान पहले से खातेदार हैं, पुराना हक है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। धारा ११-१२ खत्म की जा चुकी है तो इस धारा का महत्व नहीं है।

[श्री नाथूराम मिर्धा]

यह धारा भी अब डिलीट की जा सकती है जो कन्फ्यूजन, गलतफहमी उनके दिल में पैदा हुई वह अब नहीं रहनी चाहिये। हाँ। वो १४, और १५ हैं, १४ और १५ धाराओं को एक साथ पढ़े और पुराने टिनेन्सी एक्ट की धाराएं हैं उनको उनके साथ दृष्टिकोण में रखें और इस कानून को आप एक साथ पढ़ने बैठें और इसकी सब धाराओं को एक निगाह से देखेंगे तो हमको इस बात का कोई डर नहीं रह जाता कि किसान जिस जमीन पर काश्त करता है, वह उसका खातेदार नहीं है। जो शिकमी काश्तकार हैं या किसी खातेदार टिनेन्ट के शिकमी काश्तकार हैं उन लोगों को भी खातेदारी राइट्स ऐक दिन में नहीं मिलते, पर हम यह चाहते हैं कि उन लोगों को भी, जो पाँच–सात साल से, जब से टेनेन्सी एक्ट लागू हो, उन जमीनों पर काश्त करते रहे हैं व उन जमीनों में उन्होंने कहां–कहीं काफी सुधार किये हैं अगर उनको उस जमीन से हटा दिया जाता है तो यह एक प्रोब्लेम हमारे सामने बन जाती है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने इस कानून में यह रखा है कि शिकमी काश्तकार और खातेदारों के काश्तकारों को भी जमीन से बेदखल नहीं किया जावे और इन किसानों को भी कुछ मुआवजा देने के बाद में जमीन का मालिक मान लिया जावे। इसके लिये जोधपुर के एक सदस्य ने प्रोसीजर के बारे में कहा था, पर वह इतना अच्छा नहीं है। उसके बारे में तो यह हाउस अलग विचार कर सकता है और प्रोसीजर के तरीकों में और भी अच्छे सुझाव रखे जा सकते हैं, परन्तु यह उसूल मान लिया गया है कि शिकमी काश्तकार को भी कुछ मुआवजा देने के बाद खातेदारी का हक है। यह उसूल माना है। जब यह साफ हो जाता है कि जो किसान जमीन पर आज खेती करता है उसको भूमि से हटाने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। जब यह बात हमारे सामने साफ हो जाती है तो हर टिनेन्सी एक्ट का मोटा उसूल यह होता है कि किसान जमीन से बेदखल नहीं किया जावे और उस हालत में यह सब पूरा हो जाता है, किसी तरह की गड़बड़ नहीं रहती। टिनेन्सी एक्ट का फन्डामेन्टल सिद्धान्त ऐसा है कि किसान को इस बात का मालूम हो कि उसको जमीन का कितना लगान देना है। मैं आपको बताऊँ कि जिस समय राजस्थान की कई स्टेटों में टिनेन्सी एक्ट नहीं था वहाँ किसानों को यह पता नहीं था कि कितना लगान उनको देना है। समय–समय पर अलग–अलग तरह से जागीरदार लोग जैसा चाहते थे लगान लेते थे। कहीं-कहीं पर आधा हिस्सा भी मौजूद था और इसके अलावा भी कई तरह की उन पर लाग-बागें मौजूद थीं। किसानों पर कहीं-कहीं १०० मन में से ८० मन तक धान जागीरदार ले लेते थे और किसान को देना पड़ता था। उनके पास केवल २० मन ही रहता था और जो लाग-बागें ली जाती थीं वे बिना नाप की थीं। नाप भी नहीं था। कहीं पर पायली से नापा जाता था और कहीं पर ओडों से नापा जाता था। कोई नाप नहीं था, जागीरदार के मन चाहा नाप था। उस समय किसान के दिमाग में यह रहता था कि उसको कितना लगान देना होगा। यह जमाना आज से ज्यादा पहले का नहीं है। वह चार-पाँच वर्ष पहले था। परन्तु पुराने टिनेन्सी एक्ट ने कुछ काम जरूर किया और इस टिनेन्सी एक्ट से किसानों को पूरा-पूरा लाभ होगा। और यह योजना पूरी हो जाती है कि उनको आज कितना लगान सरकार को देना है और इससे अधिक नहीं देना है और यह जमींदार या जागीरदार को अदा करना है। यह बात इस टिनेन्सी एक्ट की सब धाराओं को देखें तो साफ मालूम

Page No.46

[श्री नथूराम मिर्धा]

पड़ जाता है कि किसान को लगान काइन्ड में देना है क्योंकि कई जगह रेट्स सेटलमेंट होकर फिक्स हो चुकी हैं। उनको भी मालूम है कि हमारी पैदावार का कितना हिस्सा देना है। हमने इसमें साफ तौर से लिख दिया है कि किसानों को अपनी पैदावार का १/६ बाँटा देना होगा और इसके अलावा कुछ नहीं देना होगा। शिकमी काश्तकार को भी पता है कि उसको कितना देना है। जहाँ केश रेन्ट लागू है वहाँ पर कोई ज्यादा लगान नहीं दे सकते क्योंकि उनको मालूम होता है कि उनको कितना लगान देना है। जहाँ सेटलमेंट हो चुका है वहाँ का पर्चा उनके हाथों में होता है कि उनको कितना लगान देना है। उसको मालूम हो जाता है कि फलाँ नम्बर के खेत का इतना रुपया सरकार को देना है। जब किसान के लिए सब तरफ से यह तय कर दिया गया है कि हर किसान को कितना लगान देना है तो कोई कन्फिकशन की बात जो चार-पाँच वर्ष पहले मौजूद थी, हमारे लिये आज खड़ी नहीं होती है। इसलिये किसान को मालूम हो जावे कि उसको कितना जमीन का भार उठाना है। इस दिशा में भी हमारा यही कानून पूरी तरह कसौटी पर खरा उतर जाता है।

तीसरी बात जो मोटे और बड़े उसूल की है वह यह है कि हर टीनेन्सी एक्ट में यह माना गया है कि किसान को, जिस वक्त उसको रुपयों की जरूरत हो, कर्ज लेने की आवश्यकता हो, उसी वक्त जमीन को हर तरह से मुन्तकिल करने या रहन रखने का पूरा अधिकार है।

इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जब हम धाराओं को देखते हैं तो मालूम होता है कि इनमें किसानों को सब अधिकार दिये गये है। हर किसान को अधिकार दिया गया है कि वह अपनी जमीन को बेच सकता है, रहन रख सकता है। अलबत्ता एक रेस्ट्रिक्शन हमने इसलिये रखा है कि आज हमारा मोजूदा रेन्ट सिस्टम का जो ट्रेन्ड है, हमारी लेन्ड रिजम्प्शन की जो पोलीसी है उसमें लेन्ड का किस तरह से एडजस्टमेंट हो। लोगों को बड़ी-बड़ी होल्डिंग मिल जाती है और उसका फायदा जिनको मिलना चाहिये नहीं मिलता और न डिविजन ही इस तरह से होता है कि जिस तरह से होना चाहिये।

इन उसूलों को ध्यान में रखते हुए इकोनोमिक होल्डिंग को निश्चित करने के लिये कि एक किसान के पास कानूनन कितनी जमीन रखनी होगी ताकि वह उससे अपने खानदान को अच्छी तरह से पाल-पोस सके और अच्छे स्टेन्डर्ड ओफ लिविंग बना सके; इस उसूल को कामयाब बनाने के लिये उसके पास कितनी जमीन रखनी होगी, यह देखना होगा। इन इकोनोमिक होल्डिंग्ज़ को इन्डिया की कई स्टेट्स अभी तक स्टडी कर रही हैं। हिन्दुस्तान के जीवन स्तर को देखते हुए और जो पोलिसी चल रही है उसको ध्यान में रखते हुए, तथा इकोनोमिक होल्डिंग्ज़ के आइडिया को ध्यान में रखते हुए यह आइडिया लगाया है कि जो किसान जमीन बेचना चाहे वह तब तक नहीं बेच सकता जब तक कि उसके पास ३० एकड़ इरिगेटेड लेन्ड और ६० एकड़ अन इरिगेटेड लेन्ड से ज्यादा न हो। तो अगर कोई बेचने वाला जमीन बेचना चाहे तो वह बेच सकता है। हमने इस उसूल को भी ध्यान में रखा है कि जिस आदमी के पास जमीन नहीं है उसी आदमी को जमीन बेची जाय। अतः इस बात को ध्यान में रखते हुए यह रेस्ट्रिक्शन रखा गया है और यह जो प्रोविजन है वह बहुत अच्छा है। अगर आज किसान को रुपये की जरूरत है तो वह अपने होल्डिंग्ज़ को गिरवी रख सकता है और उस

[श्री नाथूराम मिर्धा]

जमीन को अगर वह २० वर्ष तक गिरवी ही रखे रहे तो २० वर्ष के बाद में उस पर ब्याज और असली रकम चुकती हुई मानी जावेगी और उसको वह जमीन वापिस लौटादी जावेगी। साथ ही यह भी समझ लिया जावेगा कि जिसने कर्जा दे कर जमीन ली थी उसका रुपया पूरा वसूल हो गया। इससे ज्यादा क्या हो, जब कि मोर्टगेज की मयाद ६० और ८० वर्ष की है, यहाँ पर किसानों के लिये २० वर्ष की बात रखी गई है। यह मान लिया जावेगा कि उसने २० वर्षों में उस जमीन का पूरा फायदा उठा लिया है और वह जमीन किसान को वापिस दे दी जाय।

इस तरह से मोर्टगेज के पूरे राइट्स किसान के पास हैं, सेल के पूरे राइट्स किसान के पास हैं और गिफ्ट्स के पूरे राइट्स किसान के पास हैं। वह चाहे जिस आदमी को जमीन और जमीन का हिस्सा बेच सकता है। गिफ्ट के लिए ३० एकड़ इरिगेटेड और ६० एकड़ अन इरिगेटेड रखा गया है। मोजूदा बँटवारा करने का जो ट्रेन्ड है उसको ध्यान में रख कर रखा गया है और मैं मानता हूँ कि यह रीज़नेबल है, यह सही है जो रेस्ट्रिक्शन्स रखे गये है। माननीय चेयरमेन, मैं आपके जरिये सदन के सामने यह बात रखना चाहता हूँ कि टिनेन्सी के जो फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल्स हैं उनमें तीन टेक्स मोटे माने गये हैं और उस दृष्टि से यह कानून भी सही उतरता है और एक तरह से जो किसान जमीन जोतता है, जो किसान जिस जमीन पर खेती करता है वह उसकी हो जाती है, उस जमीन पर उसका कब्जा हो जाता है।

इसके बाद माननीय चेयरमेन, मैं कुछ स्पेशल धारायें जो इस टिनेन्सी बिल में हैं, उनको रखना चाहूँगा। बहुत से पुराने टिनेन्सी कानूनों को इस कानून के बनते वक्त ध्यान में रखा गया है। जहाँ-जहाँ उनके प्रोविज़न्स में त्रुटियाँ मालूम हुईं, कमियाँ मालूम हुईं और वर्किंग में दिक्कतें पेश आती थीं उनको मिटाने के लिये, इम्प्लीमेंटेशन के वक्त जो डिफिकल्टीज़ सामने आती थीं उनको भी ध्यान में रखा गया और जहाँ तक बन पड़ा उन प्रोविज़न्स को क्लियर करने के लिये, उनके अन्दर जो भी कुछ ऐसे रेस्ट्रिक्शन्स रखे हुए थे या और बातें रखी हुई थीं जिनकी वजह से वर्किंग में डिफिकल्टीज़ आती थीं उनको भी जहाँ तक बन पड़ा है सही बनाने की और उन डिफिकल्टीज़ को हल करने की कोशिश की गई है और उनके लिये इस कानून में विशेष धारायें जोड़ी गई हैं। खेती करने के अलावा किसान की जिन्दगी के लिये जो बुनियादी और बेसिक चीजें हैं उनको भी ध्यान में रखा गया है और वे जो धारायें हैं उनके बारे में मैं कुछ जिक्र आपके सामने करना चाहूँगा।

माननीय सभापति, हमारे इस कानून की जो धारा १७ है उसके मुताबिक एक किसान को और एक आदमी को जो खेती करता है उसको खेती के अलावा रहने के लिए घर की भी जरूरत होती है, रहने के घर के अलावा मवेशी बाँधने के लिए बाड़े की भी जरूरत होती है, जिसमें वह मवेशी भी बाँध सकता है और खाद भी डाल सकता है। ये भी उसकी बुनियादी और बेसिक जरूरतें हैं और उनको भी सरकार ने पूरे तौर पर ध्यान में रखा है और इसीलिए दफा १७ इस कानून में रखी गई है। मैं सोचता हूँ कि हिन्दुस्तान के किसी टिनेन्सी कानून में यह धारा नहीं है। हमारे कानून की जो धारा है वह यह है कि हर किसान को अधिकार होगा कि जिस गांव में वह रहता है उस आबादी की जमीन में रहने के लिए, घर के लिए, प्लोट और बाड़े के लिए जमीन मुफ्त

[श्री नाथूराम मिर्धा]

में दी जाय और उसके लिए उसको पट्टा दिया जाय। यह हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि यह धारा जो किसी टिनेन्सी बिल में मैंने आज तक नहीं देखी है वह इस कानून में मौजूद है और इस तरह से किसानों को जागीर के गांवों में खास तौर से दिक्कतें आती थीं। रहने के लिए मकान, झोंपड़े बना कर वे रहते थे तब भी उन पर उनका कोई हक नहीं था, कुछ झोंपड़ों की जगह पक्की छान बनाना चाहते थे तो जागीरदार साहब कई दफा मना कर देते थे. वे अब इस टिनेन्सी कानून की धारा १७ के जरिये से साफ हो जाती हैं। हर किसान को गांवों में जहां वह रहता है उसको एक घर दिया जाय और एक बाड़ा दिया जाय मवेशी को बांधने के लिए और खाद रखने के लिए। यह जरूरी प्रोविजन था और हर किसान की इस बारे में जरूरत को पूरा करना जरूरी था इसी बात को ध्यान में रख कर इस प्रोविजन का इस कानून में उल्लेख किया गया है।

इसके अलावा किसान जिस खेत में, मैं आपको बताऊँ, वह काश्त करता था, जिस पर उसका कब्जा था उसमें अगर कहीं पथरीली जमीन थी और उसमें से अगर पत्थर निकल जाते थे, या मेट निकल जाती थी तो उसको लेकर अपनी छान बनाने के काम में लाते थे। तो उसको वहां से जागीरदार चूंकि वे जमीन के मालिक थे इसलिए उठाने में अड़चनें डालते थे। परन्तु अब इस कानून के अन्दर यह धारा रखी गई है कि अपनी जरूरत के लिए, खेत की मेंड़ बनाने के लिए, कुए आदि के लिए, अपने घर के काम के लिए उसकी जमीन से निकला हुआ मेटिरियल वह उपयोग में ला सकेगा। यह मामला कई अर्से तक झगड़े को बुनियाद बना रहा है उसको ठीक करने के लिए ही इस कानून में इसे एक धारा के रूपमें प्रोवाइड किया गया है। इसके अलावा वर्किंग के समय कई एरीयाज में डिफिकल्टीज़ आती थीं वे ये थीं, हलाकि आज टिनेन्ट्स प्रोटेक्शन एक्ट हमारे राजस्थान में लागू है; किन्तु जब लागू नहीं था तो कई दफा जबरदस्ती से किसान को उसकी जमीन से बेदखल कर दिया जाता था और जागीरदारों ने हमेशा से यह डिफेन्स लिया कि इसमें (किसानने, जमीन को उनको जागीरदारों को सरेन्डर किया था इसलिए इसने जो दावा किया है वह गलत है और हमने बेदखल इसको नहीं किया है। इसने तो इसकी मर्जी से ही जमीन को छोड़ दिया है। आज तक किसी कानून में यह लिखा हुआ नहीं था कि जो सरेन्डर नामा होगा वह वर्बल होगा या लिखित में होगा। यह बात कानून में तय नहीं थी इस प्रकार के झगड़े हमारे इलाके में काफी अर्से से बने हुए थे। हरएक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए कानून में यह रखा गया है कि जो सरेन्डरनामा होगा, खेत छोड़ने का जो डीड होगा वह राइटिंग में होगा और सरपंच के जरिये अटेस्टेड होगा, तब ही वह कानून में माना जायगा कि वास्तव में खेत छोड़ दिया है। अदरवाइज (अन्यथा) जो सरेन्डर का डीड हुआ है वह वाजिब नहीं माना जायगा। इसकी खास जरूरत भी थी क्यों कि बगैर इसके किसी किसान का इजेक्टमेंट से बचाव नहीं हो सकता था और इस तरह से इस धारा से इजेक्टमेंट से बचाव कर दिया गया है।

इसके अलावा माननीय चेयरमैन, एक साल से ज्यादा लीज़ किसान को दिया जायगा, खेती की जमीन जोतने के लिए बताई जायगी उसके लिए भी रोजिशन साफ कर दी गई है। वह लीज़ अटेस्टेड डोक्युमेन्ट होना चाहिए। इसके अलावा यह भी बात तय कर दी गई है कि लीज़ से जो जमीन दी जायगी वह इस कन्डीशन पर नहीं दी जायगी कि तू मेरे लिए फलां-फलां सर्विस

[श्री नाथूराम मिर्धा]

करेगा, बेगार करेगा, प्रीमियम भी चार्ज नहीं कर सकेगा। तो इन चीजों को साफ तौर पर कानून की धाराओं में साफ कर दिया गया है।

स्पेश्यल सक्सेशन के सम्बन्ध में इस कानून में एक धारा एडोप्ट की गई है। सक्सेशन का कानून में यू. पी. टिनेन्सी एक्ट में या दूसरे टिनेन्सी एक्ट्स में भी है। इस सम्बन्ध में कई तरह के कई झगड़े और दिक्कतें पेश आई हैं। जो बातें और टिनेन्सी एक्ट में रखी गई हैं वे पूर्ण नहीं हैं जितनी कि एक लॉ के लिए पूर्ण होनी चाहिए। इससे कई तरह की गड़बड़ियां पैदा होती थीं। तो हमने इन धाराओं को हटा कर पर्सनल लॉ की धारा को इसमें रखा है। इस धारा से वह अब गवर्न होगा। तो इस तरह से काफी फायदा हमारे किसानों को पहुँचेगा।

इसके अलावा माननीय चेयरमेन, यह इस कानून में ध्यान रखा गया है कि अगर किसान के लिए जो कि सेटलमेंट की एक टर्म होती है, उस सेटलमेंट की टर्म के सिलसिले में यदि प्राइसेज फेल हो जांय या राइज़ हो जांय तो उसके लिए प्रोविज़न्स इसमें होने चाहिए। तो इसका भी समावेश इस कानून में हो जाता है, क्योंकि ये जरूरी धारायें हैं।

हमने इस कानून में यह भी रखा है कि अगर किसी वजह से एक दम धान की कीमतों में बढ़ोतरी हो जाय, ज्यादा गिरावट कीमतों में हो जाय तो गवर्नमेन्ट के अख्त्यार में यह चीज है कि वह इमिजियेटली पर्टीकूलर इलाके में रेट्स को रिवाइज़ कर सकती है। इस धारा में जैसा कि माना गया है नुकसान ही नुकसान होगा, किसानों को यह मालूम नहीं कि लगान किसी भी वक्त बढ़ा दिया जा सकता है। तो यह जो धारायें रखी गई हैं इमरजेन्सी के वक्त के लिये रखी गई हैं। जैसा कि पिछले साल के भावों से इस साल के भावों में काफी गिरावट आ गई है, अगर इसी तरह से भाव रहे तो इस धारा का उपयोग किसानों के हित में किया जा सकता है। इस पर यह शक करना कि चाहे जब सरकार इस धारा का उपयोग कर सकती है कीमतों को बढ़ा सकती है, अगर यह कल्पना किसी के दिमाग में है, तो मेरे ख्याल से वे इस धारा का आशय नहीं समझ पाये हैं जैसा कि हमने इस टिनेन्सी एक्ट में रखा है।

इसके अलावा जो एरिया ऐसा है जहां कायमी रेटस लागू हैं, जहां लटाई के साथ में कूंता करने का रिवाज है उस सम्बन्ध जो प्रोसीज़र धारा १०६ में दिया हुआ था उस प्रोसीज़र में और पहले वाले प्रोसीजर में फर्क दिया गया है। पहले फसल का अन्दाज लगाने की बात थी। ऐसी भूमि जहां सेटलमेंट नहीं हुआ है उसके लिए तहसीलदार के हाथ में आर्बीट्रेरी पॉवर्स थे। तहसीलदार मौके पर जाकर देखता था और उसी के अनुसार वह मौके पर फैसला करता था, उसके फैसले के मुताबिक डिक्री देकर लेन्ड रेवेन्यू के एरियर्स वसूल होते थे। अगर उसमें किसानों को कोई उज्र हो, अगर वे कहें कि कूंता नहीं हो सकता, लाटे होगये हैं, जहाँ पर कूंता होकर बीघोड़ी केश में देते हैं, अगर उसमें कोई उज्र करता है तो उन उजरात को नोटिस में लेकर तहसीलदार मौके पर जाकर उसकी फसल का असेसमेंट करेगा और उसके असेसमेंट पर एरियर्स ऑफ लेन्ड रेवेन्यू लगान वसूल हो जायेंगे। यद्यपि ये धाराएं यू० पी० के एक्ट

[श्री मथुरादास माथुर]

के बेसिस पर ली गई हैं फिर भी किसानों के हित को देखते हुए इनमें संशोधन किया गया है। किसान अगर इस धारा पर अमल करते हैं तो लगान देने का तरीका अगर कूंता, लाटा है केश रेन्ट नहीं है तो इस बात का उज्र एक दफा तहसीलदार के सामने करता है तो तहसीलदार को यह अधिकार रह जाता है कि उसको इस बात का अवार्ड दे दे, मौके पर जाकर जो फसल बोयी गई है वह देख ले। तो इस तरह से तो एरियर्स आफ लेन्ड रेवेन्यू वसूल नहीं हो सकते हैं। इसमें सिर्फ यह कह दिया गया है, अगर ऐसा उजर तहसीलदार के सामने आये तो पार्टीज़ को हक होगा कि वह उस मामले को ऐसी अदालतों में ले जा सकती हैं जहाँ रेवेन्यू केसेज़ का फैसला होता हो, वहाँ जाकर वह इस बात का फैसला करवाये कि उनको उस जमीन का कितना लगान देना है और किस तरीके से देना है। तो जो कुछ वर्किंग के प्रोविज़न्स पुराने एक्ट में थे उन डिफिकल्टीज़ को हटाने की इसमें कोशिश की गई है। जहाँ तक टिनेन्सी एक्ट के प्रोसीज़र का ताल्लुक है, प्रोसीजर की खामियाँ जो हमारे पुराने एक्ट में थीं उनको दूर करने की कोशिश की है। आज तक टिनेन्सी एक्ट में हमेशा यही भावना रहती है कि सिविल प्रोसीजर कोड की धाराओं को जहाँ तक बन पड़े हमारे टिनेन्सी कानून में न लगाया जाय और हमारे रेवेन्यू और टिनेन्सी कानून से किसानों को क्लीअर लाभ मिल सके। मैं आपको बताऊँ इस टिनेन्सी एक्ट में उन्हीं धाराओं को खासतौर से रखा गया है, सी.पी.सी. की धाराओं को इस कानून में लागू नहीं किया गया है। जहाँ तक इन धाराओं का ताल्लुक है लागू न करने से मेरी समझ में हमारे लोगों को राहत मिलेगी। जो कानूनी वकील हैं, एडवोकेट्स हैं उनको साफ तौर से सी. पी. सी. की धारायें ठीक प्रकार से लागू न होने से दिक्कत होती थी, वह अब काफी दूर हो जायगी। इसके अलावा लिमिटेशन एक्ट के जो प्रोविज़न्स थोड़े बहुत इसमें थे उनके स्थान पर वे अब पूरी तौर से लिमिटेशन एक्ट की सब धाराओं को इस कानून में लागू कर दिया है। इस तरह से लिमिटेशन एक्ट की तमाम धाराएं और सी. पी. सी. की खास-खास धारायें स्पेसिफिक तौर पर जरूरी कर दी गई हैं। उनके लागू करने से प्रोसीजर में जो कुछ डिफेक्ट रह गया था उस डिफेक्ट को इस कानून के जरिए, जो कि सदन के समक्ष हैं, जिस पर सदन द्वारा विचार चल रहा है अगर कोई प्रोसीजर के डिफेक्ट्स हों तो उनको पूरा किया जा सकता है।

मैंने ऊपर जो बातें कही हैं, उन बातों को देखते हुए अध्यक्ष महोदय, अगर हम विचार करते हैं तो आपको महसूस होगा कि यह टिनेन्सी एक्ट जो आज किसानों के लिए जरूरी है उन जरूरी बातों को पूरा करता है। यह जो मैंने आपके सामने रखा, वह इसलिए कि जो लेण्ड रेवेन्यू के सिस्टम की टेन्डेंसी चल रही है उसके परिणाम आपके सामने रखे जायें। इस टिनेन्सी एक्ट के ज़रिए किसी को बेदखल होने का मौका नहीं मिलेगा। यह बहुत आवश्यक और अच्छा कानून है। इस कानून के ज़रिये खातेदारी हक हमारे इलाके में जिनको मिले हुए हैं अगर उनका मुकाबला पुराने टिनेन्सी एक्ट के हकों से करें तो आपको पता चलेगा कि १२ साल के बाद पटटे मिले हैं। इन धाराओं के अन्तर्गत आज जो अधिकार, खातेदारी के हक, हमारे किसानों को मिल रहे हैं वह बहुत आसानी से मिल रहे हैं जो उनको मिलना चाहिए। इस कानून के जरिए जो राहत किसानों को मिली है वह काफी अच्छी राहत मानते हैं, फिर भी मामूली जो कुछ भी डिफेक्टस रह गए हों जिनको आप जरूरी महसूस करते हों, वे अमेन्डमेन्ट्स के द्वारा दूर किए जा सकते हैं। ऐसी सूरत में हमारा जो टिनेन्सी

Page No.51

[श्री नाथूराम मिर्धा,]

कानून बना है हिन्दुस्तान के दूसरे टिनेन्सी कानूनों को देखते हुए काफी अच्छा टिनेन्सी कानून बना है। मामुली जो खामियाँ हैं सदन बैठकर उनको दूर कर सकता है और यह अच्छा कानून बन सकता है।

श्रीमती यशोदा देवी— माननीय सभापति जी, आज दो-तीन दिन से लगातार इस टिनेन्सी एक्ट पर बहस चल रही है। इसकी तरफ दो शब्द कह कर मैं भी सदन का ध्यान एक खामी की ओर दिलाना चाहती हूँ। आशा है आप इस पर गौर करेंगे।

पहले, जो यह टिनेन्सी एक्ट का कानून है वह इसलिये बनाया कि कहा जाता है कि इससे किसानों का हित होगा और उनके हित के लिए बनाया कहा जा रहा है, इसलिए यह महत्त्व पूर्ण कानून है, ऐसा कहा जा रहा है। जिसके हित के लिए बनाया जा रहा है और जिसको महत्वपूर्ण कहा जा रहा है वह किसान, दुर्भाग्य है कि इस कानून का कोई मतलब नहीं समझ सकता है। वह यह नहीं समझ पा रहा है कि कौनसा कानून उस पर लागू किया जावेगा, क्या किया जावेगा। वह इसका महत्त्व नहीं समझ सकता क्योंकि यह उनकी भाषा में नहीं है। वे इस अंग्रेजी भाषा को नहीं जानते। इसका महत्त्व कुछ थोड़े से कलेक्टर, तहसीलदार यह वकील लोग जो हैं उनके लिए ही है, किसानों के लिए नहीं। तो किसानों को और उनके किसान प्रतिनिधियों को जो यहां भी बहुत बैठे हैं, समझाने के लिए, इसका महत्त्व उन पर जाहिर करने के लिए यह कानून हिन्दी में होना चाहिये था।

ऐसा महत्त्वपूर्ण किसानों के हित का कानून भी अंग्रेजी में बनाया गया जिसके लिए यहाँ बहस वगैरह चल रही है, यहाँ अमेंडमेंट आते हैं उन पर, और ये सब आ रहे हैं उन लोगों के द्वारा जो किसान या किसान प्रतिनिधि होने का दावा नहीं कर सकते। हमारे इधर के बहुत से लोग जो किसानों के प्रतिनिधि बन कर आये हैं और बहुत से उधर भी आये हैं और ऐसे इलाकों से आये हैं जो स्वयं काश्तकार भी हैं, लेकिन उनको मैंने एक दिन भी इस पर बोलते नहीं सुना। इसका कारण एक मात्र यही है कि वे इसको अच्छी तरह नहीं समझ सकते, अंग्रेजी में होने के कारण।

जब इसको पास करने का मौका आवेगा तो उनसे कह दिया जावेगा कि हाथ ऊंचा उठा दो तो वे हाथ ऊंचे उठा देंगे, वे हाँ में हाँ कर देंगे किन्तु असली चीज को वे नहीं समझ सकते। जिस किसान के लिए हम रोते और चिल्लाते हैं अगर उसके हित की बातें हम सही माने में नहीं समझ सकते और न समझा सकते हैं तो मैं कहती हूँ माननीय सभापति, कि यह एक्ट जो बनाया गया है उसको हिन्दी में बनाया जाता तो अच्छा होता।

हिन्दी में ही हमारा हर एक कानून बने और सारा काम हमारा हिन्दी में हो। इसके लिए राजप्रमुख के भाषण के वक्त भी माननीय कई सदस्यों ने खड़े होकर जिक्र किया था और यह भी अर्ज

[श्रीमती यशोदा देवी]

किया था कि माननीय राजप्रमुख भी हिन्दी में ही अपना भाषण दें और जो कानून है, ज्यादातर काश्तकारों के हितों में ही होते हैं, उन सबको हिन्दी में ही बनाया जावे; पर यह नहीं किया गया। आज फिर मैं इसका विरोध करती हूँ।

माननीय सभापति, काश्तकारों के हित के लिए या अहित के लिए जो भी कानून बने हिन्दी में बने। यदि सरकार की तरफ से इन अंग्रेजी के कानूनों को आम किसान को समझाने के लिए कोई आदमी रखे गए हों तो मैं नहीं कह सकती हूँ। पर इसका इसलिए विरोध करती हूँ कि जो भी कानून बनाया जा रहा है वह किसानों की आँखों पर पट्टी बाँध कर बनाया जा रहा है।

श्री गोपीलाल यादव—('आप तारीफ करेंगे शायद' की आवाज राज्य पक्ष की ओर से)

माननीय सभापति, राजस्थान टिनेन्सी बिल में सिलेक्ट कमेटी ने, इसमें कोई शक नहीं, बहुत परिश्रम किया और यह कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा, जितना उनसे हो सकता था, इस बिल को किसानों की भलाई के लिए बनाया जावे। लेकिन इन कोशिशों के बावजूद भी इसमें ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनसे किसानों की भलाई नहीं हो सकती, हालांकि इसे बनाने वाले सिलेक्ट कमेटी के लोगों की मन्शा यह थी कि इससे अधिक से अधिक किसान का हित हो। पर इसके कुछ बातों के बारे में मैं माननीय सभापति, यह निवेदन कर देना चाहता हूँ कि सदन में क्लॉज़ बाई क्लॉज़ जब उन पर कन्सीडरेशन किया जावेगा तब आप ध्यान रखें और उन पर बहस करें जिससे किसानों की इसमें पूरी भलाई हो सके।

सबसे पहली चीज जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ वह यह है कि मैं यह नहीं कहता कि सिलेक्ट कमेटी के अन्दर किसी की मन्शा या गवर्नमेंट के अन्दर किसी की मन्शा यह हो कि किसानों की भलाई नहीं करनी है पर उसमें हरेक आदमी के दृष्टिकोण अलग-अलग हैं। लोग यह समझते हैं कि इससे किसानों की भलाई हो सकती है पर मेरी राय में किसानों की भलाई वास्तव में नहीं होने जा रही है।

जैसे सबलैटिंग के क्लॉज़ हैं। इसमें सबलेटिंग का बहुत बड़ा प्रोवीज़न रखा गया है। कोई दो साल से ज्यादा नहीं सबलैट रख सकता या तीन साल से ज्यादा नहीं कर सकता। कहीं अगर सबलैट किया जावे तो कुछ लोग ऐसे छोड़े गये हैं जो सबलैट कर सकते हैं; विडोज़ हैं, माइनर हैं ऐसे जो हैं वे सबलैट कर सकते हैं, मिलिटरी मैन कर सकते हैं। इनके अलावा दूसरे नहीं कर सकते। अपनी जमीन को काश्तकार दूसरे काश्तकार को नहीं दे सकता। अगर दे सकता है तो दो साल के लिए दे सकता है। मैं निवेदन कर देना चाहता हूँ कि इसमें एक बड़ी भारी गलती है। बहुत से लोग यह समझते हैं

[श्री गोपीलाल यादव]

कि सबलेटिंग पर पाबन्दी रहने से काश्तकार की भलाई होगी। क्योंकि वे ही लोग इसको जोतेंगे, बोवेंगे और अगर कोई काश्तकार किन्हीं कारणों से जोत भी नहीं सकता और दूसरों को जोतने नहीं दी जाती है तो फौरन वह किसी दूसरे काश्तकार के पास चली आवेगी, ऐसे के पास चली आवेगी जिसके पास जमीन नहीं है। पर नहीं, यह नहीं होने जा रहा है। हरेक आदमी जिसके पास थोड़ी बहुत जमीन रह गई है वह उस जमीन की कीमत समझता है, मानता है और मानेगा।

मुझे कहना है कि इस कानून में यह दर्ज कर देना कि वह जमीन दो साल के लिए सबलेट कर सकता है और इसके बाद तीन साल सबलेट रखी तो हमेशा से वह हाथ से निकल जावेगी। तो नतीजा इसका यह होगा कि वह जमीन सबलेट नहीं होगी। वह खुद ही काश्त करने की कोशिश करेगा। किन्तु वास्तव में नतीजा इसका होगा कि उसको खुद को तो काश्त करने की जरूरत नहीं है, उसकी फेमिली की ५० बीघा जमीन उसके पास है उसको भी वह चाहता है, ऐसी सूरत में वह करेगा क्या? इसको गलत-सलत तरीके से मजदूरी से काश्त कराने की कोशिश करेगा ताकि वह पर्सनल कल्टीवेशन की तारीफ में आ जावे और वह जमीन उसके पास बनी रहे। इससे नुकसान क्या है? नुकसान यह है कि उस गाँव में जो ऐसा काश्तकार रह गया है, जिसके पास जमीन नहीं है, उसको वह जमीन नहीं मिलेगी। लेकिन अगर सबलेट की छूट हो तो एक ऐसा आदमी है जिसके पास घर में बीस बीघा जमीन है, पर वह सरकारी नौकरी पर आ गया है, असेम्बली में आ गया है या और कहीं किसी काम से चला गया है और इससे उसका काम चल रहा है तो अपनी इस जमीन को वह दूसरे आदमी को जिसके पास जमीन नहीं है निस्संकोच दे सकता है। वह किसान उसको पाकर उसका फायदा उठा सकता है और वह जमीन उसके पास दसियों साल और बीसियों साल रह सकती है, इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं। पर यह रोक लगा देने से नतीजा क्या होने जा रहा है? मैं आपको बतलाऊं, टिनेन्सी प्रोटेक्शन ऑर्डिनेन्स बनाया। इससे लोगों ने ट्रेक्टर खरीदे। एक एक ऐसा जमींदार है जो पहले सौ बीघा की काश्त करता था, वह आज हजार-हजार बीघा की काश्त कर रहा है। हम सीलिंग लगाने जा रहे हैं लेकिन सीलिंग लगाने से भी फायदा नहीं। इससे यह होगा कि उस हद तक तो उन्होंने जमीन अपने पास रखी है, अगर सबलेट की इजाजत हो तो दूसरों को दे सकते हैं। मैंने अपने मित्रों से सिलेक्ट कमेटी में कहा था कि आप मुनाफे पर रोक लगाइये, सबलैटिंग को रहने दीजिए। सबलेट करने के मुनाफे को नहीं लेने दें। ऐसा प्रावीजन बना दें कि अपनी जमीन दूसरे को दे सकता है तो बगैर मुनाफे के दे सकता है, तो इससे किसान का फायदा होगा। लेकिन ऐसा लगता है कि यह चीज उनके कुछ समझ में नहीं आई और वे धाराएं कुछ किसानों के लिए हानिकर ही बनी रहीं। मैं अब निवेदन कर दूं कि मैं एक गांव से चला आ रहा था एक गाड़ी में बैठा हुआ। एक चमार काश्तकार भी बैठा था। वह मुझ से बोला कि बेदखली का काम जो है वह कब तक रहेगा। मैंने कहा, क्यों तुम्हें इससे क्या दिक्कत है? उसने कहा मेरे घर के चार भाइयों के पास १७५ बीघा जमीन थी अब सिर्फ १४ बीघा रह गई हैं। पहले इससे खाते, बोतते और कमाते थे

[श्री गोपीलाल यादव]

और जिसके पास नहीं थी उसको भी दे देते थे। अब बेकार बैठे रहते हैं हम भी। तो इस तरह के कानून में जहाँ हमको किसान की भलाई देखनी है वहाँ यह सहूलियत उसको मिलनी चाहिये कि वह जमीन उसके पास रहे, वह जमीन का खुद मालिक हो जावे, इसके साथ ही हमें यह भी देखना पड़ेगा कि उसके इस अधिकार पर ऐसा कोई प्रतिबन्ध तो नहीं लग रहा है, जैसे किसी की जमीन है वह उसको खुद ही दबाये बैठा रहा है, भले ही वह उसे स्वयं काश्त न कर पाता हो; पर किसान को नहीं देगा, क्योंकि उसको डर है कि साल दो साल के लिए किसी को सब लेट भी कर दूं और दो साल का तीन साल हो जावे अगर कहीं तो यह जमीन तो फिर मेरे हाथ से गई। इसलिए सबसे बड़ा काम जो है वह यह है कि ऐसा कोई प्रतिबन्ध आप न लगायें।

इससे दूसरा नुकसान और भी है, वह यह है कि किसान के बच्चों के लिए ऐसा कोई प्रोत्साहन मिलेगा नहीं कि तुम सर्विसेज़ में भी जाओ और किन्हीं उद्योग-धन्धों में जाओ और आगे तरक्की करो। पर अगर तुम सबलेट नहीं कर सकते तो २० पच्चीस बीघा की छोटी सी भी जमीन चाहे हो वह उसके लिए यही सोचेगा कि अगर यह जमीन मुझे रखनी है तो उसी गाँव में बैठा रहूँ। क्योंकि अगर बाहर चले जाओगे तो तुम्हारी जमीन चली जावेगी। इसलिए तुम सर्विसेज में या और कहीं नहीं जा सकते। कहा जा सकता है कि मिलिटरी की सर्विसेज में वह जा सकता है। सर्विसेज में जा सकता है तो वहाँ जा सकता है। राज्य की उससर्विस में जहाँ गोलियाँ चलती हैं, और मारा जा सकता है। इसलिए फौज के लिए तो रियायत है। फौज में अगर वह चला जावे तो फिर सबलेट कर सकता है चाहे जितने समय के लिए और जब वह लौट कर आवे तो उसको मिल जावेगी। क्योंकि दूसरे लोग उन्हें सिविल सर्विस में नौकरी करने को नहीं आने देना चाहते और वह फौज में जाना नहीं चाहता, इसलिए वहाँ पर तो आपने रियायत रख दी। तो मैं कहता हूँ कि एक के लिए तो आपने छूट रखी और दूसरे के लिए आपने प्रतिबन्ध लगा दिया। यह क्यों? इस प्रतिबन्ध को क्यों नहीं हटा दें ताकि वे लोग भी नौकरियों में आ जावें। ऐसा नहीं करने से अब क्या होगा कि एक आदमी है, तहसीलदार है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए गिरदावर है या और कोई ओहदा या बिजनेस है उस पर वह नहीं पहुँच सकता क्योंकि वह यह जानता है कि अगर मैं उधर गया तो मेरी जमीन मुझ से छिनेगी।

अब क्या होगा? एक आदमी है, तहसीलदार है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिये गिरदावर है या दूसरा बिजनेस करने वाला है, वह यह जनता है कि मेरी जमीन छिनेगी, वह उस पर नौकर रखता है और जमीन की पैदावार अच्छी नहीं होती। वह बाहर रहता है और देखने को आता है तो जबरदस्ती तनख्वाह में से उसको वह खर्चा करना पड़ेगा, और वहाँ का किसान बगैर जमीन के रह जायगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि सबलेटिंग की क्लॉज़ जिस वक्त हाउस के सामने आये तो आप गौर से देखें और विचारें। सबलेटिंग पर कोई प्रतिबन्ध नहीं रहना चाहिए।

इसके अलावा दूसरी चीज़ जो कि इसके अन्दर है और जिसको मैं बहुत ही महसूस करता हूँ, वह है रेन्ट्स। किसानों के ऊपर इसमें रेन्ट्स का बोझ बहुत भारी डाला गया है। वह डेढ़ गुने से

Page No.55

[श्री गोपीलाल यादव]

चार गुने तक है, लेकिन उसका नतीजा क्या होगा ? जो अभी आपने दो कानून बनाये हैं थोड़े दिन हुए उनमें से एक कानून है कि सरकारी लगान, सरकारी रेन्ट किस हिसाब से लगेगा, पैदावार का चौथा हिस्सा या पैदावार का छठा हिस्सा ? अप्रैल सन् ५२ से पहले जहाँ बन्दोबस्त हो गया है वहाँ पैदावार के चौथे हिस्से के बराबर लगान लग सकता है, ग्रोस पैदावार पर खर्चा काटकर नहीं, बल्कि उसकी कुल पैदावार पर और जहाँ उसके बाद हुआ है वहाँ १/४। सबसे पहले मैंने उसकी मुखालफत की थी कि यह कोई इन्साफ नहीं है कि एक गाँव में सेटलमेंट मार्च के महीने में हो गया, तो वहाँ चौथा हिस्सा लगान, मानलो कि २० रु० होता है वह रखा जाता है और उसी के पास के गाँव में मई के महीने में सेटलमेंट होता है तो वहाँ १/६ बांटा या १५) रु० रखे जाते हैं और एक ही किस्म की जमीन के लिए एक को २०) रु० देने पड़ते हैं और दूसरे को १५) रु० देने पड़ते हैं। तो इसमें ऐसी तब्दीली कर दी जाय कि जहाँ चौथा हिस्सा लगान लगता है वहाँ भी छठा बांटा कर दिया जाय। इस चीज़ के लिए मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे माननीय माल मन्त्रीजी इसका ध्यान रखेंगे, इसको भी एक लेवल पर लाने का प्रयत्न करेंगे।

इसके साथ में जहाँ तक छठे बांटे का सम्बन्ध है अब मैं आपसे निवेदन कर दूँ कि अभी तक जागीरदार किसानों से छठा हिस्सा लेते थे। १/६ के मायने यह है कि मान लीजिए कि २०) रु० के बराबर या २५) रु० के बराबर पैदावार लेता था एक बीघे के ऊपर तो उस जागीरदार की जगह ले ली गवर्नमेन्ट ने और गवर्नमेंट उसका लगान मांगती है वही छठा बांटा। इसका मतलब क्या हुआ ? गवर्नमेंट जो लगान लेने जा रही है किसान से वह होगा १०) रु०, १५) रु० और १८) रु० बीघा, छठे बांटे के बराबर और फिर वह खातेदार अपने टिनेन्ट, सब टिनेन्ट को जमीन देता है तो डेढ़ गुने से चार गुने तक यानी दुगुना तो कम से कम लेने का अधिकारी है, यानी १/६ का दुगुना १/३ और चौथे बांटे का दुगुना होगा १/२ जो कि ८ साल पहले आधा बांटा ½ बांटा हो रहा था, अब वापिस दुनियाँ के अन्दर वह चालू हो जायगा और उसके चालू होने से किसान फिर बर्बाद हो जायगा। इसलिए मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूँ कि यह १/३ बांटा तो बिल्कुल हटना चाहिए। फिर जहाँ सेटलमेंट नहीं हुआ है वहाँ समेरी सेटलमेंट करके इसका तय कर दिया जाय कि इसका प्रोविजनल रेन्ट यह होगा और इसके बाद गवर्नमेंट जब १/६ के बराबर लगान करदे तो फिर खातेदार टिनेन्ट अपने सब टिनेन्ट से उसका दुगुना नहीं ले उतना ही ले। अगर नहीं दे सकता है तो नहीं दे, मगर इस तरह दुगुने से काश्तकारों पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ जायगा।

इसके अलावा कुछ चीजें और हैं जिनको कि, मैं आपको निवेदन करूँ, इसके अन्दर कमी है। इसके अन्दर कुछ प्रोविज़न्स ऐसे हैं जिनसे किसानों की परेशानी बढ़ेगी जैसा कि पेड़ के काटने पर प्रतिबन्ध है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि किसान पेड़ नहीं काटता है। किसान पेड़ काटने को आदमी के मारने के बराबर समझता है। वह उसकी परवरिश करता है और उसको पालता

Page No.56

[गोपीलाल यादव]

है। वह पेड़ काटता है अपनी जरूरत के लिए। लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे कि उसको अपने डोमेस्टिक पर्पज के लिए, अपने घर के काम के लिए, अपनी खेती के काम के लिए इजाजत है। इसके लिए उसको एस. डी. ओ. के पास जाना पड़ेगा या पंचायत के पास जाना पड़ेगा, दरख्वास्त देनी पड़ेगी। तो मैं निवेदन यह करना चाहता हूँ कि इस तरह से पेड़ काटने से रोकने में एक दिक्कत पैदा होने वाली है और वह दिक्कत यह पैदा होने वाली है कि एक काश्तकार को अपने घर की जरूरत के लिए, जैसा कि आप इजाजत देते हैं और मैंने माना है, अपने घर की जरूरियात के लिए वह पेड़ काट ले। दूसरा आदमी शिकायत कर देता है पटवारी कि इसने घर की जरूरत के लिए नहीं काटा है बगैर जरूरत के काट लिया है, और आखिर में मुकद्दमा चलता है, सबूत भी हो जाता है कि घर की जरूरियात के लिए काटा है, वह बरी हो जाता है, लेकिन उस मुकद्दमें की परेशानी, अदालत में जाने की परेशानी, उसको एक वकील करने की परेशानी उठानी पड़ती है। अपने हल के लिए पेड़ की टहनी काटी और परेशानी में वह साल भर अदालत में फिरा, सैंकड़ों रुपये उसके खर्च होंगे उस पेड़ से जो कि पेड़ उसने खुद अपनी जमीन में लगाया है। तो मैं निवेदन यह करना चाहता हूँ कि पेड़ नहीं कटे, ऐसा सरकार की तरफ से प्रतिबन्ध लगाया है। यह सरकार प्रचार करती है, तो होना यह चाहिये कि एक आदमी यदि पेड़ काटे तो अपने खेत में दूसरा पेड़ लगा दे और जरूर लगाये। इससे यह होता है कि वह यह समझता है कि यह पेड़ मेरा है, मुझे जरूरत पड़ेगी तो इससे लकड़ी ले सकता हूँ, इसको काट सकता हूँ और मेरे ऊपर मुकद्दमा नहीं चल सकता है, उस पर मुकद्दमा नहीं चलेगा और वह बरबाद नहीं होगा। जो प्रतिबन्ध हम लगाते हैं, और सोचते हैं कि इनमें किसान की भलाई होगी, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि वास्तव में इसमें किसान की बरबादी होगी।

इस तरह मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि खातेदारी राइट्स के लिए जरूरी है कि अगर खातेदार तीन साल के अन्दर दरख्वास्त नहीं पेश कर देता है कि उसको खातेदारी राइट्स मिलने चाहिये तो उसको राइट्स नहीं मिलेंगे। परन्तु जायज़ बात यह है कि कोई हकदार है तो सैंकड़ों साल में भी कोई दरख्वास्त दे या नहीं, उसका जो हक है वह उसको मिलेगा। जहाँ १२ साल में खातेदारी राइट्स मिलते थे परन्तु वहाँ उसको १२ साल होने के बाद भी खातेदार कागजों में दर्ज नहीं किया गया तो तीन साल होने तक भी खातेदारी के हकूक बने रहेंगे: जब चाहे दर्ज करा सकते हैं। दरख्वास्त नहीं पेश करे तो भी अख्त्यार हो जायेगा। यह जो कानून है आज का, वह पिछले कानूनों से भी पीछे ले जाने वाला है। किसानों के रास्ते में दिक्कतें पैदा करने वाला है।

इसके अलावा कम्पेन्सेशन करने की चीज है। वह किसान को देना पड़ेगा। वह देता है, यह बड़ी गलत बात है। जब जागीरी इलाका आ गया है और आप बहुत बड़ा मुनाफा लेने जा रहे हैं,

[श्री गोपीलाल यादव]

आप से मेरा मतलब हम से है; कम्पेन्सेशन सरकार की तरफ से तय करना चाहिये न कि खातेदारी राइट्स लेगा तो उसको कम्पेन्सेशन देना पड़ेगा, जैसा कि इसके अन्दर है उसका हिसाब किताब लगेगा और जितना यह होगा उससे कहीं ज्यादा परेशानी होगी।

इसके अलावा दूसरी चीज जो इसमें है वह यह है कि यह कानून पूरा चालू किया है; जो रियासतें प्रोग्रेसिव हैं, जैसे पंजाब, यू० पी० उनका पूरा का पूरा चालू किया है वह है बिक्री जमीन का। बिक्री कानून उन स्टेटों में, तमाम राज्यों में जहाँ कि सरकार किसानों की भलाई सोचती थी वहाँ पर यह था कि किसान जमीन की बिक्री नहीं करता था। पंजाब के किसानों से अंग्रेज खुश थे क्योंकि म्युटिनी में उन्होंने उनका साथ दिया था। यू० पी० वालों ने उनकी खिलाफत की, अंग्रेजों से लड़ाई की थी इसीलिये यू० पी० के किसानों की जमीन को बिकने के लिये खुला छोड़ दिया, पंजाब में प्रतिबन्ध लगा दिया कि किसान की जमीन नहीं बिक सकती। इसका नतीजा यह हुआ कि पंजाब का हर किसान मालदार और खुशहाल हो गया और यू० पी० के किसान भूखों मरने लग गये। उनकी जमीनें बिक गईं और लेन्डलोर्ड्स के पास चली गईं। इसके जवाब में आप कहें कि हमने खरीद पर प्रतिबन्ध लगा दिया है और वह यह है कि आज जिस आदमी के पास ९० एकड़ जमीन है वह नहीं खरीद कर सकता है। अगर खरीद सकता है तो ९० एकड़ को पूरा कर सकता है। पहले की तरह ताल्लुकदार २-२, ४-४ गाँव के तो नहीं बन सकेंगे लेकिन ९० एकड़ तक एक आदमी पूरा करेगा ही और हमारे हिन्दुस्तान में जमीन का एवरेज जो फी आदमी पड़ता है वह तीन एकड़ भी नहीं है। बहुत से आदमी ९० एकड़ भी खरीद लें उससे गरीबों की जमीनें जायेंगी। और इसलिये मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूँ कि किसान बेच नहीं सकता अपनी जमीन जब तक कि कम से कम इतनी जमीन अपने घर के लिये नहीं रख लें। जो खरीदने वाले पर लागू है बेचने वाले पर भी वही लागू होनी चाहिये कि वह जमीन तब तक, नहीं बेच सकता जब तक कि ९० एकड़ या अपने कुटुम्ब का भरण-पोषण करने योग्य जमीन न हो। पहले यह था, पर अब इसमें नहीं है। इसलिये जो कानून बना है उसके अन्दर कुछ कमी है और मैं आशा करूँगा कि आप लोग इस पर विचार करेंगे और मन्त्री महोदय भी विचार करने का प्रयत्न करेंगे क्योंकि सिलेक्ट कमेटी में मैंने देखा कि उनका रुख निहायत सिम्पेथेटिक था। सिलेक्ट कमेटी की कार्यवाही इतने अच्छे ढंग से हुई और सफलता के साथ हुई, उसके लिये मैं अधिक से अधिक श्रेय माल मन्त्रीजी को देता हूँ। हाउस के मेम्बर्स, जिस तरह से मैं महसूस करता हूँ उसी तरह से करेंगे और उनसे कहेंगे तो वे अवश्य मानने के लिये तैयार हो जायेंगे।

इसके अलावा एक धारा इसमें ऐसी है जो मुझे बहुत अखरती है। रेंट इमरजेन्सी की वजह से बढ़ाई या घटाई जा सकती है, ऐसी धारा इसमें है। मैं निवेदन करूँगा कि जो बढ़ाने वाली शरह है वह इसमें से निकाल दी जाय और जो घटाने वाली शरह है वह रखी जाय, तो किसानों के लिये

[श्री गोपीलाल यादव]

ज्यादा हितकर होगा। क्योंकि चीजों के भाव अब घट गये हैं, किसान ज्यादा नहीं दे सकते। इसलिये रेट घटाई जाय। लेकिन जो बढ़ा दिये जाने की बात है वह आजकल के वक्त के खिलाफ है। जब कभी इमरजेन्सी का समय आता है या लड़ाई का समय आता है तो चीजों का भाव चढ़ता है, लेकिन जो रेट्स बन्दोबस्त की हैं वे दूसरे बन्दोबस्त से पहले नहीं बढ़ाई जा सकतीं, २० साल के बाद यदि बन्दोबस्त होता है तो उस समय ही रेट बढ़ाई जा सकती हैं। इमरजेन्सी के समय में भाव महंगे होने से अगर किसानों को फायदा होता है। इस वजह से यदि आप कहें कि चलो किसानों पर लगान की दर बढ़ा दें तो यह एक तरह से किसानों की गर्दन पर हमेशा के लिए तलवार लटकाना होगा। इसलिए यह जो बढ़ाने का प्रोविजन है वह ठीक नहीं है। सेटलमेन्ट के समय ही रेट बढ़ सकती हैं। इसलिए इसको हटा देना चाहिए। घटाने का प्रोविजन रहने दिया जाय।

इसके अलावा इसमें एक दो प्रोविजन्स की कमी है जिस के कारण मुमकिन है बढ़ सकते हैं। हर एक आदमी लगान जमा कराने की रसीद ले, ऐसा प्रोविजन है और यह रसीद गवर्नमेंट फ्री देगी। यह बड़ा आसान तरीका है। लोग रसीद लेंगे। इसमें एक कमी रह गई है। पट्टा देना और कबूलियत देना यह लाजमी चीज है। अब किसान और मालिक सभी लोग होशियार हो गये हैं। जमीन देंगे तो सोच समझ कर ही देंगे लेंगे। लेकिन यदि किसी का ख्याल बेईमानी करने का है तो ऐसी बेईमानी को रोकने के लिए एक प्रोवीजन पट्टा और कबूलियत देने का और बढ़ा देना चाहिये, यदि जमीन सबलैट की जाय तो पट्टा जरूर दिया जाय। कबूलियत जरूर हासिल की जाय। यदि बगैर पट्टे या कबूलियत के दें तो शायद लोगों से मिल मिलाकर मालिक कह दे कि हमने तो इसको किसान नहीं बनाया, वास्तव में यह किसान नहीं है। यदि वह आदमी चालाक है तो पटवारी आदि से मिलकर कुछ गड़बड़ कर सकता है या दरख्वास्त दे सकता है कि मैं खुद जमीन जोतता हूँ। तो इससे खराब आदमियों को गड़बड़ करने का मौका मिल जाता है। इसलिए जैसे रसीद देना लाजमी है वैसे ही पट्टा देना भी लाजमी होना चाहिए।

श्री शम्भूसिंह—On a point of order, Sir, इस कानून की धारा १८ में रिटन लीज (written lease) और काउन्टरपार्ट के जो प्रोवीजन हैं वह क्या हैं, इसके लिए मैं माननीय श्री गोपीलाल जी से कहूँगा कि वे इसे पढ़कर समझें कि वह क्या है।

एक माननीय सदस्य--(अश्रव्य)

श्री शम्भूसिंह—बिल के पेज ११ पर क्लॉज १८ की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

श्री गोपीलाल यादव—ठीक है यह आपने अच्छा ध्यान दिलाया। पढ़ते वक्त मेरे नोटिस से यह धारा निकल गई थी। यह प्रोवीजन है। सिलेक्ट कमेटी में बाद में विचार करके इसे बढ़ाया गया था।

एक माननीय सदस्य—सिलेक्ट कमेटी में नहीं बढ़ाया गया था।

श्री गोपीलाल यादव—(भाषण जारी रखते हुए) यह जो सेक्शन १२१ है इजेक्टमेन्ट का, यह सेक्शन कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि यह ऐसा पेचीदा बना दिया गया है कि जिसकी वजह से इजेक्टमेंट बिल्कुल नहीं होगा। इसमें यह रखा है कि १२०० रुपया एक किसान की आमदनी हो और वह भी नेट आमदनी हो लेबर को चुकाने के बाद, उसके पास बचत हो। आम तौर से १२०० रुपये की बचत में से फेमिली लेबर को छोड़ दिया जाय तो २०० या २५० बीघा से कम जमीन में इतनी बचत नहीं हो सकती। कुछ लोगों का ख्याल है कि ५-६ बीघा जमीन से ही इतनी आमदनी हो सकती है, २० बीघा जमीन पर भी फेमिली लेबर को निकाल कर १२०० रु० की आमदनी नहीं हो सकती। इसका मतलब यह है कि यह किसानों के लिये खुशी की चीज़ है। जहाँ इजेक्टमेंट का प्रोविजन रखा है कि इजेक्टमेंट होगा वहाँ यह भी रखा है कि इजेक्टमेंट नहीं हो सकेगा। हालाँकि इजेक्टमेंट नहीं होगा लेकिन इससे लोगों को प्रोत्साहन मिलता है इजेक्टमेंट की दर्ख्वास्त देने के लिये। नतीजा यह होगा कि मालिक दर्ख्वास्त देंगे और किसानों को परेशानी होगी व उनके सैकड़ों रुपये खर्च होंगे वकीलों की फीस आदि में। जब कि इतना प्रोविजन रखा है कि इजेक्टमेंट नहीं होगा तो इसको बंद करदें ताकि सारी पेचीदगीयों से बचत हो जाय; नहीं तो कई प्रकार के स्टेटमेंटस, नक्शे बनाने पड़ेंगे, पेश करने पड़ेंगे, आमदनी का फिगर देना पड़ेगा, इन्कम टेक्स एक्सपर्ट के पास पहुंचना पड़ेगा। सारे नक्शा बनाने पड़ेंगे कि उसके पास इतनी जमीन है उसमें से फलाँ मालिक की इतनी है। तमाम काश्तकारों की फर्दें ली जायेंगी। इससे काश्तकारों, टिनेन्टस और मालिकों को दोनों को परेशानी उठानी पड़ेगी। इसलिये देअर शुड बी नो ईजेक्टमेंट ओफ टिनेन्ट्स। जो कुछ ऐसा खातेदारी राइट के लिये लेना है ले सकते हैं। यह जो कानून है इसमें कोई शक नहीं कि वह काफी मेहनत से प्रगतिशील बनाया गया है। जो बातें मैंने निवेदन कीं उन पर यदि आप सब विचार करेंगे तो यह और भी अच्छा हो सकेगा और किसानों की और भी ज्यादा भलाई होगी।

श्री मानसिंह महार—मिस्टर चेअरमेन, सदन के सामने आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल आया है। यह राजस्थान का सौभाग्य है कि राजस्थान के निर्माण के बाद इस प्रकार के कानून वक्त-वक्त पर इस सदन के अन्दर पेश होते आये हैं और वे पास होते गये हैं। आज उन काश्तकारी कानूनों के एकीकरण के लिये हमारे सामने यह बिल आया है लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इस कानून के अन्दर गांवों में रहने वाले गरीब किसानों का जितना काम होना चाहिये उतना इससे नहीं होता है।

इसमें ये खामियां रहने का मुख्य कारण यह है कि जो इसके सुधार के लिये सिलेक्ट कमेटी बनी थी उसमें वकीलों की मेजोरिटी थी। माननीय चेअरमैन सहाब, यह बताना चाहता हूँ कि जहाँ इन वकील लोगों के हथकंडे हो जाते हैं वहाँ फिर इन कानूनों को वे लोग तोड़ मरोड़ कर सिम्पल बनाते नहीं और उनको कम्प्लीकेटेड कर देते हैं ताकि काश्तकार-काश्तकार आपस में लड़ें और उनका महनताना पके। अगर इस कानून के अन्दर कोई इस प्रकार की धारा होती कि इस कानून के तहत में वकीलों का महन्ताना रेस्ट्रिक्ट हो जाता व वकीलों की काश्तकारों को लूटने के सम्बन्ध में जो कार्यवाही होती है उसकी रोक-थाम होती तो हम मानते कि यह कानून वास्तव में काश्तकारों के हित में है।

[श्री मानसिंह मद्दार]

अभी एक जोधपुर रियासत के भूतपूर्व मन्त्री और राजस्थान के भी भूतपूर्व मन्त्री ने अपने वक्तव्य में फरमाया कि काश्तकारों को यह लाभ हुआ है, वह लाभ हुआ है। मैं मानता हूँ, मैं उनका स्वागत करता हूँ, मैं यह कहने को तैयार नहीं कि इससे काश्तकारों को लाभ नहीं हुआ है। इस बात को मानते हुए मैं सदन को, माननीय चेयरमैन, आपके जरिये बताना चाहता हूँ कि इस कानून में कई जो काश्तकारों के लिये दिक्कतें हैं वह दूर हुई नहीं हैं, इसमें कोई ऐसे प्रोविज़न्स नहीं हैं।

इस सिलसिले में मैं सदन को ताजा मिसाल दूंगा। मैं जानता हूँ कि माननीय मन्त्री जी इसका जवाब भी देंगे और मैं पहले ही कह दूं कि उस जवाब से मैं कभी संतुष्ट नहीं होऊंगा।

इस बिल में पहली जो एक खामी है वह यह है कि अभी हमारी आमेर तहसील में पर्चे बंट रहे हैं। वहाँ क्या पिक्युलियर कन्डीशन है कि चौमू इलाके में और आस पास की जमीन में बगीचे बहुत हैं। वहाँ आम और दूसरे दरख्त दूसरा लगाता है और जमीन की खेती दूसरा आदमी करता है। अभी पुराने टिनेन्सी एक्ट के मातेहत और इस कानून के मातहत इन जमीनों के पर्चे उन्हीं काश्तकारों को मिलते हैं जो कि उन जमीनों में काश्त करते है और उस जमीन पर जो आम, पेड़ बगैरह हैं वह उसी काश्तकार की मिल्कियत हो जाती हैं। माननीय मन्त्रीजी मानते होंगे कि उनको कम्पेन्सेशन दिलाया जायगा, पर मैं बताता हूँ कि उस जमीन में मोठ-बाजरा करने वालों का इतना राइट नहीं होना चाहिए कि जितना उस आदमी ने बरसों तक पच-पचकर उन आमों और दूसरे पेड़ों को परवरिश किया है। उनके राइट को मारा जाय, यह ठीक नहीं।

इस कानून में ऐसे प्रोवीजन रखे जाँय तो गाँवों के काश्तकारों की दिक्कतों को, जिनको दूर करने के लिए कि सरकार प्रयत्नशील है, वे सब दूर हो सकती हैं।

अब आप ले लीजिए, जयपुर का जो हमारा टिनेन्सी एक्ट है उसमें भी करीब-करीब इसी प्रकार की धाराएं हैं जो आज इस बिल में मौजूद हैं।

इस प्रकार से कह देना जैसा कि अभी फोर्मर मिनिस्टर साहब ने फरमाया था कि जागीरदार ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि जब जागीरी उन्मूलन बिल पास हो चुका है, जागीरें खत्म हो रही हैं तो अब आप जागीरदार नोन जागीरदार के क्वेश्चन को भूल जाइये। यह तो भूत की बात हो चुकी है। अब तो हम जागीरदार भी जैसे वे काश्तकार हैं वैसे ही काश्तकार हैं और हमको भी हमारे काश्त के हक हकूकों का रखने का उतना ही इन्ट्रेस्ट है जितना कि उन महानुभाव को होगा।

फिर दूसरी खामी इसमें यह है, इस बिल में यह प्रोवीजन रखा है कि हर किसान को एक बाड़ा और रहने के लिए मकान मिलना चाहिये। मैं बताता हूँ कि यह सहूलियत गाँव में रहने वाले हरव्यक्ति को

[श्री मानसिंह महार]

मिलनी चाहिए, केवल किसानों को ही क्यों मिलनी चाहिए। जो मजदूर खेतों में काम करते हैं जिनके पास जमीन नहीं हैं, वे भी इनके ही भाई होते हैं। इस प्रकार का पक्षपात करते हैं वह ज्यादती है। इस प्रकार की बात जनरल होनी चाहिए ताकि राजस्थान में किसी को शिकायत नहीं हो कि मेरे रहने के लिए मकान नहीं है, मेरे मवेशियों को बाँधने के लिए बाड़ा नहीं है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो सरकार नहीं कर सकती हो। इसलिए मैं माननीय मन्त्री जी से यह कहूँगा कि इस प्रोवीजन में इस प्रकार की जनरल बात जोड़ दी जाय तो वह बहुत अच्छी बात रहेगी।

तो इस प्रकार मेरे स्पेसिफिक दो सजेशन्स हुए। पहला तो यह कि आम आदि दरख्तों के मुतल्लिक चोमू में जो दिक्कत आई है, उसको ध्यान में रखें और अपने सेटलमेंट ऑफीसर को बुला कर पूछ सकते हैं।

इस बात पर मैं जोर इसलिए देता हूँ कि इस इलाके के लोग इसे बड़ा भारी अन्याय मानते हैं। वे लोग कहते हैं कि हमने बीस बीस वर्ष तक आमों को लगाया, परवरिश किया, रात दिन मेहनत की पर आज जो ४ या ५ साल से जमीन बोते हैं उनको हक मिल जाता है और आज हमें कहा जाता है कि इसका मुआवजा ले लो। यह सरासर अन्याय है।

आज मेरे मित्र जो जोधपुर से तशरीफ लाये हैं, यहां मोजूद नहीं हैं। उनके बारे में भी निवेदन करना है। उन मेरे मित्र ने इस बिल की एक बड़ी ही काली तस्वीर सदन के सामने रखी है। उनकी राय में यह जो बिल है इससे किसी को कुछ लाभ नहीं हुआ है। वे यह समझते हैं कि यह बिल आयर्लैण्ड के १५० वर्ष पुराने एक्ट से भी बुरा है। उन्होंने आयर्लैंड की किसी रिपोर्ट का भी हवाला दिया था व हिन्दुस्तान के प्रान्तों की रिपोर्टों के भी हवाले दिए हैं।

उन्होंने कहा कि आज जो बातें हम इस बिल में रख रहे हैं वे आयर्लैंड और हिन्दुस्तान के दूसरे प्रान्तों में १०० वर्ष पहले मानी जा चुकी है। उनको मैं यह कहना चाहता हूँ कि एक बात तो यह है कि मैं तो पहले ही जानता था कि जब तक इस बिल के अन्दर रूस के कोऑपरेटिव फार्म की पद्धति नहीं आवेगी यानि कलेक्टिव फार्म की पद्धति नहीं आवेगी तब तक वे इससे संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। उन्होंने इस बात को स्पष्ट दो वजह से नहीं किया।

एक तो यह है कि वे डरते हैं कि अगर उन्होंने यह कहा कि हमारे यहाँ कलेक्टिव फार्मिंग होना चाहिए तो वे जिस प्रकार गांवों में जाकर काश्तकारों को बहकाते हैं तो उनकी सब पोल सामने आ जावेगी। आज वे चाहे कम्युनिस्ट हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हैं अगर इस प्रकार की बातों को लेकर जैसे कलेक्टिव फार्मिंग है, को लेकर गाँवों में जावेंगे तो मैं आपको मि० चेयरमेन, बतलाने के लिए तैयार हूँ कि वे लोग इस बात को कतई पसन्द नहीं करेंगे। आज के हमारे गाँवों के किसान अपनी आजादी चाहते हैं, वे अपने पेशे में आजादी चाहते हैं, वे अपने हर काम में आजादी चाहते

[श्री मानसिंह महार]

हैं, वे यह नहीं चाहते कि सारे गाँवों की जमीन एक कमेटी बना कर जोती जावे और उसमें जो नफा नुकसान हो उसको बाद में बाँट लिया जावे। किसान यह चाहता है कि उसके पास जो ५ बीघा जमीन है उससे ज्यादा से ज्यादा फायदा खुद मेहनत करके उठाये। वह यह चाहता है कि उससे उसको ५ हजार का लाभ हो। वह यह नहीं चाहता कि उसके दूसरे भाई कम मेहनत करते हैं, वे भी बराबर फायदा उठावें। वे इस प्रकार की बातों को मानते हैं न कि हमारे रूसी भाई की बातों को मानने के लिए तैयार है कि इस प्रकार की कलेक्टिव फार्मिंग की प्रणाली अपनाई जावे। इसीलिए उन्होंने इस बात को खुले में न आकर दबी जुबान में कहा। इसका मैं विरोध करता हूँ और कहता हूँ कि उन्होंने जो कुछ बातें कहीं हैं वे बिल्कुल बे-बुनियाद कही हैं।

दूसरी बात मैं जो मेरे जोधपुर के मित्र के बारे में कहना चाहता हूँ वह यह है कि उन्होंने अब तक कभी भी खेती-बाड़ी नहीं की। वे खेती-बाड़ी की ए. बी. सी. डी. भी नहीं जानते। चाहे उन्होंने दो-तीन पीढ़ियों से खेती कभी नहीं की हो, वे तो केवल शहर में ऊंची-ऊंची हवेलियाँ चुनाने वाले हैं और उन हवेलियों को किराये देकर किराएदारों से अधिक से अधिक रेन्ट हथियाना, वे इस चीज को जानते हैं और इस काम में माहिर भी हैं। यह मैं मानता हूँ। लेकिन अगर वे गाँव वालों की जमीन के मामलों में हस्तक्षेप करते हैं तो हम लोगों को यह नाकाबिले बर्दाश्त है। वे यह भी नहीं जानते कि बाजरी कब बोई जाती है और जव कब बोए जाते हैं? उनालू किस चिड़ियाँ को कहते हैं और सियालू किस चिड़िया को कहते हैं। वे यह नहीं जानते कि खेती या गश्त गिरदावरी कैसी चीज क्या होती है? जो आदमी इतना भी नहीं जानता वह अपनी टाँग जबर्दस्ती फंसाता है, यह गलत बात है। इस विषय में मैं मेरे मित्र चौधरी साहब ने जो बातें कहीं उनको मैं ताईद करता हूँ। उनको खेती का अनुभव है और वे इस काम में माहिर भी हैं। वे जो राय देते हैं उसको मैं मानने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने जो बातें कहीं हैं वे तजुर्बे से कही हैं। हमारे जोधपुर के सदस्य अगर रूस की किताबों से पढ़कर रूसी-वाद पर कहते हैं तो हम उसको कतई तसलीम नहीं कर सकते।

उसके बाद मेरे मित्र बृजसुन्दरजी जो सिरोंज से तशरीफ लाए हैं उन्होंने कुछ फरमाया। उन्होंने फरमाया था कि काश्तकारों ने जमीन गिरवे रख रखी है और उनकी जमीनें २०-२० वर्षों से गिरवे है। हमारे यहां जयपुर में तो ऐसा बहुत कम हुआ है इसलिए हमें तो इस बात का अनुभव नहीं है। उनके यहाँ ऐसा हुआ है इसलिए उनको इस बात का अन्दाजा है और वे यह चाहते हैं कि जो जमीन जिस व्यक्ति के पास २० वर्ष से ज्यादा अर्से से गिरवे है तो उस जमीन को बिना किसी प्रकार का मुआवजा गिरवे रखवाने वाले व्यक्ति को दिये काश्तकार को वापिस दिला देनी चाहिये।

इस संबन्ध में एक चीज मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की हमारी जयपुर रियासत में कोई डिफिकल्टी नहीं थी। यहाँ पर लाखों में एक-दो केसेज ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर २० या ३० साल से जमीन किसी के यहाँ गिरवे रखी गई हो। यह तजुर्बा शायद उनको बूंदी रियासत से ही हुआ है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ, इन जमीनों के बारे में मुझे यह कहना है कि जिस व्यक्ति ने

[श्री मानसिंह महार]

अपनी जमीन को २० वर्ष से किसी दूसरे के गिरवे रख रखी है अगर उसको बगैर किसी मुआवजा दिलाए किसान को वापिस दी जाती है तो मैं यह कहूँगा कि आपका सारा सिद्धान्त गलत हो जाता है, क्योंकि यह आपके सिद्धान्त के खिलाफ होगा। एक तरफ आप यह कहते हैं कि ५ वर्ष से जो व्यक्ति काश्त करता है उसको खातेदारी राइटस दे दिए जावें। दूसरी तरफ यह कहा जाता है कि २० वर्ष से जिस जमीन को गिरवे रखी गई हो उस पर दूसरे का कब्जा हो वह वापिस दिला दो जावे। यह तो आपस में कन्ट्राडिक्शन की बात है। यह मेरी समझ में नहीं आया। यह एक समस्या है। बूंदी एक राजस्थान के कोने में छोटी-सी रियासत है।

माननीय चेयरमेन, मैं आपके जरिये माननीय मन्त्रीजी से अपील करूंगा कि इस प्रकार छुट-पुट बातों को बिल में लेकर उन वकीलों के घर न भरें। अगर इस प्रकार की चीज आ जावेगी तो रेवेन्यु बोर्ड में मुकदमों की फिर से भरमार हो जावेगी। मैं आपको सही कहता हूँ कि राजस्थान के किसान को आर. पी. टी. ओ. की तहत में काफी खर्चा हुआ और आर. पी. टी. ओ. को सरकार ने जिस ढंग से लिया उसको दूसरे ढंग से लेती तो किसानों को आज जो राहत मिली है उससे १०० गुनी ज्यादा राहत मिलती और हजार गुना कम पैसा खर्च होता। आज जागीरदार लोग अच्छे से अच्छा वकील कर लेते हैं और इस कारण से गरीब किसान का भला नहीं हो पाता।

(करतल-ध्वनि)

इसकी मेरे पास मिसालें मौजूद हैं। मैं इसकी मिसालें भी चेयरमेन साहब, दे सकता हूँ। मि० चेयरमेन, इस प्रकार की जो धाराएं इस बिल में रखी जाती हैं उनसे मैं कतई सहमत नहीं हूँ।

इसके बाद कुछ हमारे मित्रों ने इस बिल के अन्दर जागीरदारों को जबरदस्ती घसीटा है। जागीरदारों के नाम पर उन्होंने यह कोशिश की है कि इस बिल के अन्दर जो धाराएं हैं वे उलट-पुलटकर ऐसी कर दी जावें कि वकीलों को जेब गरम करने का मौका न मिले। इसलिए मैं यह कहता हूँ कि जब मैं यह कहता हूँ तो वकील लोगों के कान गर्म होते जा रहे हैं, फिर भी मैं कहता हूँ कि इस प्रकार की धाराओं को जो सीधी और सच्ची हैं रखी जावेंगी तो इसमें राजस्थान की बहबूदी और किसानों की बहबूदी है। यही नहीं मैं तो यह कहूँगा और कहना चाहता हूँ कि इसमें सबसे बड़ी कमी है वह ट्रीज़ और ग्रोव्ज के चेपटर की है। इसके बारे में मैंने एक मुश्किल तो सदन के सामने शुरू में ही रख दी थी, दूसरी मुश्किल मैं यह रखना चाहता हूँ कि आप एक तरफ यह कहते हैं कि किसानों को यह हक दे रहे हैं और दूसरी तरफ इस प्रकार के प्रोवीजन रखते हैं कि अगर किसान को दरख्त काटने हैं तो कलेक्टर की इजाजत लेनी होती है।

असिस्टेन्ट कलेक्टर समझ लीजिए या और कोई 'टन्ट' समझ लीजिए। इजाजत तो लेनी ही पड़ती है। उसके बारे में मि० चेयरमेन, मैं यह बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ के किसान गरीब

Page No.64

[श्री मानसिंह महार]

है, पढ़े लिखे नहीं हैं, उसके गाँव से जहाँ कहीं भी असिस्टेन्ट कलेक्टर का मुकाम होता है, उसको वहाँ खर्चा लगाकर आना पड़ता है। तो वह इस कानून के जरिये से असिस्टेन्ट कलेक्टर की अदालत में आयगा। उसको कहा जायगा कि दर्खास्त ला, क्यों आया है? इधर उधर वह गरीब जायगा। कोई उससे दरखास्त लिख देने के लिए १) रु० मांगेगा. कोई दो रुपया और यदि वह ज्यादा भोला हुआ तो दर्खास्त लिखने के पाँच रुपये तक भी ले लिए जावेंगे। उसके बाद उसको टिकिट लगाना पड़ेगा।

('अंगूठा लगाना पड़ेगा' ऐसी सदन में आवाज)

फिर उसको अंगूठा भी चिपकाना पड़ेगा और अंगूठा चिपकाने के बाद में माननीय चेयरमेन, वह असिस्टेन्ट कलेक्टर की अदालत में घुसेगा तो चपरासी कहेगा कि अरे अन्दर कहाँ जाता है। वह उसका हाथ पकड़ेगा तो वह कहेगा कि अरे महाराज आप भी पान बीड़ी ले लीजिए। असिस्टेन्ट कलेक्टर साहब के मुन्शीजी की सेवा-पूजा भी कर देगा तो कहीं उसको हल के लिए लकड़ी काटने को मिल सकेगी। इस प्रकार के प्रतिबन्ध तो पुराने युग में ठीक चल रहे थे। यदि आप क्रान्ति-कारी परिवर्तन लाना चाहते हैं तो इन दकियानूसी तरीकों को छोड़ने की कुछ भी हमने कोई पाबन्दी की? जयपुर गवर्नमेंट द्वारा यहाँ एक प्रतिबन्ध लगाया हुआ था कि किसी खालसे के किसान को जागीरदार अपने यहाँ उठा कर नहीं ले जा सकते थे। आप कहते है कि जागीरदारों का कब्जा है, क्या कारण था कि खालसे का किसान नोन खालसे में नहीं बस सकता था? इस प्रकार से नोन खालसे के किसानों को आराम था। इसलिए खालसे के किसान को लाकर हम हमारी जमीन में बसाते थे किन्तु सरकार अपनी जमीन पड़त रहने के कारण ऐसा कानून रखती थी। इस प्रकार के कानून को छोड़ दीजिये।

श्री सभापति—प्रोग्राम के अनुसार ११ बजे इस सम्बन्धी बहस की कार्यवाही समाप्त होती है। अगर आप दो-चार मिनिट में ही समाप्त कर दें तो कर दीजिए।

श्री मानसिंह महार—पन्द्रह मिनिट चाहिए।

अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के प्रति अविश्वास के प्रस्ताव प्रस्तुत करने सम्बन्धी मुख्य मन्त्री महोदय का प्रस्ताव

श्री सभापति—पन्द्रह मिनिट देने की गुन्जाइश नहीं है।

अब २१ मई, १९५४ को मुख्य मन्त्री द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर, अग्रेतर वाद-विवाद होगा। यह प्रस्ताव इस माफिक है :

Page No.65

[श्री सभापति]

"यह सदन प्रस्ताव करता है कि चूंकि सदन के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विशुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पेश होने के बारे में कोई स्पष्ट नियम नहीं है, अतः सदन संविधान द्वारा इंगित व स्वीकृत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों की पवित्रता की तरफ ध्यान रखते हुए एवं सदन में स्वस्थ परम्पराओं को कायम करने के उद्देश्य से यह सदन यह निश्चय करता है कि अन्य 'बी', 'सी' और कुछ 'ए' राज्यों में स्वीकृत परिपाटी व नियमानुसार सदन के कुल सदस्यों के १/५ भाग की स्वीकृति के बाद ही ऐसा प्रस्ताव स्वीकार किया जाय।"

उपरोक्त प्रस्ताव पर संलग्न सूची में प्रविष्ट, संशोधन प्रस्तुत भी किये जावेंगे।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—मि० चेयरमेन, सर.....................

श्री हरिकृष्ण व्यास—On a point of order, Sir,..........

यह जो प्रस्ताव है वह प्राइवेट मेम्बर्स रिज़ोल्युशन है या सब्स्टेन्टिव मोशन (Substantive motion) है? अगर यह सब्स्टेन्टिव मोशन है तो जैसा कि साफ नजर आता है तो इसके लिए हाउस की लीव सीक (to Seek the leave of the House) करना जरूरी है और चूंकि हाउस की लीव नहीं ली गई है, इसलिए पहले हाउस की लीव ली जाय, ऐसी आपकी रूलिंग की मैं दरख्वास्त करूंगा।

श्री सभापति—क्या आप कोई रूल नियमों के अनुसार कोट (quote) करेंगे? आपका ओबजेक्टिव किस रूल के माफिक है?

(विराम)

आपको कोई शायद रूल नहीं मिलता है इसलिए कार्यवाही आगे बढ़ायी जाय।

श्री हरिकृष्ण व्यास—बताता हूँ।

श्री सभापति—जल्दी करिये।

श्री मानसिंह महार—रूल तो पहिले से ही ढूँढ लेना चाहिए था, नहीं तो रूल आउट हो जाने की गुन्जाइश है।

श्री सभापति—आपका पोइन्ट ऑफ ऑर्डर बेकार सा मालूम होता है, इसलिए अब श्री जसवन्तसिंहजी को इजाजत दी जाती है कि अपना भाषण जारी करें।

श्री हरिकृष्ण व्यास—हाउस के रूल्स के अमेन्डमेंट का जिक्र है उसके तहत आयेगा।

श्री सभापति—आप पर्टिकुलर रूल बता नहीं सकते, इसलिए मैं समझता हूं कि आपका यह ओब्जेक्शन बिलकुल गलत मालूम होता है।

श्री खेतसिंह—ये तो अक्सर ऐसे ही रूल कोट किया करते हैं।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—मि० चेयरमेन सर, पिछले दो महिनों में इस सदन का वातावरण ऐसा हो गया था कि इस दो महिने के अर्से में हम लोगों ने यहां कई महत्वपूर्ण कानूनों पर विचार किया। आज से २ मास पूर्व इस सदन में जो एक प्रकार का वातावरण खड़ा हो गया वह वातावरण दूर होकर हम एक महत्वपूर्ण कानून के बनाने में मग्न हो गए थे। अभी पॉच मिनिट पहले तक हम उसी महत्वपूर्ण 'भूमि सुधार कानून' पर विचार कर रहे थे। अभी एक बिजली के स्विच के माफिक एक प्रकार से स्विच डाल दिया गया और एक दूसरा ही विषय इस सदन में बहस के लिए आ गया। इतने बड़े 'भूमि सुधार कानून' को यह सदन, और हमारे प्रांत के दूसरे महानुभाव जो विज़ीटर्स गेलरी में थे, कितना महत्व देते थे यह भी बात पाँच मिनिट पहले आपको प्रतीत हो रही थी। अभी पाँच मिनिट के बाद एक दूसरे ही प्रकार का विषय इस सदन में लाया गया। कितनी दिलचस्पी लोगों को इस विषय में है, यह सोचने की बात है। यह विषय जो इस सदन में आज और अभी लिया जा रहा है इसके लिये एक बहुत पुरानी गाथा है जिसमें मुझे जाना आवश्यक प्रतीत नहीं होता। मगर फिर भी हमें हमारे राज्य में बहुत स्वस्थ और बड़ी परम्परायें डालनी हैं। हमें अपने देश का निर्माण करना है इसलिये कभी कभी अप्रिय बातें होती हैं, जो मामूली तौर से हम लोगों के सामने नहीं आनी चाहिये थीं, वे कर्तव्य से बाधित होकर करनी पड़ती हैं। इस सदन में कुछ समय से बल्कि मैं तो यहां तक कहूँगा कि जब से राजस्थान में विधान सभा बनी है तब से चेयर की तरफ से, यानी स्पीकर की तरफ से इस प्रकार के परम्परायें स्थापित करदी गई जिससे इस सदन को कई दफा कदम उठाना पड़ा और बहुत सरगर्मी इस सदन में लाई गई।

संसार की जितनी भी विधान सभायें हैं, लोक सभायें हैं उनके विधान को देखा जाय तो सभी इस बात में एक मत होंगे कि स्पीकर का स्थान एक बहुत बड़ा और पवित्र स्थान है। उनकी हैसियत विधान सभा में सरकार के मन्त्रीगण से और मुख्य मन्त्री से भी बड़ी है और न्याय की तराजू अपने हाथ में लेकर, चाहे सरकारी पक्ष हो और चाहे विपक्ष हो, सब को एक दृष्टि से न्याय देने का उनका कर्त्तव्य बन जाता है। इसलिए जब कभी बड़े बड़े देशों में जहाँ कि विधान सभाओं की परम्परायें सदियों से चली आ रही हैं एक ऐसे व्यक्ति को स्पीकर चुना जाता है जिसमें सब की श्रद्धा हो। जो विधान सभाओं की जननी कही जाती है 'मदर ऑफ पार्लियामेन्ट', अगर विलायत की पार्लियामेन्ट को देखा जाय तो उससे आपको पता चलेगा कि वहां भी स्पीकर का स्थान एक बहुत विशिष्ट स्थान है। स्पीकर के स्थान को इतनी महानता दी जाती है कि जब कभी जनरल इलेक्शनस होते हैं उस वक्त उनका स्थान अन कोन्टेस्टेड रहता है। सभी पार्टियां एक साथ मिलकर उनको उस सीट से बगैर किसी के मुकाबले के आने दिया जाता है ताकि वह स्पीकर सदन का सदस्य चुना जा सके और फिर उसी स्पीकर के स्थान को ग्रहण कर सके। हमारे भारतवर्ष में डेमोक्रेसी अभी थोड़े ही अर्से से आई है। हमें अभी तक बहुत कुछ बातें पुरानी डेमोक्रेसी से सीखनी हैं। हमारे

[कुँ० श्री जसवन्तसिंह]

हिन्दुस्तान में डेमोक्रेसी तब सफल होगी जब कि हम दूसरे देशों से कुछ सीखें। दूसरे देशों में जिस प्रकार की परम्परायें हैं, शनैः शनैः हम भी उन्हीं परम्पराओं को यहां डालने की चेष्टा करें; तभी हम सच्चे मायने में डेमोक्रेटिक कहला सकते हैं। यह प्रिलिमिनरी रिमार्क देने के बाद में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो प्रस्ताव इस सदन में लाया गया है वह भी हमारे पवित्र संविधान के विरुद्ध है। वह किस तरह से है? जब तक रूल्स ऑफ प्रोसिजर एन्ड स्टेंडिग ऑर्डर्स लेजिस्लेचर द्वारा नहीं, बनाये जायें तब तक सदन कोई नया कानून या रूल नहीं बना सकता और जब तक सदन रूल्स ऑफ प्रोसिजर न बनावे तब तक रूल्स कमेटी स्पीकर के अधीन कार्य करती है और स्पीकर ही केवल रूल्स बना सकता है। हमारे राजस्थान में जो मौजूदा रूल्स ऑफ प्रोसिजर एन्ड कन्डक्ट ऑफ बिजिनेस है उसको स्पीकर के अधीन जो रूल्स कमेटी है उसने यह बनाये हैं और समय समय पर जब कभी रूल्स में तरमीम करने की जरूरत पड़ी स्पीकर ने ही रूल्स को बनाया है। फिर यह मेरी समझ में नहीं आता कि यहां अब ऐसी कौन सी बात बन गई है जिससे इस समय नये रूल्स जो प्रस्ताव के रूप में मुख्य मन्त्री ने इस सदन के सामने रखें हैं और जो आज से दो महीने पहले इस सदन में पेश किया गया उसको यह सदन पास करे। इसके लिए पहले बहुत बहस हो चुकी है और पहले यह सदन द्वारा तय कर दिया गया था कि सदन इस रूल को पास करे। इसी आशय से हमारे मुख्य मन्त्री ने दो महिने पहले इस आशय का एक प्रस्ताव पेश किया था। इस प्रस्ताव के पेश करते समय सदन में क्या वातावरण बन गया था वह बहुत दुख का विषय था। वह इस सदन के इस ओर बैठने वाले सदस्यों का और उस ओर बैठने वाले सदस्यों का ऐसा दृश्य बन गया था जिससे शायद ही किसी माननीय सदस्य को खुशी हुई होगी। मगर फिर भी यह दुख का विषय बन जाता है और मैं ऐसा ख्याल करता हूं कि आने वाले बहुत अर्से तक उस दृश्य को उस दिन देखने वाले और विज़ीटर्स गेलरी में बैठे हुए सज्जन नहीं भूल सकेंगे। यह मैं मानने के लिए तैयार हूं कि जो पदाधिकारी इस डेमोक्रेसी में हैं उनके स्थान को, पद को, तुच्छ आक्षेपों से सुरक्षित रखे जांय। इसीलिए अगर कोई सरकार के किसी मन्त्री के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लाता है तो उसके लिए अमुक तादाद में मेम्बरों की सहमति होनी चाहिए। जहाँ तक मेरा ख्याल है सरकार के प्रति यदि कोई अविश्वास का प्रस्ताव लाता है तो २५ सदस्यों को उसकी सहमति के लिए खड़े होने की आवश्यकता होती है। यह विधान इस वक्त जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर हमारे यहाँ चालू है उसमें है। बहतर होता उसी प्रकार का रूल इसमें भी लागू होता तो किसी को ऐतराज नहीं हो सकता था। इसके बाद में करीब एक साल से ऊपर, डेढ़ साल पहले, एक अविश्वास का प्रस्ताव माननीय अध्यक्ष के विरुद्ध इस सदन में लाया गया उस वक्त यह रूल उन नियमों में नहीं लगाया गया था। मेरा ऐसा भी ख्याल है उस वक्त यह जोर दिया जाता रहा था कि बगैर इस नियम के भी सदन के सामने कोई अविश्वास का प्रस्ताव आ सकता है। किन्तु जब दुबारा माननीय अध्यक्ष के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव आया तो सरकार या इस विधान सभा सचिवालय को यह ख्याल आया कि यह जो खामी रह गई है उसकी पूर्ति होना आवश्यक है। अगर हमें स्वस्थ परम्परायें डालनी थीं तो एट दी ट्वेल्थ अवर ऐसा नियम बनाना अध्यक्ष की शान के विरुद्ध है।

[कुँ० श्री जसवन्तसिंह]

लेकिन फिर भी हमें इस बात में कोई एतराज नहीं है। उस दिन के विषय के बाद हमें यह खुशी है कि आखिरकार माननीय अध्यक्ष ने और सरकार ने इस विषय को दुबारा लेने का ऑपोजीशन को अवकाश दिया, इसके लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। यह हमारे अधिकार का प्रश्न था कि जो कुछ हमें कहना है इस विषय पर, वह हमें कहने का अवकाश दिया जावे लेकिन कुछ वाद-विवाद और बहस के बाद में यह हमारी माँग मानी गई, इसके लिए हमें खुशी है।

मिस्टर चेयरमैन, सर, जैसे मैं पहले कह चुका हूँ कि अध्यक्ष का स्थान एक बहुत विशेष स्थान है और उस स्थान की व्याख्या नहीं की जा सकती। अगर हम अपनी पुरानी डेमोक्रेसी की तरफ ध्यान दें तो मुझे माननीय श्री पुरुषोत्तमदासजी टण्डन का एक वाक्य, जब कि वे उत्तर प्रदेश में उस स्पीकर के स्थान को ग्रहण कर रहे थे, उस वक्त का याद आया। उन्होंने इस विषय में सदन में साफ यह कह दिया था कि सदन का अगर एक सदस्य भी उठकर यह कह दे कि उनका "इन्टेन्शन मेलाफाइडी" है, या शुरू हो गया है, या अध्यक्ष में या अध्यक्ष के न्याय में उनका भरोसा नहीं रहा है तो वह फौरन अपना पद त्याग कर दें। हमारे भारतवर्ष में न्याय का गौरव हमेशा बहुत ऊँचा रहा है और उसके लिए हमारे नेताओं ने, और हमारे महर्षियों और दूसरे बड़े-बड़े जो त्यागी या राजा महाराजा हो गये हैं उन्होंने एक सत्य और न्याय के पीछे बहुत बड़े-बड़े त्याग किए हैं। हमारी इस बारे में बड़ी-बड़ी परम्पराएँ हैं और हम आशा तो यह करते हैं कि हम ऐसा अध्यक्ष हमारी विधान सभा में चुनें कि जिन पर अगर एक भी सदस्य चाहे वैमनस्यता से या और किसी भी कारण से हो अपना अविश्वास प्रकट कर दे तो उन्हें स्वतः अपना स्थान खाली कर देना चाहिये।

आज से चार महीनों पहले इस विधान सभा से ऑपोजीशन के सदस्यों की संख्या या विरोधी पक्ष की संख्या बहुत ज्यादा थी। उस वक्त में अगर ४५ पर्सेंट सदस्यों के भी खड़े होने की जरूरत होती तो वह भी संख्या मिल सकती थी। पर अभी जो सदन के सामने एक प्रस्ताव माननीय मुख्य मन्त्री महोदय द्वारा लाया गया है उसमें १।४ यानि २५ प्रतिशत सदस्यों की इसके लिए सहमति होने का सुझाव दिया है।

एक माननीय सदस्य—१।४ नहीं १।५ है।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—(भाषण जारी रखते हुए) सोरी, माफ कीजिये। १।५ वाँ हिस्सा है यानि २० प्रतिशत का सुझाव आपने प्रस्ताव में दिया है। अभी भी विरोधी पक्ष में जब कि पहली तादाद में से हमारे कुछ साथी उस तरफ चले गये हैं फिर भी १।४ यानि २५ प्रतिशत से ऊपर तादाद अब भी मौजूद है। १६० के हाउस में ४२ के करीब बैठने वाले सदस्य ऑपोजीशन में हैं। यह जो २० प्रतिशत का सुझाव रक्खा गया है वह ऑपोजीशन के लिए मुश्किल नहीं है पर यह एक सिद्धान्त का सवाल है। आप देखिये कि हमारे हाउस ऑफ दी पीपुल, जिसे आप लोक सभा कहिये या धारा सभा कहिये उससे ज्यादा महत्व का स्थान इस संविधान में हमारे राष्ट्र में और किसी संविधान सभा को नहीं हो सकता। वहाँ पर रूल्स ऑफ बिजनेस में हम देखेंगे तो ५०० के

[कुं० श्री जसवन्तसिंह]

लगभग संख्या का जो एक सदन है उसमें ५० (पचास) सदस्य अगर खड़े होकर अध्यक्ष के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव लाना चाहें तो यह संख्या काफी है। तो फिर मैं यह नहीं समझ सकता कि किन्हीं कारणों से यहाँ १।५ हिस्सा यानि २० प्रतिशत संख्या सदस्यों के खड़े होने के लिए सुझाव रक्खा गया है। यह तो बात ठीक है कि हमारी संख्या ४२ व ४३ होते हुए भी किन्हीं कारणों से शायद सरकार के खयाल में ऐसा हो कि १।५ हिस्से के हिसाब से ३२, ३३ सदस्य होने आवश्यक हैं इसलिए उनके हिसाब से उस दिन ऐसा नहीं हो सकता था, पहले से नोटिस नहीं देने की वजह से यह संख्या प्राप्त न हो सके तो वह प्रस्ताव अपने आप गिर जावेगा जो विरोधी पक्ष के द्वारा लाया गया है। यह खयाल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। पर कल्पना यह की जा सकती है। इसके विरुद्ध मैंने एक अमेन्डमेंट प्रस्ताव पेश किया है और मेरा वह अमेन्डमेंट इस प्रकार है :

"That instead of 1/5 the word 1/10 be substituted."

इसका, १।१० का कारण यह है कि हमारे सदन का जो कोरम है वह यही है। इस कोरम से यह सदन अपनी बैठकों को चला सकता है। १६० सदस्यों के इस सदन में अगर १६ माननीय सदस्य इस सदन में मौजूद हों तो बड़े से बड़ा और महत्त्वपूर्ण कानून भी पास किया जा सकता है। इस वक्त में एक टिनेन्सी लॉ इस सदन द्वारा विचाराधीन है। वह बड़े महत्व का सवाल है, लेकिन १६० सदस्यों के सदन में अगर १६ माननीय सदस्य इस सदन में मौजूद हों तो इतने बड़े महत्वपूर्ण कानून को भी वे पास करा सकते हैं। तो इसी आधार पर मैंने यह प्रस्ताव रक्खा है कि यह अमेन्डमेन्ट आप स्वीकार करें। अगर इस वक्त यह नियम हमारे रूल्स ऑफ बिज़नेस में जोड़ना है तो १।१० ही होना चाहिए जो कि हमारा कोरम भी है और यही मिसाल हमारे हाउस ऑफ पीपुल यानि लोकसभा में भी है। वहाँ भी ऐसा ही कानून है। ऐसा ही नियम है तो इसके विरुद्ध हमें जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

यह भी सच है कि भारत के दूसरे प्रान्तों की विधान सभाओं में १।६ और कहीं-कहीं १।४ भी हो सकता है। जहाँ तक मुझे याद है ट्रावनकोर में, जहाँ कि ऑपोजीशन की संख्या ज्यादा है, वहाँ १।४ भी रक्खा है; क्योंकि वहाँ पर हमारे साम्यवादी मित्रों का विरोधी पक्ष है और इसकी वजह से वहाँ की गवर्नमेंट को सतर्क रहना पड़ता है। तो वहाँ अपनी मेजोरिटी के बल पर १।४ हिस्सा इस काम के लिए रक्खा है। तो जैसा कि मैं माननीय चेयरमैन, निवेदन कर रहा था हमें बहुत स्वस्थ परम्पराएँ रखनी हैं और अगर बहुमत के कारण हमारी सरकार यह ख्याल करे कि वह अध्यक्ष के रूप में एक अपने नामजद किए हुए व्यक्ति को बिठा दे, जो कि हर वक्त गवर्नमेंट के कहने के मुआफिक ही रूलिंग देता रहे और जैसा गवर्नमेंट बतावे वैसा चले और यह प्रतिबन्ध १।५ का लगा दिया जावे जिस पर कि कभी अध्यक्ष के खिलाफ कोई अविश्वास का प्रस्ताव लाया ही नहीं जा सकता हो, तो मैं यही कहूँगा कि हम एक बहुत बुरी परम्परा इस सदन के सामने रक्खेंगे।

माननीय चेयरमेन, एक मौका ऐसा आ सकता है कि इसी आधार पर अध्यक्ष कुछ ऐसी

[कु० श्री जसवन्तसिंह]

बातें कर दें और सरकार उनके साथ है तो बहुत बुरी परम्परा इस सदन के लिए हम कायम कर देंगे, जिसके लिए हमें राजस्थान में हमेशा को लज्जित होना पड़ेगा। मैं यही कहूँगा कि हमारी पुरानी सदियों की जो परम्परा है न्याय और सत्य की, उसको हम भूल जायेंगे अगर इस तरह का प्रतिबन्ध यह सदन इस नियम के बनाने के लिए तैयार होगा। मौका आ सकता है और कई दफा इस सदन के सामने मौका आया भी है। मैं एक हाइपोथिटिकल केस इस सदन के सामने लाना चाहता हूँ। मान लीजिये कि एक दिन के लिए एक माननीय अध्यक्ष ने एक रूलिंग दे दिया जिसके तावे जा बोलने वाले हैं उनके लिए समय नियुक्त कर दिया गया कि १० मिनिट उनको मिला, ५ मिनट उनको मिला, २५ मिनट उनको मिला और उसी समय के अनुकूल सब व्याख्यान हो चुकने के बाद में किसी कारण से सरकारी पक्ष के बोलने वालों के लिए भी उन्हीं माननीय अध्यक्ष ने समय तय कर दिया और किसी कारण से सरकार की एम्बेरेसिंग पोजीशन हो गई और अध्यक्ष को इशारा देकर बाहर ले जाकर एक तरह से सरकार अगर अध्यक्ष से कह दे कि किसी तरह से इस बहस का आगे चलाना है, और जो कुछ यह सदन तय कर चुका है स्पीकर उसके विरुद्ध कार्यवाही करता है और ईश्वर न करे फिर भी वापिस आकर सरकार के आदेशानुसार अगर जो कुछ सदन के द्वारा तय कर दिया गया है उसके विपरीत रूलिंग दे दे। ऐसी घटना अगर घट जाय तो मैं मेरे परम मित्र माननीय मुख्य मन्त्री से निवेदन करूं कि वह फिर भी यही प्रतिबन्ध रखे कि १५ संख्या हो और उनकी सहमति पर अविश्वास लाने पर जोर देंगे। अगर वह इस बात के लिए जोर देंगे तो मैं यह कहूँगा कि अगर कोई ईमानदार अध्यक्ष हो, उसको १ हजार रुपया महीने की तनखा के बजाय अगर एक लाख को तनख्वाह भी दी जाय तो भी वह कभी मन्जूर नहीं करेगा। मनुष्य की इज्जत एक बहुत बड़ी चीज़ होती है और गवर्नमेंट की कृपा और माली फायदा उठाने के हेतु अगर कोई चिपक महादेव बनना चाहे तो वह कोई शोभा की बात नहीं होगी। ऐसे भी दृष्टान्त इस सदन के सामने आ सकते हैं कि जहाँ कि स्पीकर ऐसा काम कर दें जो कि सदन में तय की शुदा बात को वापिस कर दे सरकार को खुश करने के लिए तो चाहिए तो यह कि क्या विपक्ष की ओर से क्या और सरकार की तरफ से अगर एक भी माननीय सदस्य यह कह दे कि हमें उनमें विश्वास नहीं है, तो हमारी परम्परा यह होनी चाहिए कि फौरन माननीय अध्यक्ष अपना स्थान रिक्त कर दें।

मि० चेयरमेन, सर, दूसरी बात एक ऐसी भी हो सकती है कि जहाँ कि अध्यक्ष जो कि एक सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना जाय तो उसका स्थान एक बहुत कठिन स्थान बन जाता है और चाहे वह किसी पार्टी का सदस्य हो और उसका एफिलियेशन कितना ही गाढ़ा हो, मगर उनके उस चेयर पर बैठने के बाद में सबको एक दृष्टि से देखना आवश्यक हो जाता है। वह पार्टी का सदस्य फिर नहीं रह सकता है। चुनाव के पहले अध्यक्ष पार्टी के मेम्बर होते हैं और चाहे एक बहुत बड़ा मेम्बर यानि सदस्य हो सकता है, उन पार्टियों से अध्यक्ष चुने जाने पर वह मिल नहीं सकता है। जब कि हमारे माननीय अध्यक्ष का सब पार्टियों की सहमति से चुनाव हुआ था उस वक्त मैंने एक उदाहरण दिया था कि यह स्थान बहुत कठिन होगया है और मुझे स्वयं अनुभव था, उस अनुभव का एक उदाहरण दिया था कि उनको उस कसौटी के अन्दर निकलना पड़ेगा और ईश्वर उनको शक्ति दे कि वह उस कसौटी में सफल निकलें।

मुझे इंगलैंड में या यूरोप में, विलायत में रहने का बहुत अवसर मिला है और बहुत वर्षों

[कुँ० श्री जसवन्तसिंह]

तक वहां रह चुका हूँ । पोलिटिक्स से हमेशा मुझे शौक रहा । एक विद्यार्थी के रूप में भी एक कर्मचारी के रूप में भी और बाद में भी; तो, इंगलेन्ड में खास तौर से मुझे हाउस ऑफ कामन्स की कार्यवाही देखने का काफी अवसर मिला और मैं अवसर देखने जाता था और वहाँ रूल्स और नियमों को देखने का भी काफी अवकाश रहा । मैं मि. चेयरमेन, आपके द्वारा सदन को निवेदन करूं कि वहाँ पर स्पीकर के पद की पवित्रता, उच्चता, इतनी ऊँची है कि वहाँ जो पोलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वह अपने-अपने क्लब्स और होटल्स जो इस तरह के जनसम्पर्क के स्थान होते हैं हरेक पार्टी अलग-अलग रखती हैं। हम लोगों के यहाँ हिन्दुस्तान के जीवन का जो स्तर है वह बिल्कुल उनसे विपरीत होता है। हम लोगों के खुद के घर हैं और घरों में सब कुछ होता है किन्तु वहाँ पर आमतौर पर होटल्स में होता है। जितने भी बड़े-बड़े आदमी हैं गवर्नमेंट के मिनिस्टर, लोर्ड्स या जो भी कोई हमारे यहाँ के वायसराय आते थे उनके घर के मकान नहीं होते थे। उनको पार्टियों के क्लब्स और होटलों में रहना पड़ता था। वहीं उनका जन्म होता है, यद्यपि बहुतसों के गाँवों में घर होते हैं और बड़े-बड़े लोगों के बच्चों का जन्म होटलों में होता है, क्लबों में पलते हैं। लोगों से मिलना-जुलना भी होटलों और क्लबों में होता है। उनका मरण भी क्लबों में होता है। ये होटल्स और ये क्लब्स अलग-अलग पार्टियों द्वारा चलाये जाते हैं, लेकिन ज्योंही कोई व्यक्ति लोक सभा का अध्यक्ष चुना गया उसको सब होटल्स और क्लब्स की जितनी भी एक्टिविटीज हैं उन सबको बन्द करके इस्तिफा देना पड़ता है, किसी पोलिटिकल पार्टी के साथ सम्पर्क नहीं रह सकता है। वह किसी अपने पुराने साथी से चाहे कितना ही गहरा उनका सम्बन्ध हो उससे सम्बन्ध तोड़ लेता है और एक अलग जिस स्थान में सरकार के द्वारा उसको जो स्थान दिया जाता है, उसमें वह रहता है और किसी भी पोलिटिकल पार्टी से चाहे वह उसका मेम्बर हो, उससे वह सम्बन्ध नहीं रखता है। अगर हमको डेमोक्रेसी को सच्चे रूप में चलाना है। और हमारे भारतवर्ष को आगे चलना है और अगर लोकतन्त्रवाद को जीवित रखना है तो हमें यह सब आदर्श लोगों के सामने रखने पड़ेंगे। मि० चेयरमेन, मैं आपसे निवेदन करूं कि अगर अध्यक्ष गलती में, अनजाने में, या जानबूझकर, किसी पोलिटिकल पार्टी से इतना ही सम्बन्ध रखे जिसका कि वह कभी सदस्य रह चुका हो कि उसके इन्टरनल झगड़े फसाद में दिलचस्पी रखे और फिर भी वह आशा करे कि उनको हमेशा के लिए इस स्थान पर रखा जाय और सरकार के साथ इतना बहुमत हो कि जहाँ १/५ जो कि सुझाव माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने अपने प्रस्ताव में रखा है उसकी पाबन्दी रखी जाय तो हम एक ऐसा कार्य कर बैठेंगे कि जिसके लिए एक तरफ भारतवर्ष को आगे चलाना चाहते हैं तो उसको वापिस पीछे घसीटना पड़ेगा। हम भारतवासियों का आदर्श सदियों से, पीढ़ियों से, हजारों वर्षों से जब से दुनिया स्थापित हुई है तब से हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में न्याय और सत्य का आदर्श रहा है। यदि वहाँ पर भी ऐसा ही होता, वहाँ पर भी बाधाएँ लगा दी जातीं तो हिन्दुस्तान का नाम, हिन्दूधर्म का नाम, इतनी दिक्कतों के बाद जो यह सनातन धर्म चला आ रहा है कभी भारतवर्ष का नाम इतना उज्जवल नहीं रह सकता था। यदि माननीय अध्यक्ष महोदय अपने कर्त्तव्य से गिर जाँय और सिर्फ एक कानून के द्वारा इस तरह से उनका बचाव किया जाय तो मैं यह कहूँगा यह अच्छी बात नहीं है। इसके सिवाय जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर

[कुँ० श्री जसवन्तसिंह]

पहले माननीय पुरुषोत्तमदासजी टंडन की मिसाल दी थी उसी मिसाल पर यह कहूँगा कि हम लोगों का उद्देश्य भी वही होना चाहिये। लेकिन जहाँ १/४ स्ट्रेंगन्थ यहाँ पर अपोजीशन की है उनमें से एक का भी विश्वास अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के प्रति नहीं रहा तो मैं यह चाहूँगा कि यह जो मैंने सुझाव दिया है कि १/१० हिस्सा काफी होना चाहिये जिससे कि प्रस्ताव लाया जा सके। यही नहीं बल्कि मैं तो यह कहूँगा कि उनको फौरन ही अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का स्थान छोड़ देना चाहिये। आज से डेढ़ साल पहले जब माननीय अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था और जैसा कि सब को मालूम है, उपाध्यक्ष विरोधी पक्ष के थे, और सरकार की तरफ से उपाध्यक्ष के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था, तो मैंने उस समय खुले आम इस सदन में यह कहा था कि जहाँ तक हमारे उपाध्यक्ष का सवाल है उनमें यदि एक भी व्यक्ति का विश्वास नहीं रहा है तो उनको फौरन ही पद त्याग देना चाहिये। लेकिन आपस में बात-चीत होने के बाद दोनों के प्रति अविश्वास के प्रस्ताव वापिस ले लिये गये थे, इसलिये वह बात आगे नहीं बढ़ी। लेकिन आज भी मैं उसी ख्याल का हूँ। कुछ जाने अनजाने या पोलिटिकल प्रेशर से ऐसी बातें हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए और वे बातें स्पीकर को शोभा नहीं देतीं और न स्वस्थ परम्परा ही हम इस सदन में रख सकते हैं। और माननीय चेयरमेन, ऐसी स्थिति भी पैदा हो सकती है जिसमें जैसा सरकार स्पीकर को कहे वैसा ही वह उसी माफिक करने लग जाय तो यह बात कोई माने नहीं रखती कि कितने सदस्यों का मत लेना जरूरी है। इन्हीं बातों को कहते हुए और हमारे भारतवर्ष का जो आदर्श रहा है और न्याय और सत्य का जो ऊँचा आदर्श हमेशा हम हमारे सामने रखते हैं और भारतवर्ष का जो मोटो है, एम्बलेम है तो उसमें लिखा है "सत्यमेव-जयते", तो क्या कारण है कि इतनी बड़ी तादाद में यदि विरोधी पक्ष कहे कि हम सदस्यों को अध्यक्ष में अविश्वास है तो टेक्नीकल ग्राउन्ड्स पर भी विरोधी पक्ष का अविश्वास होते हुए भी उनको कुर्सी पर जबरन बिठाया रखा जा रहा है? क्या अध्यक्ष और क्या उपाध्यक्ष, दोनों के प्रति जब अविश्वास का प्रस्ताव पेश किया गया था तो उनको चाहिये था कि ऐसा सुझाव सदन के सामने लाने के लिये उन्हें प्रयत्न नहीं करना चाहिये था। यह उनके लिये शोभा का काम नहीं है। यदि कोई व्यक्ति प्रतिष्ठा रखने वाला होता तो वे स्वयं दोनों व्यक्ति सरकार से यह निवेदन करते कि कम से कम इस वक्त जब कि अविश्वास के प्रस्ताव लाये जा रहे हैं तो ऐसा प्रस्ताव नहीं आना चाहिये। यह मैं मानता हूँ कि कुछ न कुछ संख्या रखनी चाहिये, लेकिन जहाँ पर 'होल अपोजिशन विदाउट एनी एक्सेप्शन' का सवाल है और जिस अपोजिशन की संख्या काफी है, १६० सदस्यों के हाउस का चौथाई हिस्सा यानि ४० सदस्य अब भी अपोजिशन में मौजूद हैं, वह संख्या कम नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि माननीय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही में, दुःख के साथ कहना पड़ता है, विरोधी पक्ष का कतई विश्वास नहीं है। (करतल ध्वनि)

श्री सोहनलाल भटनागर—On a point of order, Sir, may I know that the Hon' ble Member is speaking on the motion for amendment or the motion of no-confidence ?

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—Sir, the amendment is in relation to the no-confieence motion, and therfore, I have every right to speak on this point.

[कुँ० श्री जसवन्तसिंह]

मुझे, चेअरमेन महोदय, यह कहना है कि जब ऐसी स्थिति हो गइ है कि विरोधी पक्ष के एक भी सदस्य का उन दोनों पदाधिकारियों में विश्वास नहीं रहा है और मैं यह भी कह सकता हूँ कि जहाँ तक मेरा ध्यान है, यदि सरकारी पक्ष से व्हिप इश्यू नहीं किया जाय तो कम से कम ५० प्रतिशत सरकारी सदस्यों का भी विश्वास अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में नहीं रहा है (हीअर, हीअर)। यदि इस बात की जाँच करना चाहें तो इस सवाल पर जब वोटिंग हो व्हिप इश्यू न करें और ईमानदारी से वोट लेना चाहे तो क्या सच्ची बात है वह फौरन मालूम हो जायगी और यदि सीक्रेट वोटिंग की कार्यवाही की जाय तो यह सदन साफ बतायेगा कि हमारा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में कितना विश्वास है, यह साफ जाहिर हो जायगा। यह बात सेकन्ड स्टेज की है। इस वक्त तो यह सुझाव लाया गया है कि १/५ संख्या ऐसे माननीय सदस्यों की होनी चाहिये जो सहमत हो कि अविश्वास का प्रस्ताव लाया जाय या इससे कम संख्या रखी जाय।

श्री जयनारायण व्यास— आप मुझसे सहमत हुए थे १/५ में।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—(भाषण जारी रखते हुए) मैं नहीं कह सकता कि मैं कब सहमत हुआ था।

मेरा सुझाव है कि १।५ उपस्थिति के बजाय १/१० यदि हो तो कुछ समझ में आ सकता है; क्योंकि हमारा कोरम यह है और लोक सभा में भी इस प्रकार का नियम है जहाँ सदन के ५०० सदस्य हैं और उनमें से ५० सदस्यों की आवश्यकता अविश्वास का प्रस्ताव लाने के लिये होती है। १।१० हिस्सा काफी होता है। मैं इस प्रकार अमेन्डमेन्ट सदन के सामने पेश करता हूँ और आशा करता हूँ कि निडर होकर, हमारे भारतवर्ष का आदर्श, न्याय और सत्य को हमारे सामने रखते हुए ऐसी प्रेरणा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को दें कि यदि नियम पास भी हो जाय तो भी स्वतः वे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद से त्याग-पत्र दे दें और हम ऐसा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनें जिन में हर सदस्य का पूर्ण विश्वास हो (करतल ध्वनि)

श्री वेदपाल त्यागी— मिस्टर चेअरमेन, आज मुख्य मंत्री महोदय के जिस प्रस्ताव का सदन विचार करने के लिये इकट्ठा हुआ है, उसके पीछे एक इतिहास है और वह ऐसा इतिहास है जिसके लिये न कभी हम इस तरफ बैठने वाले, न उस तरफ बैठने वाले गरम हों।

जहाँ तक कि अध्यक्ष के पद की पवित्रता का सम्बन्ध है, इसमें दो मत नहीं हो सकते कि वह एक बहुत पवित्र पद है और इसके प्रति सभी को अपनी लोयल्टी शो करनी चाहिये। परन्तु जहाँ एक तरफ जिम्मेदारी सदस्यों पर आती है कि अध्यक्ष के पद की पवित्रता के प्रति लायल्टी रखें वहाँ दूसरी तरफ अध्यक्ष पर भी ज्यादा जिम्मेदारी आ जाती है कि वे अपने एक्शन्स ऐसे करें जिससे इस सदन के जितने सदस्य हैं, वे ख्वाह इधर बैठते हों, ख्वाह दूसरी तरफ बैठते हों, उन्हें अध्यक्ष महोदय में पूरा विश्वस हो। अगर अध्यक्ष महोदय इस प्रकार की कार्यवाही करते हैं, एक तरफ बैठने वाले लोग हैं उनका विश्वास खो देते हैं, तो उन लोगों की आवाज को दबाने के लिये जब अध्यक्ष के

[श्री वेदपाल त्यागी]

खिलाफ नो कोन्फीडेन्स का प्रस्ताव पेश हो चुका है, इस प्रकार का प्रस्ताव पेश करना न केवल अस्वस्थ परम्परा डालने वाला होगा बल्कि एक अनैतिक चीज भी होगी।

हमारे यहाँ डेमोक्रेसी आई है, हम पार्टी बेसिस पर डेमोक्रेसी को चलाते हैं। जो पार्टी मेजोरिटी में होती है वही अपनी सरकार बनाती है। यह परंपरा है कि जो पार्टी पॉवर में होती है वह अपनी पार्टी के एक व्यक्ति को अध्यक्ष पद के लिए चुनती है। कहीं भी आज तक ऐसा देखने में नहीं आया कि अध्यक्ष महोदय किसी दूसरी पार्टी की तरफ से चुने हुए व्यक्ति हों, जो पार्टी कि माइनोरिटी में हो। ऐसी हालत में जब कि अध्यक्ष महोदय उस पार्टी की तरफ से चुने गये हों, अगर वे (अध्यक्ष) ऐसा बर्ताव करें जिससे माइनोरिटी को ऐसा शक हो कि हमारे अधिकारों पर कुठाराघात है तो कम से कम माइनोरिटी को यह स्वतन्त्रता होनी चाहिये कि अपना अविश्वास का प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय के खिलाफ पेश कर सकें।

विधान में इस सम्बन्ध में जो क्लॉज रखा गया है उसमें भी इस प्रकार की कोई पाबन्दी नहीं है कि कितने आदमियों का खिलाफ होना आवश्यक है और कितने आदमियों का होना जरूरी है।

अलबत्ता यह जरूरी है कि अध्यक्ष अपने पद से उसी वक्त मुक्त किये जायेंगे कि अविश्वास इतने लोगों का हो जो हाउस में एक मेजोरिटी रखते हों।

जहाँ स्वस्थ परम्परा के गीत गाकर यह प्रस्ताव रखा गया है, तो मैं यह अर्ज करूँगा कि स्वस्थ परम्परा चाहते हैं तो वह दो प्रकार की है। एक श्री पुरुषोत्तमदासजी टंडन ने स्वस्थ परम्परा कायम की थी। हो सकता है कि एक आदमी नाराज हो जाय और अध्यक्ष महोदय के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव रख दे और जिससे माननीय मुख्य मन्त्री के कहने के माफिक अध्यक्ष के पद की पवित्रता को ठेस पहुँचे, तो उन्होंने (टंडनजी ने) कहा था कि तीन आदमी मिल कर कह देंगे कि आपमें हमें विश्वास नहीं है तो मैं इस बात की परवाह नहीं करूँगा कि मुझमें मेजोरिटी का विश्वास है, और मैं अध्यक्ष पद को छोड़ दूँगा।

स्वस्थ परम्परा कायम करना चाहते हैं तो यह मत रखिये कि हाउस में कम से कम कितने आदमी हों, जो कहें कि अध्यक्ष महोदय में हमें अविश्वास है। आप कहते हैं कि १/५ हिस्सा सदन में ऐसा होना चाहिये जो कहे कि हमें अध्यक्ष महोदय में विश्वास नहीं है। खुश किस्मती से या बदकिस्मती से आज इस तरफ बैठने वाले लोगों की संख्या इतनी नहीं है।

कुँ० श्री जसवन्तसिंह—है, पर मौजूद नहीं हैं।

श्री वेदपाल त्यागी—(भाषण जारी रखते हुए)...मौजूद नहीं हैं। मैं समझता हूँ, यही समझ कर यह संख्या मुख्य मन्त्री ने रखी है। मिस्टर स्पीकर के विरुद्ध आज से करीब डेढ़ दो साल

[श्री वेदपाल त्यागी]

पहले अविश्वास का प्रस्ताव आया। उस समय भी बिजनेस रूल्स में कोई ऐसा रूल नहीं था कि कितने आदमियों का खड़ा होना आवश्यक है। परन्तु उस वक्त हमारे मुख्य मन्त्री जानते थे कि १/५ का कायदा लगाया तो वह बेकार होगा क्योंकि उस समय इधर वालों की संख्या इससे कहीं ज्यादा थी। पर आज वे जानते हैं कि १/५ से कम संख्या में इधर बैठने वाले रहते हैं तो हम उस तरफ बैठने वालों को दबाने के लिए यह नया हथियार लायें।

वे मेजोरिटी में हैं, पर मैं बता दूँ कि जहाँ आपने रेजोल्युशन में स्वस्थ परम्परा का नाम रखा है वह स्वस्थ नहीं अस्वस्थ परम्परा होगी जब कि मेजोरिटी की बात रखेंगे और मेजोरिटी में भी इस माइनोरिटी का विश्वास नहीं होगा।

डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा सिद्धान्त यह है कि माइनोरिटी को विश्वास हो कि हमारे हक सुरक्षित हैं। फिर इस तरह का प्रस्ताव पेश करके माइनोरिटी में आप विश्वास पैदा नहीं कर सकते। इस तरह की पाबन्दी लगा कर आप हमारी जुबान पर, हमारे हकूकों पर जो, हमें कान्स्टीटयुशन ने दिये हैं, उन पर ताला लगा रहे हैं। यदि हमें अधिकार है तो हम अपना अविश्वास जाहिर करें अध्यक्ष महोदय में। यह बात नहीं है कि उधर बैठने वालों की ही विजडम की मोनोपोली हो, इधर बैठने वाले भी अपनी जिम्मेदारियों को जानते हैं। हम इस प्रकार का कोई कार्य नहीं करना चाहते जिससे हाउस पर और हम लोगों के ऊपर यह लान्छन आये कि हमने डेमोक्रेसी का नाजायज फायदा उठाया। पर मिस्टर चेयरमेन, आज जो कार्यवाही हो रही है, डेमोक्रेसी के नाम पर खेल खेला जा रहा है कि जो मेजोरिटी में आये हैं उनको हर प्रकार से हक है कि वे माइनोरिटी को दबायें।

यह जो अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया है इसके पीछे भी बड़ा इतिहास है, इसमें प्रिविलेज का सवाल है, इसलिए मैं कह नहीं सकता।

उधर बैठने वाले जो कुछ भी कार्य करते हैं, उन्होंने बता दिया कि हाउस में वे चाहें वही होना चाहिये, डेमोक्रेसी है उसको सबोर्डिनेट कर दिया है। जब भी कहीं मीटिंग में जाना होता है तो हाउस की छुट्टियाँ रख दी जाती हैं, जब भी हमारे यहाँ एट-होम होता है, तो हमारे हाउस की छुट्टियाँ रख दी जाती हैं।

श्री सभापति (राज श्री हिम्मतसिंह अटरू)—यह बातें आप अविश्वास के प्रस्ताव पर कहें तो ठीक होगा।

श्री वेदपाल त्यागी—(भाषण जारी रखते हुए) मैं अविश्वास के प्रस्ताव को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ कि अविश्वास के प्रस्ताव के पीछे एक इतिहास है।

तो हमारे मुख्य मन्त्री यह नहीं चाहते हैं कि दुनियाँ के सामने हमारी आवाज जाय कि आज माननीय मुख्य मन्त्री स्पीकर का भी काम करते हैं, क्योंकि जो कुछ रूलिंग होती है उसमें मुख्य मन्त्री का बहुत बड़ा हाथ होता है, जो रूलिंग दी जाती है वह उनकी राय से दी जाती है।

[श्री वेदपाल त्यागी]

एक वक्त ऐसा भी आयेगा जब बताऊँगा कि यह अविश्वास का प्रस्ताव क्यों आया ? मिस्टर चेयरमेन, मैं बताऊंगा कि यह जो प्रस्ताव मुख्य मन्त्रीजी ने प्रस्तुत किया है वह स्वस्थ परम्परा कायम करने का नहीं है। हमारे लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन ने भी ४० मिनिट तक भाषण दिया, उसमें कई देशों की परम्परा को बताया और यह बताया कि डेमोक्रेसी को किस प्रकार की स्वस्थ परम्परा से आगे बढ़ाना चाहिये।

मैं निवेदन करूंगा कि आज स्वस्थ परम्परा कायम करने का बीड़ा जो हमारे मुख्य मंत्री अपने प्रस्ताव के द्वारा उठा रहे हैं जो........

कई माननीय सदस्य—(एक साथ) टाइम हो गया है।

श्री सभापति—(श्री त्यागी से) आप कितना समय लेना चाहते हैं ?

श्री वेदपाल त्यागी—१० मिनिट।

श्री सभापति—समय हो गया है इसलिए कार्यवाही स्थगित की जाती है। कल ८ बजे सुबह फिर सभा की कार्यवाही आरम्भ होगी।

आप लोगों को एक सूचना देना चाहता हूं कि नोटिस ऑफिस से आप अपने कल के बिजनेस के कागज लेते जाँय।

(सदन की कार्यवाही १२ बज कर १ मिनिट पर दिनांक ३० जुलाई, १६५४, के प्रातः ८ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक—२६ जुलाई, १६५४.

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या १२१७ का उत्तर देखिये)

The circle rates proposed for the various soils of the two circles are as below:–

Soil-Class		Circle Seja or I	Circle Akhara or II
Ch	I	8/-	7/-
	II Plus	7/-	6/2/-
	II	6/-	5/4/-
	II G. Met	—	5/11/-
	III	4/-	3/8/-
	III G. Met	4/8-	3/15/-
	IV	3/-	2/10/-
Talabi	II	—	4/6/-
	III	—	3/1/-
	IV	2/-	2/3/-
Peta	I Plus	—	3/8/-
	I	—	2/10/-
	I G. M	—	3/1/-
	II Must	2/-	2/3-
	II G. Met	2/8/-	2/10/-
	II B. Must	1/8/-	1/12/-
Khadi	I T	3/-	3/1/-
	II T	2/4/-	2/5/-
Barani	I T	1/8/-	1/12/-
Khadi	I	2/-	2/3/-
Khadi	II	1/8/-	1/12-
Barani	I	1/-	1/2/-
	II	-/12/-	-/14/-

Soil-Class	Circle Seja or I	Circle Akhara or II
III	-/8/-	-/11/-
Beer I	-/10/-	-/9/-
II	-/6/-	-/5/-
Parat I	-/8/-	-/7/-
I G. Met	-/8/-	-/7/-
II	-/4/-	-/4/-
II G. Met	-/4/-	-/4/-
G. Mumkin	-/1/-	-/1/-

Page No.79

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या १२२२ का उत्तर देखिए)

Instructions for the grant of relief in rent and revenue in cases of agricultural calamity.

These rules prescribe the methods of granting relief in rent and revenue on the occurrence of an agricultural calamity such as famine, draught, rust, hail, locusts, floods, etc.

Agricultural calamities are of two kinds-wide-spread and local. Famine add draught are considered wide-spread, while frost, rust, hail, locusts and flood are generally local, affecting a limited area. On the occurrence of an agricultural calamity relief is given either by suspension or by remission of rent and revenue or by both.

1. *Principles for deciding whether suspension or remission should be recommended.*—Suspension will ordinarily be sufficient in the case of a calamity affecting the Kharif. But when the calamity is exceptionally severe, or when the economic condition of the people has been reduced by previous crop failures, or when the kharif is the main or exceptionally important crop, remission of rent and revenue may be recommended.

When calamities affect the Rabi, remissions should ordinarily be propoed The reason, why suspension and not remission is ordinarily granted on the occurrence of an agricultural calamity affecting the Kharif, is that Kharif save cotton is generally composed of the food crops of the people, while the Rabi consists of the cash or rent paying crops. It is therefore necessary to consider the relative importance of the Kharif and Rabi harvests, in determining the extent of relief by way of suspension or remission of rent and Revenue.

2. *Promptitude essential:*—Relief should be related as closely as possible to the loss suffered by individuals, but promtitude in the issue of orders is of far greater importance than meticulous accuracy in the estimation of loss. Particularly when the area which has suffered loss is large, small differences in the loss suffered by different crops should be ignored and an average rate of loss assumed.

3. *Scale of relief*—The relation between the relief to be given in rent and the loss on the holding calculated is given in the following table:—

Loss measured in annas per rupee of normal produce.	*Relief in rent per rupee,*
1. Less than -/6/-	Nil.
2. Amounting to -/6/- but not amounting to -/8/-	-/4/-
3. Amounting to -/8/- but not amounting to -/10/-	-/6/-
4. Amounting to -/10/- but not amounting to -/12/-	-/8/-
5. Amounting to -/12/- ...	... -/10/-
6. More then -/12/-	-/16/-

In the case of holdings the rent of which is payable by division of the produce or is based on appraisement of the standing crops, relief generally is not given.

4. *Principles for deciding whether suspended amount should or should not be collected.*—The following principles should guide the Collector in deciding whether a suspended amount of rent and revenue falling due for collection should be collected or not :—

(*a*) Suspended rent and revenue should be recovered as soon as the circumstances of the people and the out-turn of the harvest permit.

(*b*) As soon as the prospects of the harvest at which the collection of suspensions has been provisionally proposed, are sufficiently clear, the Collector should determine the amount of arrears which he can collect with the harvest, and should report his proposals to the Commissioner.

(*c*) In making this report, the Collector should be guided by the nature and the extent of the acclamity on acount of which relief was given, the character of the harvest about to be reaped, and the condition of the people.

(d) When the crops of the harvest to which the suspended rent and revenue have been carried forward are themselves below normal, remission of the suspended amount may be recommended in whole or in part.

(e) After three full years have passed since the amount was originally suspended, a report should be made for its remission.

INSPECTION AND ESTIMATE OF DAMAGE.

5. *Necessarity of constant watch over crop conditions.*—It is the business of revenue officers and in particular of Collectors and Sub-Divisional Officers closely to watch the state of the crops in the areas committed to their charge. It is only by paying continuous attention to the weather and other conditions which affect the crops from the time of sowing to the time of harvest, that it is possible to take action to give relief with the necessary promptness. Inspections of crops must therefore not be cofined to harvest time or delayed until it is rumured that the crops have failed. During their rainy season and cold weather tours, revenue officers must make constant inquiries as to the crop prospects and must make a point of visiting those areas in which there is a possibility of crops failure.

It is the duty of all sub-ordinate revenue officials to report cases of crop failure promptly to their superiors and it is the duty of the Collector and Sub-Divisional Officers and Tehsildars in cases in which they cannot make a sufficiently detailed inquiries themselves to call for detailed reports from their subordinates. Government and Commissioners must be kept in touch with the agricultural situation through Collector's forthightly demi-official letters. Commissioners themselves should, if there is expectation of an extensive calamity, arrange to visit the area affected.

6. *Special inquiries.*—When it appears that relief to the cultivators will probably be necessary the Collector should arrange for a special inspection of the area affected and should, unless the area damaged is very small, himself inspect the area. If the area is large, it will generally be impossible for the Collector to make a detailed inspection himself. In such a case it will generally be expedient to have detailed village inspections done by Inspectors of Land Records and Naib Tehsildars and to have their work checked by Tehsildars and Sub Divisional Officers. Reports should at this stage not be called for from patwaris. The Collector should himself carry out a sufficient

check of the work of his sub ordinates to enable him with the knowledge he has obtained from watching the crops since they were sown to satisfy himself of the accuracy of the reports which he has received or to correct these reports. The Collector should be able, when issuing instructions for detailed inspection of an affected area to indicate the general lines on which he wishes that inquiry to proceed and the points on which he wishes for detailed information. It is useful especially in the case of extensive damage, for the Collector, to hold a conference of the Sub-Divisional Officers and Tehsildars concerned at which final conclusions can be reached as to the extent and nature of the damage. The preparation of maps showing the villages affected and the comparision of the maps of one tehsil with the maps of neighbouring tehsils is a valuable check to ensure that no area, where relief is necessary has been left out aud that relief wlll be given on the same principles throughout the district

7. *Classification of fileds and esimate of loss.*—(1) It is impossible to base the relief given to cultivators on estimates of the damage caused to individual fields and no attempt should be made to do so. Estimates of damage must be made for classes of fields as a whole and not for individual fields. The classification of fields for this purpose must depend on the nature of the calamity. It may be that the loss is uniform over the unirrigated fields and that the loss if any, in the irrigated fields is also uniform in which case it will be necessary only to make for each village an estimate of the loss on the irrigated fields as a whole and on the unirrigated fields as a whole. In other cases the loss may vary according to the crop. If so, it will be necessary to make for each village an estimate of the loss on each crop. It may also be necessary to distinguish not only between crops but also between irrigated and unirrigatee fields of the same crop. In other cases, such as hail or flood, a part only of a village may be damaged or different parts may be damaged to different extents. In such a case it will be necssary to mark off the damaged portion, or the portion damaged to varying extents, on the village map and to estimate the damage done in such portion or in each of such portions. It may be necessary in this case also to distinguish between the different crops in each of such portions. Definite orders must be passed by the Collector in the case of each village affected by the calamity as to the damage suffered by each class into which he has ordered that the fields be divided. For this purpose if the area damaged is extensive, it will generally be advisable to group villages. It is essential that the system on which fields are to be classified for the purpose of determining the loss be laid down before any attempt is made to work out detailed calculations. Once the classes have been decided on by any authority, no lower authority has any power to vary the estimate of loss as between fields of the sameo lass.

(2) In deciding on the classification to be adopted the Collector must remember that the estimates of loss can only be approximate and that too meticulous a classification defeats its own and as it delays the preparation or relief statements and causes harassment to the cultivators

(3) In framing their estimates of loss the Collect r should remember that the normal crop, that is to say the crop which has suffered the normal amount of damage in a season which is not exceptionally good, is generally reported as being a 12—or 13 annas crop. It is only years in which the crop has escaped any damage that the crop is reported as 16 annas. Such years are exceptional and not normal. The instructions however assume that the normal crop is a 16 annas crop, i. e in the instructions loss means loss in excess of the normal loss. Unless care is taken this may lead to an over estimate of the loss particulary in the case in which the damage is not very great.

(4) Collectors cannot be too careful to guard against a general tendency that exists in the subordinate staff to over-estimate losses as a precaution against possible objection by cultivators. Government desire to impress upon Collectors the imperative need for a thorough and careful checking by the superior staff of estimates of losses with a view to prevent exaggerated estimates and consequent loss of Government revenue.

8. *The "normal area".*— If the nature of the calamity is such that it has reduced the sown area, as happens in the case of a shortage in the late monsoon rainfall, allowance must be made for this reduction in area in calculating the loss suffered by the cultivator. The general principle is that the area which has not been sown, but which would have been sown but for the calamity, is treated as if it had suffered a loss of 16 annas. It is obviously extremely difficult to decide which of the fields that have not been sown in a particular year would have been sown if the circumstances had been different. The most direct method of approach would be to compare the sown area of each holding with the sown area of the holding in a normal year. This necessitates a detailed comparison of the khatauni of the year in which the calamity occurs with the khatauni of a normal year which is a laborious process and takes time. Difficulties too arise in areas of shifting cultivation. A less laborious and quicker method is to determine by comparison with a normal year the percentage of the holdings area which is normally sown and to assume that this percentage of each holding would have been sown in year of the calamity if the season had been normal.

(2) It is the business of the Collector to determine whether allowance should be made for shortage of sown area and, if such allowance is to be made, to determine which year should be taken as normal. If the nature of the

calamity was such as not to affect the sown area or if the effect was small, say less than 10 or 15 percent no allowance will be made.

9. *Preliminary report to the Commissioner.*— (1) As soon as the Collector has decided on the nature and extent of the calamity and the steps which he proposes to take to deal with it, he shall send a preliminary report to the Commissioner explaining the situation fully both as regards the area affected and the classification of filds which he proposes to adopt for the purposes of calculating the relief, with an estimate of the damage suffered by each class, and in cases in which it is necessary to allow for shortage of area, giving an estimate of the shortage. He should discuss the condition of the cultivators. To enable the Collector to follow the progress of the season and to know how far the rainfall in any season departed from the normal as regards either distribution or amount, a statement of normal rainfall by rain-gauge Stations will be published separately and supplied to all Collectors. When relief is proposed on account of excessive rainfall or failure of rains, the Collector should refer to this statement in making his proposals and compare the figures for the normal and the actual rainfalls in his report.

(2) The Collector's report shall also give (a) the areas under the Kharif and Rabi crops grown in a normal year in each tehsil affected, with details of irrigated and dry areas; (b) the total rental demand of the villages affected; and (c) a rough estimate, as far as one can be made at this stage of the relief which it will be necessary to give in the rental demand. It is unnecessary at this stage for the Collector to make any recommendation whether the proposed relief should be given by way of remission or suspension.

(3) The report should not be delayed by the inclusion in it of detailed calculations. It should be despatched within a fortnight of the occurrence of the calamity, and in no circumstances except in a case of damage by fire should it reach the Commissioner later than December 15, in the case of a calamity affecting the Kharif and May 15, if the Rabi is affected.

10. *Commissioner's orders on Collector's preliminary report.*— As soon as the Commissioner receives the Collector's report submitted under the previous paragraph, he should forward a copy of the Collector's report and of his recommendations thereon to Government for information. It is essential that the Commissioner should make explicit report approving or modifying the estimates of the loss of the classes of fields submitted by the Collector. It is the Commissioner's duty to see that adequate, but not excessive relief is given. Commissioners should see that proposals are not detained for more than a week in their office before being submitted to Government.

Preparation of Relief Statements

11. *Entry of loss in Khasra and Relief Khatauni* – As soon as the Collector has decided on the nature and extent of the calamity and the measures necessary to deal with it, he shall on receiving the orders of the Government issue orders for the preparation of the relief statements. The patwaris of the village affected by the calamity should be called to the tehsil and except in very special cases, should remain at the tehsil until their statements are prepared. The first step in the preparation of these statements is to enter in the remarks column of the khasra opposite each field the estimated damage in anna per rupee caused to the crop in that field in accordance with order passed under rule 7. At the same time the area of "equivalent total loss" will also be calculated and entered in the remarks column. This is a measure of the loss on the sown area expressed as an area. Thus if the sown area of two acres has suffered a loss of 10 annas in the rupee this is taken as the equivalent of 3/4" acre of undamaged crops and $1\,^1/_4$ acres of total loss. This area of $1\,^1/_4$ acres is the area of equivalent total loss. A sufficient number of these entries must be checked by Inspector Land Records to ensure that the Collector's orders are being carried out. The information contained in the khasra will generally enable this to be done, but in cases in which only certain portions of the village have been damaged by hail, flood, etc., a reference to the map will be necessary.

12. *Calculation of relief in tenants holding a fixed cash rent.*–
(1) The next step is the preparation of tht relief khatauni in form I. The object of the relief khatauni (Form I) is to enable the calculations of relief in rent to be carried out. The first step in thia calculation is to transfer to column 5 of the relief khatauni the area of equivalent total loss in each field and total this column for each holding to get the area of equivalent total loss in the holding.

Column 4 is also totalled to obtain the total sown area of the holding. If there has been no loss due to shortage of area, the loss suffered by the holding as a whole is expressed in annas per rupee by comparing this area of equivalent tolal loss with the area of holding which was cultivated in the season in which the calamity occurred. This is taken as the loss measured in annas per rupee of the normal produce In the case of fixed cash rents the full rent demand of the season is entered in column 10 and the actual rent payable in the season is then worked out by applying the scale given in paragraph 3 and entered in column 11.

13. *Checking of entries by Superior Officers.*—It is of the utmost importance that entries of equivalent total loss in the khasra and the entries and calculations made in the khatauni (Form I) should be subjected to a thorough and complete check, as they form the basis of the actual amount of relief

in money. While the Inspector Land Records shall be immediately responsible for the accuracy ot the entries and calculations, the Collector must also prescribe a suitable percentage of check by the Tehsildar and Naib Tehsildar. The Sub-Divisbonal Officer should see that the check done by the Tehsildar and other sub-ordinates is real and effective.

14. *Relief khatauni may be dispensed within ceatatn cases of uniform damage.*- If uniform damage is caused to all the crops of a village, it is, of course, unnecessary to prepare the relief khatauni as the relief to be given, both in rent ard revenue, can be calculated directly from the table given in paragraph 3 of these instructions But, except in unirrigated areas, such cases seldom arise unless the damage is due to floods.

15. *Relief to Sub-tenants.*—If the sub-tenant's area is large,the sub-tenants may also be given relief in the same proportion as is granted to the tenants in chief,

RELIEF KHATAUNI

(FORM 1)

Serial No in ordinary Khatauni.	Name and parentage of cultivator	Khasra No. of field.	Area sown	Area of equivalent total loss.	Normal area of season.	Shortage of area	Total of shortage of area and area of equivalent total loss	Loss in anna per rupee	Rent demand of the season	Rent payable in the season	Land revenue demand of the season.	Land revenue payable in the season	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

NOTE:—Columns 6, 7 and 8 to be used only when relief is to be given for shortage of area.